भारतीय आयकर के सरल सिद्धान्त

ELEMENTS OF INDIAN INCOME-TAX

[बी कॉम तथा एल एल बी के विद्यार्थियो के लिए]

वित्त अधिनियम, १९५९ के प्रबन्धोको समावेश करते हुए

लेखक

आर एन. लखोटिया

एम कॉम, एल एल बी

[भूत पूर्व प्रवक्ता (वाणिज्य विभाग) दयानन्द कॉलेज तथा गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर]

रचयिता **एलीमेन्ट्स ऑव इडीयन इनकम-टैक्स, ह्यूमर एवरी व्हेअर इत्यादि।**

प्राक्कथन लेखक

श्री के. पी भटनागर

एम ए, एल एल बी

वाइस-चान्सलर, आगरा विश्वविद्यालय।

आशा पब्लिशिंग हाउस

अहमदाबाद-१४

१९५९]

[रु. २-८० न पै.

प्रकाशक
आशारानी,
प्रो आशा पब्लिशिंग हाउस,
अहमदाबाद–१४

प्रथम संस्करण –– १००० प्रतियाँ
१९५९

मुद्रक
जीवणजी डाह्याभाई देसाई,
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद–१४

प्राक्कथन

FOREWORD

I have very great pleasure in recommending to the students and teachers of commerce in our Universities the book entitled "Bhartiya Aaykar ke Saral Siddhanta" The book has been written in a very lucid manner and will prove very advantageous to those who will study it I congratulate the author on writing such a useful book of which there was a great need.

Agra University,
1st March 1959

K P BHATNAGAR
Vice-Chancellor

दो शब्द

गत कुछ वर्षो मे आयकर कानून बहुत कठिन हो गया है। नये नये सशोधनो से यह कानून पेचीदेपन तथा आकार मे और भी अधिक बढ गया है। यह सच है कि भारतीय विश्वविद्यालयो के विद्यार्थी-गण तथा आयकर-दाता इसे समझने मे बहुत कठिनाई का अनुभव करते है। प्रस्तुत पुस्तक मे मैंने इस बात का पूरा प्रयत्न किया है कि कानून की इस कठिन शाखा का सरल भाषा मे, साधित प्रश्नो की सहायता से, विश्लेषण किया जाय। वित्त अधिनियम १९५९ के सभी मुख्य प्रबन्धो का समावेश भी इस पुस्तक मे कर लिया गया है। इसके अलावा आगरा तथा राजपूताना विश्वविद्यालयो के पॉच वर्ष के पर्चो के प्रश्न तथा उत्तर तथा अनुक्रमणिका इस पुस्तक के अन्त मे दिए गए है जिनसे इस पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक बढ गई है।

मुख्यत यह पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयो के बी कॉम तथा एलएल बी छात्रो के लिए पाठ्य-पुस्तक के रूप मे लिखी गई है। परन्तु यह पुस्तक साधारण कर-दाता एव आयकर की अन्य परिक्षाओ के विद्यार्थी-समाज के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है।

मै मेरे परम गुरु श्री के० पी० भटनागर का बडा आभारी हू जिन्होने कि इस पुस्तक का प्राक्कथन लिख कर मुझे अपना कृपा-पात्र बनाया है। इसके अलावा मै प्रकाशक तथा मुद्रक को भी धन्यवाद देता हू जिन्होने कि इस पुस्तक को शीघ्रता तथा सफाई के साथ निकालने मे मदद की है।

अहमदाबाद,
२५–७–५९

आर. एन. लखोटिया

विषय-सूची

CONTENTS

तृतीय भाग

PART III

कर-निर्धारण एव कर-सगणना (Assessment and Computation of Tax)

चतुर्थ भाग

PART IV

कर-निर्धारण तथा अपील पद्धति (Assessment and Appellate Procedure)

प्रथम भाग

प्रारम्भिक

अध्याय १

विषयप्रवेश तथा आयकर अधिनियम की प्रमुख परिभाषाएँ

१ आयकरका इतिहास

आयकर भारतवर्ष की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के लिए आमदनी का एक प्रमुख साधन है। योजना के इस आधुनिक युग मे इसका महत्व और भी अधिक बढ गया है। भारतीय समाजके विभिन्न वर्गो मे स्थित आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए भी यह एक सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाने लगा है। ऐसी आशा की जाती है कि भावी भारतके आर्थिक विकास के लिए विशाल आय प्राप्त करनेमे यह और भी सहयोगी सिद्ध होगा। इसलिए कर-दाताओ तथा विद्यार्थी-समाजके लिए ही नही वरन् समस्त जनता के लिए यह जानना नितान्त आवश्यक हो जाता है कि आयकर अधिनियम क्या है। प्रस्तुत पुस्तक इस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है कि प्रत्येक भारतीय को आयकर के मूल सिद्धान्तोका सरल भाषामे परिचय कराया जाय।

भारतीय आयकर विधानका इतिहास बडा रोचक है। भारत मे आयकर का सूत्र पात सर्व प्रथम सन् १८६० मे हुआ। उस समय यह एक साधारण कानून था। कुछ अन्य छोटे छोटे कानूनो के पश्चात् सन् १८८६ मे एक नया कानून बना जो सन् १९०३ तक चलता रहा। इस वर्ष आयकर लगने वाली न्यूनतम सीमा को ५००रु० से बढाकर १०००रु० कर दिया गया। सन् १९१८ मे एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा न्यूनतम आयकर सीमा बढाकर २००० रु० कर दी गई। परन्तु सन् १९२२ मे पास हुआ आयकर—अधिनियम ही भारतीय आयकरकी आधार-शिला है। परन्तु इसमे भी समय समयपर अनेक परिवर्तन होते रहे है। विशेषकर यह कानून सन् १९३९, १९४४, १९४६, १९५१, १९५३, १९५४, १९५५, १९५६, १९५७, १९५८ तथा १९५९ मे आयकर सशोधन अधिनियमो तथा वित्त अधिनियमो द्वारा परिवर्तित किया गया। इस पुस्तक मे जहाँ भी किन्ही धाराओका वर्णन है वे सब **भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२** (Indian Income tax Act, 1922) से सम्बन्धित है।

भारत मे आयकर सम्बन्धी दो मुख्य कानन है —

(१) **भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२**—यह मुख्य कानून है। तथा

(२) **वित्त अधिनियम,** जो कि प्रतिवर्ष भारतीय पार्लियामेन्ट द्वारा पास किया जाता है। यह प्रतिवर्ष आयकर की विभिन्न दरो को निर्धारित करता है।

२ आयकरके अन्तर्गत विभिन्न कर

भारतीय आयकर के अन्तर्गत निम्नलिखित चार प्रकार के कर शामिल है –

(१) आयकर [Income-tax proper]
(२) अतिरिक्त कर [Super tax]
(३) निगम कर [Corporation tax] प्रमडलोपर लगाया गया अतिरिक्त कर।
(४) वृद्धि कर [Surcharges onitems (1) and (2)] [(१) तथा (२) पर]

३ कर-दाता कौन है? — (धारा ३)

केवल निम्न लिखित ही कर-दाता है —

(१) व्यक्ति (Individual),
(२) अविभक्त हिन्दू परिवार (Hindu Undivided Family),
(३) प्रमडल (Company),
(४) स्थानीय सत्ता (Local authority),
(५) साझेदारी फर्म (Partnership firm), तथा
(६) अन्य जन-मडल (Any other association of persons)

४ आयके शीर्षक — (धारा ६)

केवल निम्न लिखित आयकर शीर्षकोके अन्तगत आने वाली आय पर ही आयकर लगता है —

(१) वेतन – धारा ७
(२) प्रति भूतियो से ब्याज – धारा ८
(३) जायदादकी आय – धारा ९
(४) व्यापार, पेशा अथवा व्यवसाय का लाभ – धारा १०
(५) अन्य साधनो से आय – धारा १२
(६) पूजी गत लाभ – धारा १२ बी

५ आयकर आयित्व (Income-tax Liability) —

एक व्यक्ति, अन रजिस्टर्ड फर्म, रजिस्टर्ड फमके साझीदार या अन्य जन-मडल के आयकर दायित्व का प्रश्न तब उठता है जबकि उसकी गतवर्ष की आय ३००० रु० से अधिक हो, अन्यथा नही। एक अविभक्त हिन्दू परिवार (जिसके दो सदस्य बँटवारे के हकदार हो) का आयकर दायित्व कुछ भी नही है यदि गतवर्षमे उसकी कुल आय ६,००० रु० या उससे कम हे। एक कपनी अथवा स्थानीय सस्थाको **अपनी कुल आय पर एक ही दर से** आयकर देना पडता है, चाहे वह कितनी ही कम व अधिक क्यो न हो। एक **रजिस्टर्ड फर्म** का कर – दायित्व कुछ भी नही है यदि उसकी गत-वर्ष की आय १०,००० रु० या उससे कम है। अतिरिक्त कर तथा वृद्धि करोके बारे मे विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १२

६ आयकर-अधिकारी —— (धाराएँ ५ तथा ५ ए)

आयकर अधिकारियो को दो श्रेणियो मे विभाजित किया जा सकता है ——

(अ) शासन-सम्बन्धी (Executive) तथा
(ब) न्याय-सम्बन्धी (Judicial)

इनका विस्तृत विवरण नीचे दिया जाता है ——

(१) सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवेन्यू (Central Board of Revenue) —

यह सर्वोच्च प्रबन्धक सत्ता है जिसका सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवेन्यू अधिनियम १९२४ के अन्तर्गत निर्माण हुआ है। इस बोड के सदस्यो की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसके सदस्यो मे से एक सदस्य सम्पूण भारत के आयकर विभाग का नियन्त्रण करता है।

(२) डायरेक्टर ऑव इसपेक्शन (Director of Inspection)

इनको कानूनी स्थिति १९५३ के सशोधक अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई। इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है और ये सेन्ट्रल बोड ऑव रेवेन्यू की देख रेख मे विविध प्रकार का काम करते है।

(३) कमिश्नर ऑव इनकम टैक्स (Commissioner of Income-tax) —

यह किसी राज्य या निश्चित क्षेत्र के आयकर विभाग का अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। साधारण कमिश्नरो के अलावा केन्द्रीय सरकार कुछ ऐसे केन्द्रीय कमिश्नर (तीन तक) नियुक्त कर सकती है जिनका कोई क्षेत्र या राज्य निर्धारित नही होता।

(४) इसपेक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर ऑव इनकम टैक्स (Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax) —

यह आयकर कमिश्नर अथवा डायरेक्टर ऑव इसपेक्शन के नियत्रण मे कार्य करता हे। इसका काय अपने क्षेत्र के समम्त इनकमटैक्स अफसरो के कार्य का निरिक्षण करना है।

(५) अपिलेट असिस्टेट कमिश्नर ऑव इन्कम टैक्स (Appellate Assistant Commissioner of Income-tax)—

यह सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवेन्यू के सीधे नियत्रण मे रहता हे। इसका मुख्य कार्य आयकर अफसरो की आज्ञाओ के विरुद्ध अपील सुनना है।

(६) इनकम टैक्स अफसर (Income-tax officer)—

कर दाताओके साथ सीधा सम्बन्ध होने के हेतु इनकम टैक्स अफसर ही उनके लिए सबसे महत्त्व पूर्ण अफसर है। आयकर लगा कर उसे वसूल करने वाला यही अफसर है। वही सूचनाएँ प्रकाशित करता है, साक्षी लेता है, कर निर्धारण करता है और उसे वसूल करता है। वास्तव मे आयकर शासन की आधार-शिला आयकर अफसर ही है।

(७) इसपेक्टर ऑव इनकम टैक्स (Inspector of Income-tax)—

इसकी नियुक्ति कमिश्नर करता है और यह ऐसे सब काम करता है जो इसको इनकम टैक्स अफसर या कोई अन्य उच्च अधिकारी करने के लिए कहता है।

(८) अपिलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)—

सूक्ष्म रूपसे देखा जाय तो यह आयकर अधिकारी नही है क्योकि यह सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवेन्यू के अधीन नही है। यह भारत सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है और इसके सदस्यो की सख्या सरकार की इच्छा पर निर्भर रहती है। इसकी स्थापना २५ जनवरी १९४१ को की गई थी। इसके सदस्य दो प्रकारके होते है —

(अ) न्यायिक सदस्य (Judicial Member)

(ब) लेखा पाल सदस्य (Accountant Member)

सभापति साधारणत न्यायिक सदस्य ही होता है। न्यायिक सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो कमसे कम १० वर्ष तक किसी न्यायिक ओहदे पर रहा हो या किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। लेखापाल सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम दस वर्ष तक चारटर्ड अकाउन्टेट के रूप में व्यवसाय करता रहा हो। यह न्यायाधिकरण (Tribunal) कुछ बेचो मे

विभक्त होता है। प्रत्येक बेच देशके पृथक-पृथक भागो की अपीले सुनती है। प्रत्येक बेच मे दो सदस्य होते हैं — एक न्यायिक तथा दूसरा लेखापाल। दोनो सदस्यो मे मतभेद होने की अवस्था मे सभापति वोट दे सकता है।

ऐसी दशामे बहुमत का निर्णय मान्य होता है। न्यायाधिकरण का मुख्य कार्य अपिलेन्ट असिस्टेट कमिश्नर की आज्ञाओ तथा निर्णयो के विरुद्ध अपील सुनता है। तथ्य (Facts) सम्बन्धी प्रश्नो मे इसका निणय अन्तिम (Final) होता है। काननी प्रश्नो के सम्बन्ध मे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अपील की जा सकती है।

७ कर कैसे दिया जाता है?

कोई भी कर दाता जिसकी गतवर्ष की आय करमुक्त सीमा से अधिक हो उसे एक आयका विवरण-पत्र जो कि आयकर विभाग से मुफ्त मे ही प्राप्त किया जा सकता है, भरकर अपने आयकर अफसर के दफ्तर मे भेजना चाहिये। आयकर अफसर उसपर कर-निर्धारित करेगा। आयकर विभाग से माँग की सूचना आने पर वहाँ कर की सारी रकम जमा करानी पडेगी। इस विषय मे विस्तृत विवरण के लिए देखिए अध्याय १३

८ आयकरकी प्रमुख परिभाषाएँ

गतवर्ष (Previous year) धारा २ (११)

आयकर अधिनियम मे कई परिभाषिक पदो एव शब्दोका प्रयोग किया गया है। आयकर अधिनियम को पूणतया समझने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इन पदो व शब्दो की ठीक ठीक व्याख्या की जाय। इन पदो मे से सबसे महत्व पूर्ण पद है "**गतवर्ष**"

आयकर अधिनियमके अन्तर्गत कर प्रत्येक आर्थिक वर्ष—जो कि एक वर्ष की पहली अप्रेल से लेकर दूसरे वर्षकी ३१ मार्च तक होता है — मे लगाया जाता हे। जैसे वर्त्तमान आर्थिक वर्ष (Financial year) सन् १९५९–६० (१–४–५९ से ३१–३–६०) हुआ। इसे इनकम टैक्स वष, राजकोषीय वर्ष अथवा कर-निर्धारण वर्ष (Assessment year) भी कहते हैं। इस वषमे जो भी कर लगाया जाता है वह व्यक्तियो की **गतवर्षकी आयपर** होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि आमदनी पहले वर्ष होती है और उस पर कर अगले वष देना पडता है। गतवर्ष के सम्बन्ध मे हमे निम्नलिखित बातो पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है —

(१) साधारणत गतवर्ष या पिछले वर्ष की आय पर ही उसके अगले आर्थिक वर्षमे कर देना पडता है।

(२) गत-वर्ष से तात्पर्य है, उन १२ महीनो का जो कि किसी भी वर्ष की ३१ मार्च को समाप्त होते है। यह १२ मास की अवधि किसी भी आर्थिक वर्ष के बिलकुल पहले वाला समय है। जैसे १९५९–६० आर्थिक वष के लिए १९५८–५९ गत वर्ष हुआ।

(३) एक गतवष ऊपर बताए गये १२ महिने वाले समय मे किसी भी समय समाप्त हो सकता है। जसे किसीव्यक्ति का व्यापारिक हिसाबी साल १ जनवरी १९५८ से ३१ दिसम्बर १९५८ है तो यह साल भी १९५९–६० के लिए गतवर्ष हुआ क्योकि यह समय १९-५८–५९ वर्ष मे समाप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि **गत वर्षकी समाप्ति पूर्व वित्तीय वर्षके अन्दर ही अथवा इसके साथ ही अवश्य हो जानी चाहिए।**

(४) आय के विभिन्न साधनो के लिए भिन्न भिन्न गत वर्ष रखे जा सकते है।

(५) साझेदारी फर्म की आय के लिए गतवष वही होगा जो कि फर्म का गतवर्ष है।

(६) नया व्यवसाय स्थापित करने वालो के लिए गतवर्ष व्यापार आरम्भ करनेकी तिथि से आनेवाली ३१ माच तक या उसके व्यापार की हिसाबी तिथि (Accounting date) तक (यदि उसने १२ महिनो तक के हिसाब बन्द किये हो) माना जा सकता है।

(७) एक बार अपना गत-वर्ष निश्चय कर लेने के पश्चात् उसे अगले वर्षो के लिए बदला नही जा सकता, जब तक कि ऐसा करनेके लिए इनकनटैक्स अफसरकी मजूरी न मिल जावे।

(८) साधारणतया गत वष १३ मास से अधिक और ११ मास से कम नही हो सकता।

उदाहरणार्थ १९५९–६० आर्थिक-वर्ष मे कर देने के लिए नीचे दिये हुए वर्षो मे से कोई भी गत-वर्ष (अर्थात् **वह वर्ष जिसकी आमदनी पर कर** दिया जाता है) हो सकता है —

(अ) १–४–१९५८ से ३१–३–१९५९ या

(ब) १–१–१९५८ से ३१–१२–१९५८ या

(स) १–७–१९५७ से ३०–६–१९५८ या

(द) कोई भी सवत, दिवाली या दशहरा वर्ष जो कि १९५८–५९ वर्षमे समाप्त होता हो, या

(ई) कोई भी वर्ष जो ३० अप्रेल १९५९ के पहले समाप्त होता है। (यह नियम किन्ही खास दशाओ मे ही लागू होता है)

इस नियमके अपवाद (Exceptions to the Rule)

निम्न दशाओ मे कर गतवर्ष की आमदनी पर न लगाया जाकर उसी वष की आमदनी पर उसी वर्ष लगाया जाता है —

(क) जब कि कोई व्यक्ति सर्वदा के लिए भारत छोडकर जाने वाला हो — धारा २४ ए।

(ख) जब कि कोई व्यापार, व्यवसाय या धधा बद कर दिया गया हो धारा २५।

(ग) कुछ किस्मो के जल यातायात प्रमडलो के बारेमे—धारा एँ ४४ ए तथा ४४ बी।

प्रश्न सख्या १

श्री अ ने १–८–१९५८ से एक कपडे का नया व्यापार प्रारम्भ किया। १९५९–६० कर-निर्धारण वष तक उसने अपने बही-खाते बन्द नही किए।

(अ) यदि उसका कर-निर्धारण जून १९५९ मे किया जाये और वह यह अनुरोध करे कि अपने व्यापार के बही खाते वह ३१ जुलाई १९५९ को बन्द करेगा, तो क्या आप उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेगे, और अगर हाॅ तो क्यो ?

(ब) यदि उसका कर-निर्धारण सितम्बर १९५९ मे किया जाये और वह कहे कि वह अपने बही-खाते ३१ अगस्त ५९ की तारीख तक बद करेगा, तो क्या आप उसकी प्रार्थना मान लेगे, और यदि हाँ तो क्यो ?

उत्तर

(अ) अपने कपडे के नये व्यापार के लिए वह व्यापार के प्रारम्भकी तारीख से लेकर १२ महिने का कोओी भी समय अपने गत-वर्ष के लिए रख सकता है, यदि उसने हिसाब-किताब १२ महिने की अवधि तक के किसी भी समय के लिए बन्द कर लिया हो तो।

यहाँ पर कर-दाता अपने नये व्यापार के हिसाब-किताब १२ मासके समयके अन्दर के लिए रखना चाहता है इसलिए उसकी बात माननी होगी। इस हालत मे सन् १९५९–६० के लिए कोई गत-वर्ष नही होगा और १–८–५८ से ३१–७–५९ तक की आमदनी सन् १९६०–६१ मे करदेय होगी।

(ब) चूकि कर-दाता ने अपने नये व्यापार के बही-खाते १२ महिने के समय तक नही बन्द किए है इसलिए कर-दाता की प्रार्थना नही मानी जायगी। कपड़े के नये व्यापार की १-८-५८ से ३१-३-५९ तक की आमदनी कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० मे करदेय होगी

९ आयकर लगनेवाले क्षेत्र (Taxable Territories)—धारा २ (१४ ए)

१२ अप्रेल १९५४ के बाद आयकर लगने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारतवर्ष आता है। बोलचाल की भाषा मे इसके लिए "**भारत**" शब्द आम-तौर पर प्रयोग किया जाता है।

१० आय (Income)—धारा २ (६ सी)

आयकर से तात्पर्य है उस कर से जो आय पर लगता हो। आयकर अधिनियम का उद्देश्य आय पर कर लगाना है। किन्तु आश्चर्य कीबात यह है कि "आय" शब्द की पूर्ण व्याख्या इस अधिनियम मे नही की गई है। आय निश्चित साधनो द्वारा निश्चित रूप से समय समय पर द्रव्य मे या द्रव्य के मूल्य मे प्राप्त की जाती है। पूजीगत आय "आय" के अन्तर्गत नही आती। आयकर के अन्तर्गत जिन जिन साधनो द्वारा हुई आय पर कर लगता है उनका उल्लेख इस अध्यायके कण्डिका ४ (Paragraph 4) मे किया जा चुका है।

११ अर्जित आय (Earned Income)—धारा २ (६ एए)

भारतीय आयकर अधिनियम अर्जित आय तथा अनर्जित आय मे भेद करता है। अर्जित आयसे तात्पर्य उस आय से है जो पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित बाते विशेष ध्यान देने योग्य है —

(१) अर्जित आय के तीन मुख्य प्रकार है —

(क) वेतन।
(ख) व्यावसायिक आमदनी अथवा व्यापार के लाभ। और
(ग) वैयक्तिक पुरुषार्थ द्वारा हुई आय जैसे, डायरेक्टर्स फीस, पुस्तको पर अधिकार-शुल्क (Royalties) इत्यादि।

(२) निम्न प्रकार के कर दाताओं की आय ही कमाई हुई आय हो हो सकती है —

(क) व्यक्ति।
(ख) अविभक्त हिन्दू परिवार।
(ग) अन रजिस्टर्ड फर्म।
(घ) अन्य जन-मडल।

(३) यदि किसी व्यक्ति के कर-निर्धारण मे उसकी पत्नि अथवा उसके किसी नाबालिग सतान की कोई अर्जित आय शामिल की गई है तो उस व्यक्तिके लिए वह अर्जित आय मानी जायगी।

(४) वित्त अधिनियम (नम्बर २) १९५७ के पहले अर्जित आय पर २०% छूट (कुछ अन्य शर्तोके साथ) मिलती थी। अब यह अर्जित आय छूट (Earned Income Relief) बिलकुल बन्द हो गई है। अर्जित आय की अपेक्षा अनर्जित आय पर अतिरिक्त वृद्धि कर (Additional Sur-charge) लगता है। बस अर्जित आय को केवल यही रियायत है।

१२ कृषि-आय (Agricultural Income) — धारा २ (१)

आयकर अधिनियम के अन्तगत सभी प्रकार की आय पर कर नही लगता। कुछ ऐसी भी आय है जो सर्वथा कर-मुक्त है। कृषि-आय भी ऐसी ही एक आय है। इसलिए इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि-आय से तात्पर्य उन तमाम आय से है जो निम्न शर्तो को पूरा करती है —

(१) कि वह आय भारत मे स्थित किसी **भूमि** से है।

(२) कि वह भूमि किसी **कृषि-कार्य**मे प्रयोग की गई है। **तथा**

(३) कि वह भूमि ऐसी है जिस पर सरकार को लगान अथवा किमी स्थानीय सत्ता को स्थानीय कर (Local rate) दिया गया है।

कोई भी आय जो इन तमाम शर्तो को पूरा नही करती वह कृषि आय नही हो सकती। जैसे, निम्न प्रकार की आय कृषि-आय नही है —

(१) हाट-बाजारो, घाट अथवा मछली-क्षेत्रो से होने वाली आय।

(२) सिचाई के लिए पानी देने से आय।

(३) पत्थरो की खानो से होने वाली आय।

(४) खानो से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी से आय, इत्यादि।

निम्न रूपो मे होने वाली आय कुछ अशो मे कृषि-आय है तथा कुछ अशो मे अकृषि-आय है —

(अ) भारत मे चाय पैदा करके बेचने वालोकी आय (६० % आय कृषि आय है।) तथा

(ब) किसी शक्कर कारखाना कम्पनी की आय जिसके अपने निजी कृषि फार्म है तथा जो कारखाने के लिए अपनी ही ईख पैदा करती है।

कृषि-आय निम्न प्रकार की हो सकती है —

(१) जमीनदार द्वारा वसूल किया हुआ लगान या किराया।

(२) पैदावार से कृषक की आय या लगान लेने वाले व्यक्ति की कृषि पैदावार से आय।

(३) कृषक या लगान लेने वाले की पैदावार को बिक्री योग्य बना देने की विधि से आय।

(४) कृषि पैदावार को बेचने से होने वाली आय।

(५) उस जायदाद की आय जो कृषि के काम मे आती है।

१३ आकस्मिक आय (Casual Income) — धारा ४ (३) (vii)

आकस्मिक आय वह आय हे जिसका स्वरूप आकस्मिक है तथा जो किसी व्यापार से या किसी व्यवसाय, पेशे अथवा अन्य काम करनेसे उदय न हो। ऐसी आय कर-मुक्त है। लॉटरी मे मिलने वाला ईनाम, घुडदौड मे हार-जीत पर लाभ इत्यादि आय आकस्मिक है।

१४ आयकर दाता (Assessee) — धारा २ (२)

आय कर दाता वह है जिसके द्वारा आयकर दिया जाता है या जिसे आयकर विधान के अनुसार सरकार को कोई रकम देनी हो या जिसपर आय या हानि के कर- निर्धारण की या कर-वापसी की कोई कार्य-वाही जारी की गओी हो। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक प्रतिनिधि भी आयकर दाता समझे जाते है। यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की आय मे से कर काटना चाहिये, कर नही काटे, अथवा कर काट लेने के उपरान्त उसे सरकार को अदा नही करे तो उस व्यक्ति को भी आयकर दाता माना जाएगा।

१५ आयानुसार बनाम विभागानुसार कर-पद्धतिया (Step system versus slab system of Taxation)—

कर लगने वाली आय पर आयकर की सगणना दो पद्धतियो से की जा सकती है — आयानुसार और विभागानुसार। आयानुसार पद्धति (step system) मे **कुल आयकी पूरी रकम पर एक ही दरके अनुसार** जो कुल आय पर लागू होती हो, आयकर चुकाना पडता है। यदि आय की विभिन्न रकमो के लिए आय ऊँची है, तो उसके लिए दर भी ऊँची हे। यह पद्धति १ अप्रेल १९३९ से बन्द कर दी गई, क्योकि यह अन्यायपूर्ण थी। इस पद्धति के अनुसार जो कठोरता अन्याय, और असमान फल होते थे, उन्हे दूर करने के लिए १—४—१९३९ से एक नई और अधिक न्यायोचित करारोपण की पद्धति जिसे विभागानु-

सार करारोपण (Slab system) कहते है, प्रचलित हुई। इसके अनुसार आय को विभिन्न भिागो मे बाँटा जाता है। प्रत्येक अगले विभाग के लिए बढती हुई आय करकी दर लगाई जाती है। जैसे १९५९ के वित्त अधिनियमके अनुसार निर्धारित दरे इसी पद्धति के अनुसार हे। उदाहरण के लिअे देखिए अध्याय १२

१६ कुल आय (Total Income) -- धारा २ (१५)

कर-दाताकी कुल आय से आशय उसकी आय की उस कुल रकम से है, जिस पर उसको निवास-स्थानानुसार कर लगता है तथा जो आय-कर अधिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से मालूम की गई है। इसकी गणना के लिए देखिए अध्याय १०

१७ कुल विश्व आय (Total World Income) -- धारा २ (१५)

कर-दाता की कुल विश्व आय से अभि प्राय उसकी समस्त आयसे है, भले ही वह विश्व मे कही भी उत्पन्न हुई हो। निम्न प्रकार की आय कुल आय मे तो शामिल नही की जाती लेकिन कुल विश्व आय निकालने के लिए की जाती है —

(१) किसी निवासीकी न भेजी हुई विदेशी आय मे से ४,५०० रु० की वैधानिक कटौती।

(२) किसी व्यक्ति द्वारा एक सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आय मे से प्राप्त की हुई कोई रकम।

कुल विश्व आयका निकालना केवल अनिवासीके **लिए ही जरूरी होता है।**

१८ कर-मुक्तिवाली आय (Exempted Income)—

एक व्यक्ति का कर-दायित्व मालूम करने के लिए उसकी कर-मुक्त आय को भी ध्यान मे रखना पडता है। कुछ आय पूर्णतया करमुक्त है तो कुछ आशिक रूप मे। आशिक कर-मुक्त आयपर एक प्रकार की कटौती दी जाती है। कर योग्य आय पर लगते वाले कर मे से इस प्रकार की करमक्त आय की कटाती (Rebate) की रकम कम की जाती है।

१९ करदाताका प्रतिनिधित्व (Representation of an Assessee) — धारा ६१

सिवाय उस समय के जबकि कर-दाता को आयकर विभाग में स्वय उपस्थित होना पडता है, वह सर्वदा निम्न प्रकार के व्यक्तियो द्वारा जिन्हे

लिखित अनुमति द्वारा यह अधिकार प्रदान कर दिया गया हो, अपना प्रतिनिधित्व करा सकता है —

(१) कोई रिश्तेदार।

(२) कोई भी मुनीम, गुमाश्ता या अन्य नौकर।

(३) वकील।

(४) अकाउन्टेट।

(५) आयकर-सलाहकार।

प्रश्न

प्र० १ निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए —

(१) गत वर्ष, (२) कर-क्षेत्र, (३) आयकर अधिकारी (४) अपिलेट ट्रिब्यूनल, (५) कर-दाता का प्रतिनिधित्व, (६) आयानुसार बनाम विभागानुसार कर पद्धतियाँ, (७) आकस्मिक आय (८) अर्जित आय।

उत्तर देखो कडिका (परिच्छेद) (१) ८, (२) ९, (३) ६, (४) ६ (८), (५) १९, (६) १५, (७) १३, (८) ११।

प्र० २ 'कृषि-आय' पर एक छोटा सा निबध लिखिए।

उत्तर देखो कडिका १२।

अध्याय २

कर-दाताओ का निवास-स्थान

(अ) कर-दाताओका निवास-स्थानके अनुसार वर्गीकरण (Classification of Assessees on the basis of their residence) **— धाराएँ ४ए तथा ४बी**

१ धारा ४ (१) के अनुसार कर-दाता का दायित्व मुख्यत उसके निवास-स्थान पर निर्भर रहता है। निवास-स्थान के हिसाब से कर-दाता निम्न तीन श्रेणियो मे विभक्त किये जा सकते है —

(क) कच्चा निवासी (Resident but not ordinarily resident)

(ख) पक्का निवासी (Resident and ordinarily resident)

(ग) अनिवासी (Non-resident)

यही नही भिन्न-भिन्न कर-दाता भिन्न-भिन्न दशाओ मे भिन्न-भिन्न प्रकार के निवासी होते है। इसका विस्तृत विवरण नीचे किया जाता है।

२ (1) **व्यक्ति** (Individual) —

(क) कच्चा निवासी – आयकर अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति गतवर्ष मे भारतीय करक्षेत्र (जिसे अग्र वृत्तान्त मे "भारत" नाम से सम्बन्धित किया गया है।) का किसी गत वष के लिए कच्चा निवासी तभी समझा जाता है जबकि वह निम्न **चार शर्तों में से कोई भी एक शर्त** पूरी करता हो —

(१) उस गत वर्ष मे वह भारत मे १८२ दिन या इस से अधिक दिनो तक रहा हो, **या**

(२) उसने उस गत वर्ष मे भारत मे १८२ या इससे अधिक दिनो तक कोई रहने का मकान रखा हो **और** उस वर्ष मे वह भारत मे किसी भी समय आया हो, **या**

(३) वह गत चार वर्षो मे कुल मिलाकर भारत मे ३६५ दिन या इस से अधिक दिन रहा हो और उस वर्ष मे किसी भी समय भारत मे आया हो, परन्तु उसका इस प्रकार का आना सयोग-वश या आकस्मिक नही होना चाहिए, **या**

(४) वह उस गत वर्ष मे किसी भी समय भारत मे आया हो तथा आयकर अफसर को यह निश्चय हो जाय कि वह व्यक्ति भारत मे तीन साल से कम नही रहेगा।

(ख) पक्का निवासी —यदि कोई व्यक्ति किसी गत वर्ष के लिए **निम्न-लिखित तीनो शर्तें** पूरी करे तो वह उस गत वर्ष के लिए पक्का निवासी समझा जावेगा —

(१) वह ऊपर बताए हुए नियमो के अनुसार कच्चा निवासी हो, तथा

(२) वह गत १० वर्षो मे कम से कम ९ वष तक भारत का कच्चा निवासी रहा हो, **तथा**

(३) वह गत ७ वर्षोमे कम से कम २ वर्ष या अधिक समय तक भारत मे रहा हो।

(ग) अनिवासी —कच्चे निवासी होने के लिए ऊपरलिखी ४ शर्तों मे से यदि कोई व्यक्ति एक भी शर्त पूरी नही करता हो तो वह अनिवासी माना जायगा।

३ (ii) **अन्यकर दाता** (Other Assessees) —

(१) **हिन्दू अविभक्त परिवार** —इसका निवास-स्थान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते है —

(क) यदि किसी ऐसे परिवार का प्रबध **और** नियन्त्रण पूणतया भारत से बाहर हो तो ऐसा परिवार **अनिवासी** माना जाएगा।

(ख) यदि किसी परिवार के प्रबन्ध एव नियन्त्रण का कोई भी अश भारत में हो तो ऐसा परिवार कच्चा-निवासी माना जाएगा।

(ग) परिवार के **पक्का निवासी** माना जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका कर्ता कर-क्षेत्र का पक्का निवासी हो।

(२) **फर्म या अन्य जन-मडल** (Firm or other Association of persons) —

यदि गत वर्ष मे उसका समस्त प्रबन्ध या नियन्त्रण भारत के बाहर न हो तो उसे उस वर्ष के लिए 'कच्चा निवासी' माना जाता है। ऐसे 'कच्चे निवासी' स्वत ही **'पक्के निवासी'** मान लिये जाते हैं।

(३) **प्रमडल** (Company) —

एक कपनी भारत मे गत वर्ष के लिए तब निवासी समझी जाएगी जबकि निम्न २ शर्तो मे से वह **कोई भी एक** शर्त पूरी करे —

(क) उसका प्रबन्ध या सचालन पूर्ण रूप से कर-क्षेत्र मे रहा हो, **या**

(ख) वह भारतीय प्रमडल हो। (यह शत एक अप्रैल १९५८ से पुरानी शत के बदले म लागू की गई है।)

कोई कपनी यदि 'निवासी' है तो वह **'पक्का निवासी'** भी समझी जाएगी।

(ब) निवासके-स्थानके अनुसार कर-भार (Incidence of Taxation on the basis of residence) —

(४) भिन्न भिन्न कर-दाताओ को उनके निवास-स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न आय पर भिन्न भिन्न कर देना पडता है। प्रत्येक कर-दाता का उसके निवास-स्थान के अनुसार जो आय-कर दायित्व है वह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है —

कर का भार (Incidence of Tax)

(क) पक्का निवासी Ordinary Resident) (१)	(ख) कच्चा निवासी (Resident) (२)	(ग) अनिवासी (Non-resident) (३)
I भारतीय आय –		
(१) वह समस्त आय जो कर क्षेत्र (अर्थात् भारत) मे प्राप्त हुई है या उत्पन्न हुई है, अथवा जिसका प्राप्त होना या उत्पन्न होना भारतमे समझा गया है।	(१) वही जो खाने (१) मे है।	(१) वही जो खाने (१) मे है।
(२) वह समस्त आय जो भारत मे उपार्जित (accrued) या पैदा की गई है अथवा जिसका उपार्जन वा पैदा होना भारत मे माना गया है।	(२) वही जो खाने (१) मे है।	(२) वही जो खाने (१) मे है।
II विदेशी आय –		
(३) वह समस्त आय जो कर-दाता ने गतवर्ष मे कर-क्षेत्र से बाहर पैदा की है और जो गत-वर्ष मे ही कर-क्षेत्र मे लाई गई है।	(३) वही जो खाने (१) मे है।	

(४) वह समस्त आय ४,५०० घटाकर) जो कर-दाता ने भारत के बाहर विदेशो मे गत वष मे उत्पन्न की हे परन्तु जो भारत मे नही लाई गई हे।	(४) वह समस्त आय (४,५०० घटाकर) जो कर-दाता ने भारत के बाहर विदेशोने गतवष मे **भारत से सचालित व्यापार या पेशे** से उत्पन्न की है परन्तु जो भारत मे नही लाई गई है।
नोट — भारतीय वित्त अधिनियम १९५९ द्वारा भारत मे नही लाई गई विदेशी आय पर ४५००. की उपरोक्त तरीके से दी जाने वाली छूट १-४-६० से बन्द कर दी गई हे।	
(५) वह समस्त आय जो भारत के बाहर कर-दाता ने १–४–१९३३ को या इसके बाद और गत वष से पूर्व पैदा की है तथा जो जो गत वर्ष मे भारत मे लाई गई है। (कुछ शर्तें पूरी करने पर यह आय कर-मुक्त हो जाती है)	(५) वही जो खाने (१) मे है

प्रश्न सख्या २

एक करदाता जिसका कि गत वर्ष ३१ मई १९५९ को समाप्त होता है, की आय निम्न प्रकार है —

भारतीय आय

(१) वेतन ११,५०० रु०।
(२) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो से ब्याज ५०० रु० तथा अन्य सरकारी प्रतिभूतियो से ब्याज १००० रु० (सकल)।
(३) मकान से १००० रु० का नुकसान।
(४) एक अन रजिस्टर्ड फर्म से लाभ का हिस्सा १५००० रु०
(५) लाभाश (सकल) ६०० रु० तथा बैंक से प्राप्त ब्याज ४०० रु०।
(६) अविभक्त हिन्दू परिवार से अपने हिस्से की आय ३,००० रु०

विदेशी आय

(१) अफ्रीका से भारत भेजी गई आमदनी ५,००० रु०।
(२) ईरान मे किये गये व्यापार द्वारा आय (व्यापार भारत से सचालित है) १०००० रु० तथा मकान से आय २,००० रु०

गत वर्ष मे वह अफ्रीका से १९५२ मे बिना-कर लगी हुई आमदनी मे से १०००० रु० भारत मे लाया।

कर-निर्धारण वर्ष १९६०–६१ के लिए उसकी कुल आय तथा कुल विश्व-आय की गणना करो अगर — (अ) वह पक्का निवासी है, (ब) कच्चा निवासी है या (स) अनिवासी है।

उत्तर

भारतीय आय	अ रु०	ब रु०	स रु०
१ वेतन ८,७००+१,२००+१,६००	११,५००	११,५००	११,५००
२ प्रतिभूतियो का ब्याज कर-देय	१,०००	१,०००	१,०००
कर-मुक्त	५००	५००	५००
३ मकान से हानि (–)	१,०००	१,०००	१,०००
४ अन रजिस्टर्ड फर्म का हिस्सा	१५,०००	१५,०००	१५,०००
५ अन्य साधनो से आय लाभाश (सकल)	६००	६००	६००
बैक से प्राप्त ब्याज	४००	४००	४००
	२८,०००	२८,०००	२८,०००
विदेशी आय			—
१ पिछली कर नही दी हुई आय जो अफ्रीका से भारत मे इस वर्ष लाई गई है	१०,०००	१०,०००	
२ अफ्रीका की आमदनी जो भारत मे लाई गई है	५,०००	५,०००	
३ ईरान मे होने वाली आय जो भारत मे नही लाई गई है	१२,०००	१०,०००*	
कुल आय	५५,०००	५३,०००	२८,०००
(केवल भारत से सचालित व्यापार की आय ही) अविभक्त हिन्दू परिवार से प्राप्त हिस्सा			३,०००
विदेशी आय			१०,०००
कुल विश्व आय		रु०	४८,०००

प्रश्न

प्र १ भारतीय आयकर कानून ने कर-दाताओ को तीन श्रेणी मे विभक्त किया है – (१) पक्का निवासी, (२) कच्चा निवासी, तथा (३) अनिवासी या विदेशी ।

व्यक्ति, फर्म (साझेदारी सस्था), अविभक्त हिन्दू परिवार तथा कपनी के बारे मे उपरोक्त श्रेणियोको निश्चय करने की विधि बताइये ।

उ कडिका १ से ३ तक देखिये ।

प्र २ निम्न लिखित विवरण से एक व्यक्ति की कर निर्धारण वर्ष १९५९–६० के लिए कुल आय तथा विश्व आय निकालिए जब कि वह (१) पक्का निवासी है, (२) कच्चा निवासी है, अथवा (३) अनिवासी हे।

वेतन ८,००० रु०, प्रतिभूतियो का ब्याज २००० रु०, व्यापार से लाभ ५,०००, लाभाश (सकल) १,००० रु०, मकान से हानि १,००० रु०।

भारत मे लाई गई विदेशी आय १२,००० रु०, भारत मे नही लाई गई विदेशी आय — भारत से सचालित व्यापार से ८,००० तथा मकान से २,०००

उ कुल आय (१) ३२,५०० रु०, (२) ३०,५०० रु०, (३) १५,००० रु०। कुल विश्व आय ३७,००० रु०।

कर-मुक्त आय
EXEMPTED INCOME

१ अक्सर यह कहा जाता है कि आयकर अधिनियम एक बडा ही कठोर कानून है तथा इसका उद्देश्य कर-दाताओ से अधिकतम कर–वसूली है। परन्तु यह कथन निराधार है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कई ऐसी भी आय है जो सर्वथा कर-मुक्त है तथा कुछ ऐसी भी आय है जो आशिक रूप मे कर-मुक्त है। ऐसी आय का वर्णन विस्तृत रूपसे नीचे दिया जाता है।

I पूर्णतया कर-मुक्त आय (Fully Exempted Income)

२ **ऐसी आय जो आयकर तथा अतिरिक्त करसे पूर्णतया मुक्त है तथा जो कुल आयमे दर निश्चित करनेके लिए भी न जोडी जाए।** (Incomes wholly exempt from Income-tax and super-tax and not even included in total income for rate purposes) –धारा ४ (३) इत्यादि

(१) **धार्मिक या पुण्यार्थ जायदाद या व्यापारकी आय**

उस जायदाद की आय (इसमे व्यापार की आय भी शामिल है) जो ट्रस्ट या अन्य वैधानिक उत्तर दायित्वो के द्वारा धर्मार्थ या पुण्यार्थ कार्यो के लिए रखी जाती हो। ऐसी आय धर्मार्थ या पुण्यार्थ कार्योमे ही लगा दी जानी चाहिए।

(२) **धार्मिक या पुण्यार्थ सस्था द्वारा प्राप्त चदा**

किसी धार्मिक या पुण्यार्थ सस्था में जनता द्वारा स्वेच्छा से दिया हुआ चदा यदि वह चदा पूर्णतया उन्ही धार्मिक या पुण्याथ कार्यो मे खर्च किया जाय।

(३) **स्थानीय सत्ताकी आय** – स्थानीय सत्ता की वह आय जो उसकी सीमा मे किए गए कार्यो से प्राप्त होती है।

(४) **प्रोविडन्ट फन्डकी प्रतिभूतियोका ब्याज** – वह ब्याज जो १९२५ के कानून के अन्तर्गत किसी प्रोविडेन्ट फन्ड की प्रतिभूतियो से प्राप्त होता हो।

(५) **विशेष भत्ता** – यदि कर्मचारी को कोई यात्रा (मनोरजन भत्ते के अतिरिक्त) किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया है और वह

रकम कर्मचारी ने केवल अपने कर्तव्य पूर्ण करने मे ही खर्च की हो तो इस भत्ते की **केवल वह रकम जितनी उसने कर्तव्यपूर्ण करनेमें खर्च की है।**

(६) (अ) किसी ऐसे व्यक्ति को जो भारत का नागरिक नही है, उसके मालिक द्वारा **भारत से बाहर अपने घर जानेके लिए** स्वय, अपनी पत्नी तथा बच्चो के लिए प्राप्त हुई रकम तथा मुफ्त आने-जाने का मूल्य।

(ब) भारतके किसी नागरिक को अपने स्वय, पत्नी तथा बच्चो के लिए अपने मालिक द्वारा छुट्टियो मे **अपने घर जानेके लिए** यात्रा के सहायतार्थ दी गई कोई रकम।

(७) **आकस्मिक आय** (Casual Income)।

(८) **कृषि आय** (Agricultural Income)।

(९) **स्वीकृत प्रोवीडेन्ट फडकी आय** —इस प्रकार के फड के ट्रस्टियो द्वारा प्राप्त आय।

(१०) **प्रिवी पर्स आदिकी आय** — भारतीय रियासतो के राजाओ को प्रिविपर्स के रूप मे होने वाली आय, विदेशी राष्ट्रो के राजनैतिक कर्मचारियो की आय, विदेशी राष्ट्रो के दूतावास के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की आय, कामनवेल्थ के ट्रेड कमिष्नर अथवा किसी अन्य विदेशी देश के किसी भी अन्य सरकारी प्रतिनिधि या किसी अन्य कर्मचारी की आय।

(११) **भारतीय नागरिकोको विदेशी भत्ता** — भारतीय नागरिको को भारत के बाहर नौकरी करने के उपलक्ष मे सरकार द्वारा दिया गया किसी प्रकार का भत्ता। (यह छूट वित्त अधिनियम सन् १९५९ के द्वारा प्रवेश की गई है।)

(१२) **नैपाली फौजके सदस्यकी आय** — नैपाली फौजके किसी सदस्य का जो कि भारतीय सघीय फौज मे कार्यकर रहा है, वेतन अथवा उसकी कोई भी विदेशी आय जो कि ऐसे सदस्य द्वारा भारत मे लाई गई हो।

(१३) **एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन**—जो कि मुख्यतया श्रमिको एव मालिको तथा श्रमिको के पारस्परिक सम्बन्धो को नियन्त्रण करनेके लिए बनाई गई है, की ऐसी आय जो निम्न आय के शीर्षको के अन्तर्गत आती हो —

(अ) प्रति भूतियोका ब्याज,

(ब) जायदाद की आय, तथा

(स) अन्य साधनो की आय।

(यह छूट वित्त अधिनियम सन् १९५८ के द्वारा प्रवेश की गई है।)

(१४) **विशेष जायदादकी आय :—** इस प्रकार के मकान के बनने के बाद दो वर्ष तक के किराये की आय जो जोकि ३१–३–१९४६ के बाद और १–४–१९५६ के पहले बनाया गया हो।

(१५) **वैज्ञानिक अनुसधान सघकी आय** – इस प्रकार के स्वीकृत वैज्ञा निक सघ की वह आय जो पूर्ण रूपसे सघ उद्देश्यो के लिए लगाई जाती है और जो ३१ मार्च १९४९ के बाद प्राप्त या उत्पन्न की गई है।

(१६) **किसी विदेशी उद्यमके कर्मचारीका वेतन —** एक विदेशी उद्यम (Enterprise) के किसी कर्मचारी की भारत मे रहते हुए की गई सेवाओ के उपलक्ष मे प्राप्त की गई आय यदि (१) वह विदेशी उद्यम भारत मे किसी भी प्रकार का व्यापार या पेशा न करता हो तथा (२) वह कर्मचारी भारत मे ९० दिन से अधिक न रहा हो।

(१७) **विदेशी प्रविधिज्ञोका पारिश्रमिक** (Remuneration of Foreign Technicians)— विदेशी प्रविधिज्ञो की कुछ सीमित समय की आय (अर्थात् उसके भारत आने के साल तथा उसके बाद के एक साल तक की आय) जो कि भारतीय निजी उद्योगो से प्राप्त की गई हो यदि वह विदेशी प्रविधिज्ञ भारत मे आने के पूर्व ४ वर्षो मे कभी भी भारत का निवासी नही रहा हो।

यदि भारत मे उस वर्ष मे जब कि वह आया हो तथा उसके अगले वर्ष मे कुल मिलाकर ३६५ दिवस या अधिक रहा हो तो यह छूट उसके आने के बाद से ३६५ दिन तक सीमित रहेगी। परन्तु यदि उसकी नौकरी का समझौता सरकार द्वारा स्वीकृत है तो यह छूट उसके भारत मे आने वाले साल तथा उसके अगले दो वित्त वर्षो तक लागू रहेगी।

(१८) **किसी व्यक्ति की ऐसी आय जो उसको किसी विदेशी सरकारसे प्राप्त** हो तथा **जिसकी सेवाएँ किसी सहकारी प्रावैधिक कार्यक्रम अथवा परियोजना** (Cooperative Technical Programme or Project) के अन्तर्गत भारतको दी गई हो।

(१९) **ऐसे किसी ऋण-पत्र का ब्याज या उसके भुगतान पर दिया गया प्रीमियम** जो केन्द्रीय सरकार ने अपने तथा अर्न्त-राष्ट्रीय बैंक के समझौते के अन्तर्गत जारी किए हो और जिस पर ब्याज दिये जाने की भारतीय सरकार द्वारा प्रत्याभूति (Guarantee) दी गई हो। **यह केवल अनिवानी के लिए ही है**

(२०) **दस वर्षीय ३½% ट्रेजरी सेविंग्स डिपोजिट सर्टिफिकेट्स का ब्याज** जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके आदेश द्वारा प्रचलित किए गये हो।

(२१) पॉस्ट ऑफिस सेविंज बैंक, पोस्टऑफिस केश सार्टिफिकेट्स, पो आ नेशनल सेविंज सार्टिफिकेट्स तथा पो आ नेशनल प्लान सार्टिफकेट्स का ब्याज।

(२२) वित्त अधिनियम (नम्बर २) सन् १९५७ ने **ऐसे ब्याजकी रकमो** पर जो निम्न प्रकारके उधार तथा ऋणो पर दी जाती है, यह नई छूट प्रवेश की है —

(क) **सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी** (local authority) द्वारा किसी अनिवासी या भारत के बाहर स्थित किसी सस्था द्वारा भारत के बाहर के स्रोतो से प्राप्त ऋणपर,

(ख) किसी **भारतीय औद्योगिक उद्यम** द्वारा किसी ऐसे **ऋण-समझौतेके अर्न्तगत** जो कि **विदेश मे किसी ऐसी वित्त सस्था** (financial institution) जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष हुक्म द्वारा स्वीकृत हो, के साथ किया गया हो **प्राप्त ऋण की रकम** पर, तथा

(ग) **किसी भारतीय औद्योगिक उद्यम** (Indian Industrial undertaking) द्वारा भारत के बाहर पून्जी तथा मशीनरी सयन्त्र (Capital Plant Machinery) खरीदने के सम्बन्ध मे ली या की गई ऋण या उधार (loan or debt incurred) की रकम पर (यदि साधारण रूप से उस ऋण या उधार की शर्तों को तथा विशेष कर उसकी **वापसी की शर्तों** (terms of repayment) को ध्यान मे रखकर केन्द्रीय सरकार ने उसे स्वीकार किया हो।) ।

(२३) **उन सब प्रतिभूतियोका ब्याज जो कि लका के केन्द्रीय बैंक के निर्गम विभाग** (Issue Department) के पास है।

(२४) वे सब **दैनिक भत्ते** जो किसी व्यक्ति को उसके अधिराज्य (dominion) विधान सभा या सविधान सभा या ससद या

राजकीय-विधान सभा या उनके किसी कमेटी की सदस्यता के कारण मिलते हो।

(२५) १–४–१९३८ के पहले जारी किये हुए किसी ऋण पर दिया हुआ **किसी अनिवासी को ब्याज।**

(२६) आसाम के कुछ निश्चित आदिम वासी क्षेत्रो मे रहने वाले **किसी आदिवासियोकी आय।**

(२७) **वीरता पुरस्कार** (Gallantry awards) **के विजेताओ** को केन्द्रीय सरकार या किसी राजकीय सरकार द्वारा नकद रूप मे अथवा वस्तु रूप मे किए गये भुगतान का मूल्य। – धारा ४ (३)

(२७) **हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य की आय** किसी ऐसे हिन्दू परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय मे या अविभाजित सम्पत्ति मे से आमदनी का हिस्सा जो उसे मिला हो–धारा १४(१)।

(२८) **स्वीकृत सुपरएनुएशन फड की आय** – धारा ५८ आर।

II **आशिक कर-मुक्त आय** (Partly Exempted Income) —

(क) ३ **वह कर-मुक्त आय जो कुल आयमे केवल आयकर की दर निकालने के लिओ जोडी जाती है** (Income Exempt from income-tax and super-tax but included in the total income for rate purposes only) – ऐसी आय निम्न है —

(१) उस **सहकारी समिति** (co-operative society) की जो बीमा व्यापार न करती हो निम्न प्रकार की आय —

(अ) उसके व्यापार का लाभ।

(ब) सूद या लाभाश (dividends) जो उसे दूसरी सहकारी समिति मे रुपया लगाने से प्राप्त हुआ हो।

(स) ममिति के गोदाम (ware houses) का किराया। तथा

(द) प्रतिभूतियो के सूद तथा जायदाद के किराये से आय यदि समिति की कुल आय २५००० रु० से अधिक नही है, तथा वह समिति कोई मकान – समिति या नगर उपभोक्ता समिति अथवा यातायात व्यापार करने वाली समिति नही है।

(२) एक सदस्य द्वारा प्राप्त सहकारी समिति से लाभाश।

(३) कानून द्वारा स्थापित वस्तुओ के विपणन हेतु (for marketing of commodities) किसी भी सस्था द्वारा गोदाम इत्यादि का किराया।

(ख) ४ **वह आय जो आय-करसे मुक्त है परन्तु अतिरिक्त-करसे नहीं तथा जो कुल आयमें जोडी जाती है** (Income exempt from income-tax but not from super-tax and included in the total Income) ऐसी आय निम्न प्रकार की है —

(१) किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन मे से उसको या उसके परिवार को वार्षिक वृत्ति (Annuity) देने के लिए सरकार द्वारा काटी गई रकम (वेतन के $\frac{1}{5}$ हिस्से तक)।

(२) केन्द्रीय तथा राजकीय सरकारो की कर-मुक्त प्रतिभूतियो का ब्याज।

(३) (अ) अन रजिस्टर्ड फर्मके साझेदार का लाभ तथा रजिस्टर्ड फर्म के अनिवासी का हिस्सा तथा अन्य जन-मडल के सदस्य की उस मडल से प्राप्त आय यदि उस हिस्से पर कर दे दिया गया है।

(ब) रजिस्टर्ड फर्म के साझेदार के लाभ के हिस्से पर दिया गया रजिस्टर्ड फर्म द्वारा आयकर।

(४) **जीवन बीमा का प्रीमियम** (बीमा पॉलिसी की पूरी रकम के $\frac{1}{4}$ हिस्से तक) किसी व्यक्ति के अपने या उसकी स्त्री के जीवन बीमा पर तथा हिन्दू अविभक्त परिवार के किसी पुरुष या स्त्री के बीमा पर।

(५) **सन् १९२५ के प्रोविडेन्ट फड ऐक्ट के अन्तंगत स्थापित** किसी प्रोविडेट फड मे कर्मचारी द्वारा दिया गया चदा।

(६) **स्वीकृत प्रोविडेन्ट फडमे दिया हुआ कर्मचारी द्वारा** अपने हिस्से का चदा।

(७) **सुपर अनुएशन** फडमे कर्मचारी द्वारा दिया हुआ चदा।

नोट — (४), (५) (६), तथा (७) मे कर-मुक्ति के लिए लिखी गई रकमो की कुल जोड एक व्यक्ति के लिए उसकी आमदनी के $\frac{1}{4}$ भाग या ८००० (जो भी कम हो) तथा एक हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए उसकी आमदनी के $\frac{1}{4}$ भाग अथवा १६,०००) (जो भी कम हो) से अधिक नही हो सकती।

(ग) ५ वह आय जो अतिकरसे मुक्त है किन्तु आयकरसे नहीं तथा जो कुल आयमे जोडी जाती है (Income which is exempt from Super-tax but not from Income-tax and included in Total Income) —

(१) **एक कम्पनी** द्वारा ३१–३–१९५२ के पश्चात् बनी हुई किसी **भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभाश** जब कि (अ) केन्द्रीय सरकार इस बात से सतुष्ट हो जाय कि वह भारतीय कम्पनी कुछ उल्लेखित उद्योगो (जैसे लोहा व इस्पात, कोयला, सीमेट इत्यादि) मे पूर्ण तया अथवा मुख्यकर लगी हुई है, तथा (ब) यदि धारा १५ सी उस भारतीय कपनी पर लागू की जा सके तो उस कपनी की आय उस धारा के अन्तगत कर-मुक्त हो सकती हो।

(२) विनियोग प्रन्यास प्रमडलो (Investment trust Companies) की कुल आय का वह भाग जो उन्हे दूसरे प्रमडलो से लाभाश के रूप मे प्राप्त हुआ है।

(घ) ६ पुण्यार्थ दिए हुए दान (Charitable Donations) **धारा १५ बी**

१–४–१९५३ से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी पुण्यार्थ सस्था मे दिया हुआ चदा कर-मुक्त है। यह छूट निम्न लिखित शर्तो पर निभर है।

(१) दान की रकम २५० रु० से कम न हो।

(२) दान की कुल रकम कुल आय (कर–मुक्त आय घटानेके बाद) के ५% से अधिक न हो।

(३) चदे की कुल रकम किसी भी दशा मे १,००,००० रु० से अधिक नही हो।

(४) दान की रकम औसत दर के लिए कुल आय मे जोडी जाती है और उपरोक्त नियमो के अनुसार दान की रकम पर औसत दर से छूट दी जाती है। **कर की छूट कर-मुक्त आय की रकम के आधे भार से अधिक नहीं मिल सकती।**

(५) **कपनी द्वारा दी गई दानकी रकम केवल आय-कर से मुक्त है,** अतिकर से नही। अन्य करदाताओ द्वारा दिया गया दान आय-कर व अतिकर दोनो से ही मुक्त है।

(६) पुण्यार्थ सस्था ऐसी हो जो निम्न शर्ते पूरी करती हो —

(अ) उसकी आय धारा ४ (३) के अधीन कर-मुक्त है।

(ब) जो किसी विशेष जाति या सम्प्रदाय के हित के लिए नही है।

(स) जो कि अपने नियमित पूण हिसाब-किताब रखती हो, तथा

(द) जो कोई सार्वजनिक हितकारी सस्था है या सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम १८६० या भारतीय कपनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड हुई है या कोई ऐसी सस्था है जिसकी पूर्णतया अथवा कुछ अश मे सरकार या स्थानीय सत्ता द्वारा आर्थिक व्यवस्था है।

(ड) ७ नए औद्योगिक उद्यम (New Industrial Undertakings) **धारा १५सी —**

नए औद्योगिक उद्योगो की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिअे उनके पूजी पर ६% लाभ पॉच वर्ष की अवधि तक आयकर तथा अतिरिक्त कर दोनो से मुक्त कर दिए गए है। किन्तु यह आय कुल आय मे दर निकालने के लिए जोडी जाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसा उद्यम १–४–१९४८ से १३ वर्ष तक कभी भी अपना उत्पादन–कार्य आरम्भ क रे। अन्यशर्तें नीचे दी जाती है —

(१) ऐसा उद्यम किसी पूर्व स्थापित उद्यम का अग नही है।

(२) यदि वह उद्यम शक्ति का प्रयोग करता है तो कामकरनेवालो की सख्या कम से कम १० अन्यथा २० होनी चाहिये।

प्रश्न

प्र १ निम्न लिखित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए —

(१) पूण्यार्थ दिये हुए दान पर कर की छूट।

(२) नए औद्योगिक उद्यम पर कर की छूट।

(३) (१) देखो कडिका ६

(२) देखो कडिका ७

प्र २ उन सब आय का विवरण कीजिए जो कि आयकर तथा अतिरिक्त कर से पूर्ण तया मुक्त है तथा जो कुल आय मे दर निश्चित करने के लिए भी नही जोडी जाती है।

३ देखिए कडिका २

दूसरा भाग

आयके शीर्षक

(HEADS of INCOME)

अध्याय ४

वेतन : धारा ७

SALARIES

१ पिछले एक अध्याय मे हम देख चुके है कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आय के कुछ शीर्षक निर्धारित है जिनके अन्तर्गत होने वाली आय पर ही आय कर लगाया जाता है, अन्य पर नही। ऐसे शीर्षको मे से सर्व प्रथम शीर्षक वेतन का है।

२ **वेतन सम्बन्धी ज्ञातव्य बाते** —वेतन शीर्षक के अन्तगत आय को मालूम करने के लिए हमे निम्न लिखित बातो को पूण रूप से ध्यान मे रखना चाहिये –

(१) भारत की केन्द्रीय या राजकीय सरकार, कपनी, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य भारतीय जन मडल या निजी मालिक द्वारा दिया हुआ वेतन ही इस धारा के अन्तगत वेतन माना जाकर कर योग्य है। अत **विदेशी सरकार द्वारा किसी भारतीय या अन्य कर्मचारीको दिया जानेवाला वेनन इस धारा के अन्तंगत कर-योग्य नहीं है।**

(२) वेतन विशेष (Salary proper) मजदूरी (wages), बोनस एन्यूटी, ग्रेचूटी, पेशन, फीस, कमीशन, अन्य प्रतिफल (perquisite) तथा वेतन के स्थान पर या साथ मे लाभ का हिस्सा, अन्य भत्ता या ऊपरी आमदनी भी वेतन मे शामिल है।

(३) वेतन लेने वाले तथा देने वाले के बीच कर्मचारी तथा मालिक का सम्बन्ध होना आवश्यक है।

(४) पेशगी तनख्वाह भी वेतन मे जोडी जाती है। वेतन की विशेषता यह है कि **उस वेतन पर जो कि देय या बाकी है चाहे वह प्राप्त किया गया नही तथा उस वेतन पर जो कि प्राप्त किया गया है चाहे वह देय (due) हो या नहीं, कर लगाया जाता है।**

(५) कर्मचारी को पेशन के स्थान पर मिला हुआ एकत्रित धन कर-मुक्त है।

(६) कर्मचारी को १६–४–१९५० के पश्चात् केन्द्रीय या राजकीय के सशोधित पेशन नियम के अनुसार मिली हुई ग्रेचुटी (death cum retirement gratuity) तथा वैधानिक प्रोविडेंट फड, स्वीकृत-प्रोविडेंट फड या सुपर एनुएशन फड से प्राप्त सचित रकम कर-मुक्त है।

(७) प्रोविडेंट फड या जीवन बीमा के प्रीमियम सम्बन्धी सभी मुख्य नियमो का ज्ञात वेतन की कर-योग्य निकालने के लिए आवश्यक है। इनका वर्णन नीचे दिया जाता है।

३. प्रतिफल (Perquisites) —**धारा ७ (१) अर्थ १**

प्रतिफल का अर्थ होता है वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य भत्ता या किसी प्रकार का फायदा। इस धारा के अन्तर्गत निम्न प्रकार के प्रतिफल वेतन की आय मे सम्मिलित किए जाते है —

(१) (अ) **किराया-मुक्त मकान** (Rent—Free house) का मूल्य जो कि वेतन का १०% (यदि मकान असुसज्जित (un-furnished) है) अथवा १२½% (यदि मकान सुसज्जित (furnished) है) भाग के बराबर माना जाता है।

(ब) मकान **किराया-भत्ता** (House Rent Allowance) की पूरी रकम चाहे वह कितनी भी क्यो न हो।

(२) किसी कपनी द्वारा किसी सचालक अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कपनी मे वास्तविक हित हो, **मुफ्त या कम कीमत पर दी गई सुविधा।**

(३) किसी भी कर-दाता को, जिसकी वेतन से आय १८,००० रु० प्रति वर्ष से अधिक है, कोई **मुफ्त या कम कीमत में दी गई सुविधा।**

(४) मालिक द्वारा ऐसे **दायित्व का भुगतान जो कर-दाता को करना पडता है।**

(५) मालिक द्वारा दिया गया कर-दाता के जीवन बीमे का प्रीमियम अथवा मालिक द्वारा कर्मचारी के वेतन पर लगाए गये आयकर की रकम।

४. वेतनके स्थान पर लाभ (Profits in lieu of Salary) **धारा ७ (१) अर्थ २ —**

(अ) कर्मचारी को नौकरी छोडने पर **हर्जानेकी नकद या किसी अन्य रूप में मिली हुई रकम** वेतन मे सम्मिलित की जाती है।

(ब) अस्वीकृत प्रोविडेन्ट फड से नौकरी के अन्त मे प्राप्त रकम का केवल **मालिक द्वारा दिया हुआ चदेका हिस्सा तथा इस पर व्याज** वेतन मे जोडा जाता है।

५ **वेतनमे से कटौतियाँ** (Deductions fom Salaries)—**धारा ७(२)**

वेतन की कुल आय निकालने के लिए निम्न कटौतियाँ दी जाती है –

(अ) अपने वेतन मे से ५०० रु० तक की रकम जो **पुस्तक या अन्य प्रकाशनो** पर (जो कि उसके कर्त्तव्य पालन के लिए सहायक हो) कर-दाता द्वारा खर्च की गई हो।

(ब) **मनोरजन भत्ता** (Enter tainment Allowance) कर-दाताके वेतन (विशेष भत्ते प्रतिफल इत्यादि रकम के अलावा) के २०% भाग या ५,०००) रु० सरकारी कर्मचारी के लिए तथा ७,५०० अन्य कर्मचारियो के लिए (जो भी कम हो) यदि उस कर-दाता को ऐसा भत्ता सन् १९५५–५६ से पहले भी मिलता रहा हो।

(स) यदि कोई कर्मचारी अपना निजी वाहन (own conveyance) रखता हो तथा उसे अपने सेवायोजन (employment) के लिए इस्तेमाल करता हो तो उसे उस वाहन पर किए हुए खर्च की उस राशि पर छूट मिलेगी जो कि आयकर अफसर प्राक्कलित (estimate) करे।

(द) कर्मचारी द्वारा वेतन के अतिरिक्त प्राप्त कोई **भत्ता या अन्य ऐसी रकम जो उसे अपने मालिक के लिये और विशषतया अपने कर्तव्य-पालन करने में खर्च करनी पडती है** । (केवल उतनी ही रकम जो वास्तवमे खर्च हुई हो)

प्रश्न सख्या ३ —एक व्यक्ति एक व्यापारी गहृ मे निम्न शर्तों पर नौकरी करता है --

(१) २००० रु० मासिक वेतन।

(२) ५%कमीशन पक्के लाभ पर, (पक्का लाभ — १,००,००० रु०)।

(३) मोटरकार भत्ता १०० रु० मासिक

(४) मालिक की ओर से एक असुसज्जित किराया — मुक्त मकान।

इसके अलावा उसे पुरानी बीकानेर स्टेट से २५० रु० प्रतिमास पेशन मिलती है।

उस कर्मचारी की वेतन से कुल आय क्या होगी ?

उत्तर – कर्मचारीका वेतन	रुपया
१२ मास का वेतन — २००० रु० प्रति मास की दर से	२४,०००
कमीशन ५% की दर से १,००,००० रु० पर	५,०००
मोटर कार भत्ता १०० मासिक	१,२००
किराया मुक्त मकान की कीमत (वेतन का दसवाँ भाग = $\frac{1}{10}$ × २४,००० + ५००० + १,२०० = $\frac{1}{10}$ × ३०,२००) =	३,०२०
पेंशन २५० रु० प्रति मासकी दरसे	३,०००
वेतन की कुल आय	रू० ३६,२२०

६ प्रोविडेंट फड (Provident Funds)

वेतन शीर्षक की कुल आय निकालने के लिए यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि प्रोविडेट फड कितने प्रकार के होते है तथा उनसे सम्बन्धित कमचारियो की आय मे प्रोविडेट फड की कौन सी रकम जोडी जाती है और कौनसी नही। प्रोविडेट फड मुख्यतया तीन प्रकार के होते हे —

(१) वैधानिक प्रोविडेन्ट फड।

(२) स्वीकृत प्रोविडेन्ट फड।

(३) अस्वीकृत प्रोविडेन्ट फड।

इनके बारे मे विस्तृत वर्णन नीचे दिया जाता है –

७ वैधानिक प्रोविडेंट फड (Statutory Povident Fund) ·

(अ) **परिभाषा** वैधानिक प्रोविडेन्ट फड वह है जिसपर प्रोविडेन्ट फड अधिनियम १९२५ लागू होता है। यह फड स्थानीय प्राधिकारियो, विश्वविद्यालयो, सरकारी कार्यालयो तथा नगर पालिकाओ द्वारा रक्खा जाता है।

(ब) **वेनन मे जोडो जाने वाली रकमें** केवल कर्मचारी का निजी चदा (employee's own contribution) वेतन मे जोडा जाता है। ऐमे प्रोविडेन्ट फड मे मालिक द्वारा दिया हुआ चदा तथा ब्याज वेतन मे नही जोडे जाते, वे सवथा कर-मुक्त है। नौकरी छोडने पर सम्पूर्ण सचित रकम जो कर्मचारी को प्राप्त होती है वह भी पूर्णतया कर-मुक्त है।

(स) **कर-मुक्त आय** कर्मचारीका निजी चदा व जीवन बीमे का प्रीमियम दोनो मिला कर कुल आय के $\frac{1}{4}$ भाग या ८,००० रु० तक (जो भी कम हो) आयकर से (अतिरिक्त करसे नही) मुक्त है।

८ स्वीकृत प्रोविडेंट फड (Recognised Provident Fund)

(अ) **परिभाषा** कुछ नियमो का पालन होने पर जब कोई प्रोविडन्ट फड आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो अुसे स्वीकृत प्रोविडन्ट फड कहते हैं। –धारा ५८ सी।

(ब) **वेतन में जोडी जाने वाली रकमे** (1) कर्मचारी द्वारा इस फड मे जमा कराया हुआ चदा, (ii) मालिक द्वारा दिया गया चदा यदि वह कमचारी के वेतन के १०% भाग से अधिक है, तथा (iii) फड की सचित राशि पर वेतन के $\frac{1}{3}$ भाग से अधिक अथवा ६% दर से अधिक दिया गया ब्याज।

(स) **कर-मुक्त आय** (१) कर्मचारी का चदा मूल वेतन के $\frac{1}{?}$ भाग से नही) मुक्त है। (२) कर्मचारी का चदा तथा जीवन बीमे तक आय कर से अति कल का प्रीमियम दोनो मिलाकर कुल आय के $\frac{1}{4}$ भाग या ८,००० रु० तक (जो भी कम हो) आयकर से (अतिरिक्तकर से नही) मुक्त है।

९ अस्वीकृत प्रोविडेंट फड (Unrecognised Provident Fund)

(अ) **परिभाषा** जो प्रोविडेन्ट फड आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत नही है वह अस्वीकृत प्रोविडेन्ट फड कहलाता है।

(ब) **वेतन में जोडी जाने वाली रकमें** (1) केवल कर्मचारी का स्वय का चदा, मालिक द्वारा दिया गया चदा अथवा ब्याज प्रति वर्ष नही जोडे जाते। (ii) कर्मचारी के नौकरी छोडते समय सपूर्ण रकममे से **मालिक द्वारा दिये गये चदे तथा उस पर दी गअी ब्याज की रकम**वे तन मे जोडी जाती हे।

(स) **छूट** केवल जीवन बीमे का प्रीमियम कुलआय के $\frac{1}{4}$ भाग या ८,००० रु० (जो भी कम हो) आयकर से (अतिरिक्त कर से नही) मुक्त है। अन्य किसी भी प्रकार की छूट चदे या ब्याज के बाबत नही दी जाती है।

१० जीवन बीमे के प्रीमियम पर छूट (Exemption on account of Life Insurance Premiums) **धारा १५**

(अ) जीवन-बीमा का प्रीमियम, यदि करदाता व्यक्ति है तो उसके स्वय के या उसकी पत्नी या पति के जीवन बीमा के लिए कुल आय के $\frac{1}{4}$ हिस्से या ८००० रु० तक (जो भी दोनो मे से कम है) आयकर (अति-कर से नही।) मुक्त है। यदि कर दाता सयुक्त हिन्दू परिवार है तो उस परिवार के किसी भी पुरुष व स्त्री के जीवन बीमा की प्रीमियम उस परिवार की कुल आय के $\frac{1}{4}$ हिस्से या १६,००० रु० तक केवल आयकर से ही मुक्त है।

(ब) प्रीमियम जीवन-बीमा पॉलिसी की पूरी रकम के १०% भाग से अधिक कभी नही होना चाहिए।

(स) यदि प्रीमियम की रकम का भुगतान ऐसी रकम से किया गया है जो कि भारतीय आयकर अधिनियम के अतर्गत कर योग्य नही है तो ऐसी रकम पर कोई भी छूट नही दी जाती।

नोट – सुपर एनुएशन फड के चदे पर बीमा प्रीमियम की ही तरह छूट दी जाती है।

प्रश्न सख्या ४ – कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६० के लिए श्री 'अ' की आय इस प्रकार है —

(१) १,००० प्रति मास वेतन।

(२) १,५०० रु० वार्षिक बोनस।

(३) १,००० रु० वार्षिक मल्य तक का किराया-मुक्त मकान।

(४) १०% वेतन-प्रोविडेन्ट फड के चदे के रूप मे।

(५) १५% चदा मालिक द्वारा (प्रोविडेन्ट फड में)।

(६) ८% वार्षिक दर से फड की सचित राशि पर ८०० रु० ब्याज।

(७) अपनी ३६,००० रु० की जीवन बीमा की रकम पर ४००० रु० वार्षिक-प्रीमियम की रकम।

(८) अन्य साधनो से आय १,५०० रु०

ऊपर के विवरणानुसार श्री 'अ' का आयकर दायित्व क्या होगा यदि वह (अ) वैधानिक प्रोविडेन्ट फड, या (ब) स्वीकृत प्रोविडेन्ट फड, या (स) अस्वीकृत प्रोविडेन्ट फड का सदस्य है।

उत्तर कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६० के लिए श्री 'अ' का कर-

दायित्व

आवक विवरण	कुल रकम रुपयो मे		
	वैधानिक प्रोविडेन्ट फड (अ)	स्वीकृत प्रोविडेन्ट फड (ब)	अस्वीकृत प्रोविडेन्ट फड (स)
१२ मास का वेतन १०००) प्रति मास	१२,०००)	१२,०००)	१२,०००)
,, ,, ,, बोनस	१,५००)	१,५००)	१,५००)
किराया मुक्त मकान की कीमत	१,०००)	१,०००)	१,०००)
प्रोविडेन्ट फड मे १०% वेतन से ज्यादा मालिक द्वारा दिया गया चदा	—	६००)	—
प्रोविडेन्ट फड का ६% से अधिक ब्याज	—	२००)	—
वेतन की आय	१४,५००)	१५,३००)	१४,५००)
अन्य साधनो स आय	१,५००)	१,५००)	१,५००)
कुल आय	१६,०००)	१६,८००)	१६,०००)
कर मुक्त आय			
१ कर्मचारी का चन्दा	१,२००)	१,२००)	—
२ जीवन बीमा प्रीमियम (वार्षिक प्रीमियम पॉलिसी के १०% भाग तक कर-मुक्त है)	२,८००)	३,०००)	३,६००)
	४,०००)	४,२००)	३,६००)

प्रश्न

प्र० १ प्रोविडेन्ट फड के चदे एव ब्याज तथा जीवन बीमे के प्रीमियम पर आयकर से क्या और कितनी छूट मिलती है ?

उ० देखो कडिका ६ से १० तथा प्रश्न न० ४

प्र० २ वेतन मे से कौन कौन सी कटौतिया दी जाती है।

उ० देखो कडिका ५

प्र० ३ सक्षिप्त टिप्पणी लिखो —

(अ) प्रति फल।

(ब) वेतन के स्थान पर लाभ।

(स) स्वीकृत प्रोविडेन्ट फड।

उ० (अ) देखो कडिका ३। (ब) देखो कडिका ४। (स) देखो कडिका ८।

प्र० ४ श्री सुभाष चन्द्र आशा पब्लिशिग हाऊस अहमदाबाद मे मेनेजर है। उनकी गतवर्ष १९५८–५९ के लिए आय के विवरण निम्न प्रकार है —

(१) वेतन ५००) मासिक।

(२) स्वीकृत प्रोविडेन्ट फड मे चदा — वेतनका ६$\frac{१}{४}$%।

(३) मालिक का चन्दा भी इतना ही है।

(४) फड की सचित राशि पर ब्याज २००)।

(५) दो मास के वेतन के बराबर बोनस।

(६) मकान-किराया भत्ता १००) मासिक।

(७) जीवन बीमेका प्रीमियम ५००)।

आप उनकी (१) वेतन से कुल आय, तथा (२) कर मुक्त आय, कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६० के लिए निकालिए।

उ० (१) ८,२००) (२) ८७५)

प्र० ५ गत वर्ष समप्ति ३१–३–५९ के लिए श्री सुरेश चन्द्र, सरकारी कर्मचारी, के आय के विवरण निम्न प्रकार है।

(अ) वेतन १,०००) मासिक, यात्रा-भत्ता बिल २,०००) यात्रामे वास्तविक खर्च १,५००)।

(द) उनका तथा सरकार का प्रोविडेन्ट फड मे चन्दा – ६$\frac{१}{४}$% फड की सचित राशि पर ब्याज ७८०), जीवन बीमे का प्रीमियम ३०००)।

(स) वर्ष भर मकान-किराया भत्ता – वेतन का १५%

उनकी कुल आय तथा कर-मुक्त आय निकालिए।

उ० **कुल आय** १४,३००)।

कर-मुक्त आय - ३,५७५)=(प्रोविडेन्ट फड मे स्वयका चदा ७५०)+ जीवन बीमे का चदा २,८२५)

अध्याय ५

प्रतिभूतियो का ब्याज : धारा ८

INTEREST ON SECURITIES

१ मुख्य बातें

(१) इस आयके शीर्षक के अन्तर्गत केवल केन्द्रीय और राजकीय **सरकारो की प्रतिभूतियो पर तथा स्थानीय अधिकारियो** (local authorities) **तथा कपनियो के ऋण-पत्रो** (Debentures) पर प्राप्त ब्याज की आय आती है। अन्य किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियो का ब्याज अिस शीर्षक के अन्तर्गत नही लिया जाता।

(२) इस शीर्षक के अन्तर्गत ब्याज पर तब तक कर नही लगाया जाता जब तक कि उस ब्याज का हकदार उसे प्राप्त न कर ले।

(३) प्रति भूतियो से ब्याज किन्ही निश्चित तिथियो पर ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए आयकर के लिए उस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है जो कि उन तिथियो पर उन प्रतिभ्तियो का मालिक है।

(४) इस सम्बन्ध मे ब्याज सहित तथा ब्याज रहित सोदो (Cum-int or cum-div and ex-int or ex-div transactions) को बिलकुल ध्यान मे नही रखा जाता।

(५) **कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो का ब्याज** (Interest from tax-free Govt securities) कुल आय मे दर बढाने के लिए ही जोडा जाता है अन्यथा वह आय कर से (अतिकर से नही) मुक्त है। इन प्रतिभूतियोके ब्याज मे से उधार ली गई रकम का ब्याज तथा प्रतिभूतियो के ब्याज को वसूल करने के उपलक्ष्य मे दिया गया कमीशन घटा कर ही शेष ब्याज को कुल आय मे जोडा जाता है तथा उसी रकम पर ही छूट मिलती है। **अन्य किसी भी प्रकार की कर-मुक्त प्रतिभूतियो पर कोई भी छूट नहीं दी जाती।**

(६) प्रतिभूतियो के बेचने से हुआ लाभ या नुकसान पूजीगत लाभ या नुकसान है परन्तु यदि कर-दाता का व्यवसाय ही प्रतिभूतियो को खरीदना या बेचना है तो ऐसे लाभ तथा नुकसान को उसकी कुल आय मे शामिल किया जायगा।

(७) प्रतिभ्तियो के ब्याज पर निर्गम के स्थानपर ही कर काट लिया जाता है। इसलिए ब्याज की रकम को सकल (Gross-up) करके ही कुल आय मे जोडा जाता है।

२ प्रतिभूतियो के ब्याज में से कटौतियाँ (Deductions from Interest on Securities) :—

प्रति भूतियो से कर-योग्य ब्याज का लेखा करते समय निम्नलिखित कटौतिया दी जाती हैं —

(अ) प्रतिभूतियोके ब्याज **वसूल करने के उपलक्ष** मे बैंक या किसी भी अन्य व्यक्ति को दिया गया **कमीशन**।

(ब) प्रतिभूतियो के खरीदने के लिए यदि कोई रकम उधार ली जावे तो **उस उधार की रकम पर दिया गया ब्याज**।

प्रश्न सख्या ५ —

'ज' के विनियोग (Investments) गतवर्ष सन् १९५८–५९ मे निम्न लिखित थे —

(क) १०,०००) ३% कर-मुक्त सरकारी ऋण।
(ख) २०,०००) ४% म्यूनिसिपल ऋण-पत्र।
(ग) ३०,०००) ५% जूट मिल कपनी के ऋण-पत्र।
(घ) ४०,०००) ६% एक कपनी के प्रीफ्रेस शेयर।

"ज" के बैंक ने ब्याज सग्रह करने के लिए २००) कमीशनके लिए। 'ज' को १०००) उस ऋण के ब्याज के देने पडे जो उसने जूट कपनी के ऋण-पत्रो को खरीदने के लिए लिया था। ब्याज १ जनवरी तथा १ जुलाई को मिलता है। 'ज' की प्रतिभूतियो से ब्याज की आय निकालिये।

उत्तर कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६०के लिए प्रतिभूतियोसे ब्याज की आय

	रु	रु
(क) कर-मुक्त सरकारी ऋण का ब्याज	३००	
(ख) म्यूनिसिपल ऋण-पत्र	८००	
(ग) जूट मिल कपनी के ऋण-पत्र	१,५००	
कटौतियाँ (Deductions) :—		२,६००
(१) बैंक कमीशन	२००	
(२) ऋण पर ब्याज	१,०००	१,२००
प्रति भूतियोके ब्याज से कर-योग्य आय		१,४००
कर-मुक्त आय —		
सरकारी ऋण का ब्याज		३००

प्रश्न

प्र० १ भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा प्रतिभूतियो की आयमे से कौन कौन सी कटौतिया मिलती है ?

उ० देखो कडिका २

अध्याय ६

जायदाद की आय : धारा ९
INCOME FROM PROPERTY

(१) जायदाद की आय शीर्षक के अधीन कर-दाताओ को जायदाद के उचित-वार्षिक मूल्य पर कर देना पडता है। जायदाद के अन्तर्गत मकान, इमारत तथा वह खुली जमीन जो इमारत का ही अग हो आते है। उस मकान या इमारत की आय पर कर नही लगता जिसमे मकान–मालिक अपना निजी व्यापार (जिसका लाभ करयोग्य हो) करता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत आयकर देने का दायित्व केवल मकान-मालिक का ही है। किसी मकान या इमारत को ठेके पर किराया देने से जो आमदनी प्राप्त होती है वह इस धारा के नही बल्कि धारा १२ के अन्तर्गत कर-योग्य है।

२ उचित वार्षिक मूल्य (Bona fide Annual Value) —

(१) इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य किराया वह नही गिना जाता जो कि वास्तविक रूपमे प्राप्त हुआ है परन्तु वह किराया जिसे 'उचित वार्षिक मूल्य' कहते है। उचित वार्षिक मूल्य का तात्पर्य उस एक कल्पित किराए (No tional Rent) की रकम से है जिस पर मकान या इमारत प्रतिवर्ष उचित किराए पर दी जा सके। जहा जायदाद पर स्थानीय कर लिया जाता है वहाँ पर यह रकम सुगमता पूर्वक निश्चित की जा सकती है। अन्य स्थानो मे मकान की स्थिति, बनावट, लागत तथा उसी क्षेत्र के अन्य मकानो के किराये के आधार पर ही उचित वार्षिक मूल्य निश्चित किया जा सकता है। यह आवश्यक नही कि किराए की रकम उचित वार्षिक मूल्यके बराबर हो। यदि वास्तविक किराया स्थानीय सगणना (Municipal valuation) से अधिक हो तो किराये की रकम पर कर लगाया जाएगा और वही रकम "उचित वार्षिक मूल्य" समझी जायगी।"

(२) जायदादकी आय निकालने में हमें दो प्रकार की जायदादो मे भेद करना होगा —

(अ) वह जायदाद जो किराए पर दी गई है, तथा

(ब) वह जायदाद जिसे मकान-मालिक स्वय अपने निजी निवास के लिए पूर्ण तया अथवा आशिक रूप मे काम मे ला रहा हो। दोनो प्रकार की जायदाद की आय निकालने की विधि भिन्न है।

(३) **जब मकान किराये पर दिया हुआ है** तथा उस पर स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) द्वारा स्थानीय कर (जिसमे सरविस कर भी शामिल है) लिया जाता है तो किराए की रकम मे से ऐसे कर का ½ भाग घटाया जाता है। शेष रकम उस जायदाद की उचित वार्षिक मूल्य कहलाती है। यदि किरायेदार मकान की बाबत कोई कर स्थानीय सत्ता को देता हो तो वह रकम प्राप्त किराए की रकम मे जोड कर, बाद मे स्थानीय कर की कुल रकम का आधा भाग बाद दे दिया जाता है।

(४) यदि **कर-दाता जायदाद को अपने स्वय के रहने के लिए काम में लाता हो** तो उसका वार्षिक मूल्य ठीक उसी प्रकार निर्धारित किया जाता है जैसे कि किराए पर दिए हुए मकानका। इसके पश्चात् इस निर्धारित रकम मे से **इसका आधा या १,८००**) **(जो भी कम हो)** घटा दिया जाता है। इस प्रकार जो रकम शेष रहती है वह उस मकान का वार्षिक मूल्य होता है। परन्तु यदि ऐसी रकम कर-दाता की **कुल आय के १०% भाग से अधिक** हो तो उस मकान का वार्षिक मूल्य कर-दाता की कुल आय के १०% के बराबर ही माना जायगा।

(५) यदि दूर स्थान मे नौकरी करने या व्यापार अथवा व्यवसाय करने के कारण वह अपने मकान (केवल एक) मे नही रह सकता हो तथा वह किसी अन्यकाम मे न लाया गया हो तो उस मकान की **आय शून्य** मानी जायगी। यदि वह गत वष मे किसी समय के लिए अपने ऐसे मकान मे रहा हो तो उन का वार्षिक मूल्य भी उसी अनुपात मे उसकी आय समझा जायगा।

३ **वार्षिक मूल्य मे से कटौतियाँ** (Deductions from Annual Value) — किसी जायदाद की कर-योग्य आय निकालने के लिए निम्नलिखित कटौतिया उसके उचित वार्षिक-मूल्य मे से बाद दी जाती है —

(१) **मरम्मत खर्च** — वार्षिक मल्य का ⅙ भाग मरम्मत के लिए चाहे वह मरम्मत के लिए कोई रकम खर्च करे या न करे।

(२) **बीमा चदा** — जायदाद के नष्ट होने के जोखम सम्बन्धी बीमे का दिया हुआ चदा (Insurance premium)।

(३) **रहन की रकम पर ब्याज** — यदि जायदाद रहन (Mortgage) की गई हो या उस पर अन्य पूजीगत भार (Capital Charge) हो तो उनके ब्याज की रकम।

(४) **वार्षिक भार** (Annual Charge) – यदि जायदाद पर कोई वार्षिक भार [जो पूजीगत नही है (not of a capital nature)] हो तो इस वार्षिक भार की रकम।

(५) **अन्य प्रकार के ऋण का ब्याज** — जायदाद को बनवाने खरीदने, मरम्मत करवाने तथा पुन निर्माण करने के लिए यदि ऋण लिया गया हो तो उस ऋण का ब्याज।

(६) **जायदाद का भूमि किराया** (Ground rent)।

(७) **जायदाद की मालगुजारी** (land revenue) जो दी गई हो।

(८) **सग्रह व्यय** (Collection charges) – जायदाद के किराए को वसूल करने मे जो सग्रह व्यय हुआ हो उसकी रकम (वार्षिक मूल्यके ६% भाग तक)।

(९) **रिक्त-स्थान छूट** (Vacancy Allowance) – यदि जायदाद पूर्ण या आशिक रूप से किसी समय के लिए खाली रहे तो उस समय के लिए जायदादके वार्षिक मूल्य का उचित अनुपात रिक्त-स्थान छूट के रूप मे दे दिया जाता है।

(१०) **डूबी हुई किराये की रकम** (Unrealised Rents) यदि किराये की रकम किसी भी प्रकार वसूल नही की जा सके तो कुछ अवस्थाओ मे वह वार्षिक मूल्य मे से बाद दे दी जाती है।

प्रश्न सख्या ६ — श्री सुभाष दो मकानो का मालिक है। एक मकान मे जिसका स्थानीय मूल्याकन १०००) है वह स्वय रहता है। दूसरा जिसका स्थानीय मूल्याकन रु ९,६००) है वह २००) महिने से किराये पर दिया हुआ है। दोनो मकानो पर खर्चे निम्न प्रकार है — स्थानीय कर २६०), किराये पर दिए हुए मकान की माल गुजारी १००), उसे मरम्मत करवाने के लिए ऋण का ब्याज ३००), दोनो मकानो पर दिया हुआ अग्नि बीमे का चदा २००)। सुभाष की जायदाद से क्या आय होगी यदि सन् १९५८–५९ गतवर्ष के लिए उसकी अन्य साधनो से आय १५,०००) थी।

उत्तर — **श्री सुभाष की जायदाद से आय —**

कर निर्धारण वर्ष – सन् १९५९–६० —

आयका विवरण	रकम रु	रकम रु
किराये दारसे प्राप्त किराया २००) मासिक दर से	२,४००	
बाद दिया ⅓ स्थानीय कर (१६०)	८०	
किराये पर दिए मकान का वार्षिक मूल्य		२,३२०
* स्वय के रहने वाले भागका किराया मूल्य (Rental Value) (किराये पर दिये मकान के आधार पर) – १००० × $\frac{२४००}{१६००}$ =	१,५००	
बाद दिया –½ स्थानीय कर (रु० १००)	५०	
	१,४५०	
बाद दिया – ½ वैधानिक छूट	७२५	
स्वय के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य		७२५
दोनो मकानोका वार्षिक मूल्य		३,०४५
बाद – ⅙ हिस्सा मरम्मत-खर्च	५०७	
माल गुजारी	१००	
ऋण पर ब्याज	३००	
अग्नि बीमा प्रीमियम	२००	१,१०७
जायदाद से कर-योग्य आय		१९३८

*मकान-मालिक के स्वय के रहने वाले भाग का वार्षिक मूल्य यदि कुल आय के १०% भाग से अधि क हो तो यह निम्न लिखित प्रकार से निकाला जाता है —

१०% × $\frac{१२}{११}$ × (कुल आय—जायदाद सम्बन्धी सब खर्चे जो मालूम है घटा कर)

प्रश्न

प्र० १ मकान से आमदनी निकालनेके बारेमे भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत नियमो का पूर्ण विवरण कीजिए।

उ० देखो कडिका १ से ३।

प्र० २ उचित वार्षिक मूल्य (Bona fide Annual Value) पर एक टिप्पणी लिखो

उ० देखो कडिका २

प्र० ३ जायदाद की आय निकालने के लिए कौन कौनसी कटौतिया दी जाती है ?

उ० देखो कडिका ३।

प्र० ४ निम्न विवरण से श्री 'अ' की जायदाद पे आय निकालिये —

(अ) वह दो मकानोका मालिक है जिनकी म्यूनिसिपल गणना क्रमश ४०००) तथा ५,०००) है। दोनो मकानो का म्युनिसिपल टैक्स ९००) है।

(ब) पहले मकान मे वह स्वय रहता है तथा दूसरा ५००) प्रतिमास की दर से किराये दिया हुआ है।

(स) अन्य साधनो से आय १,०००)

उ० १७,१३१) (प्रथम मकान का उचित वार्षिक मल्य १,६१४) है।

अध्याय ७

व्यापार पेशा अथवा व्यवसायके लाभ धारा १०

PROFITS AND GAINS OF BUSINESS PROFESSION OR VOCATION

१ आयका यह शीर्षक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योकि आयकर के अधिकाश रकम की प्राप्ति इसी शीर्षक से होती है। इस शीर्षक के अन्तर्गत व्यापार, पेशे तथा व्यवसाय के शुद्धकर-योग्य लाभ पर ही कर लगाया जाता है। यह शुद्ध कर-योग्य लाभ (Net taxable profit) व्यापार इत्यादि के शुद्ध लाभ (Net profit) से सर्वथा भिन्न है, क्योकि बहुत से ऐसे खर्चे होते है जो कि सकल लाभ मे से बाद दे दिये गए है, लेकिन आयकर अधिनियम के अनुसार ऐसे खर्चे बाद नही दिये जा सकते। अत कर-योग्य लाभ मालूम करने के लिए उन खर्चों को जानना अत्यन्त आवश्यक है जिन्हे कानून द्वारा बाद दिया तथा नही दिया जाता।

२ कटौतियाँ (Deductions expressly allowed)

व्यापार आदि की वास्तविक आय मालूम करने के लिए निम्न खर्चे सकल लाभ (Gross profits) मे से बाद दिए जाते है —

(१) **जायदाद का किराया** जिस जायदाद मे व्यापार, पेशा आदि सचालित होते है उसका किराया।

(२) **मरम्मत खर्च** यदि कर-दाता ने दूकान या इमारत किराए पर ली हो और मरम्मत करवाने का दायित्व लिया हो तो मरम्मत खर्च।

(३) **उधार ली गई पूँजी का ब्याज** व्यापार आदि के लिए ली गई पूजी का ब्याज।

(४) **बीमा का चदा** यदि व्यापार आदि के काम आने वाले मकानात, मशीनरी, गोदाम आदिका बीमा कराया गया हो तो बीमे के चदे के रूपमे दी गई रकम।

(५) **चालू मरम्मत खर्च** - व्यापार आदि के काम मे आने वाली इमारत, मशीनरी, सयन्त्र (Plant), फर्नीचर आदि को सुचारु रूप से कार्य योग्य रखनेके लिए उन पर किया गया मरम्मत खर्च।

(६) **घिसाई** (Depreciation) इत्यादि। – देखिए पृष्ठ ४६

(७) **मूल्य सतुलन बट्टा** (Balancing Allowance) देखिये पृष्ठ ४८

(८) **मृतक या बेकार पशु** व्यापार आदि मे काम आने वाले जानवरो की मृत्यु व बेकार हो जाने पर बेचने से हानि।

(९) **स्थानीय-कर** व्यापार मे काम आने वाली इमारत पर माल गुजारी, स्थानीय महसूल या नगर-पालिका कर।

(१०) **डूबते खाते** (Bad debts) किन्ही अवस्थाओ मे वे व्यापारिक ऋण जो डूब गए हो या सदेह जनक हो। यदि बट्टे खाते लिखी गई रकम किसी अगले वर्ष मे वसूल हो जाय तो वह उस वर्ष की कर योग्य आय समझी जायगी।

(११) **कर्मचारियोको बोनस** यदि कर्मचारियो को उनकी सेवाओके बदले मे वेतन के अलावा कोई रकम बोनस या कमीशन के रूपमे दी गई हो, तो वह रकम।

(१२) **वैज्ञानिक खोज का व्यय** व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक खोजके लिए किया गया रेवेन्यू (Revenue) खर्च।

(१३) **वैज्ञानिक खोज इत्यादि के लिए दिया गया चदा** किसी ऐसी वैज्ञानिक अनुसधान सस्था को दिया हुआ चदा जो कि उस व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक खोज कर रही है तथा किसी भी स्वीकृत विश्व विद्यालय कॉलेज अथवा अन्य सस्था को उस व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक सामाजिक तथा साख्यिक खोज (Statistical research) के लिए दिया गया चदा।

(१४) **वैज्ञानिक खोज पर पूँजीगत व्यय** व्यापार सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसधान के लिए किया गया पूजी गत खच (पाच वर्षों मे बराबर विभाजित होकर)।

(१५) **विविध खर्च** उपरोक्त खर्चो के अतिरिक्त वे अन्य पूर्ण तया व्यापार इत्यादि सबन्धी खर्चे भी जो रेवेन्यू प्रकृति के है सकल मुनाफे मे से बाद दे दिये जाते है। जैसे —

(अ) माल के उत्पादन, यातायात व विवरण सम्बन्धी लागत खर्च।

(ब) कर-निर्धारण कराने तथा हिसाब व बही खाते जाँच कराने के लिए लेखा-निरीक्षक (Anditor) की फीस।

(स) कर्मचारियो का वेतन, विश्राम वृत्ति, इत्यादि

(द) मुहुत उत्सव, दीपावली और प्रथानुसार अन्य दिवस पर भेट के अन्य खर्चे जो कि ४००) से अधिक नही हो।

(ई) किसी कमचारी या नौकर द्वारा व्यापार के कार्य काल मे व प्रसग वश गबन या चोरी।

(फ) डाइरेक्टरो की फीस।

(ज) माल बेचने के लिए किया गया साधारण विज्ञापन खर्च इत्यादि

(३) न काटे जाने वाले व्यय (In admissible Allowances)

निम्न लिखित व्यय व्यापार इत्यादि की आमदनी मालूम करते समय नही घटाये जाते —

(१) ऐसी ब्याज अथवा वेतन की रकम जो कि किसी अनिवासी को दी गई हो और जिस पर कर न काटा गया हो।

(२) फर्म द्वारा साझी दार को दिया जाने वाला वेतन, कमीशन, ब्याज या अन्य पारितोषिक।

(३) अस्वीकृत प्रोविडेट फड मे कर्मचारियो के हितार्थ मालिक द्वारा दिया गया चदा।

(४) धर्मादा खर्च।

(५) भागी दारो (Partners) अथवा मालिको के निजी खर्च की रकम।

(६) अप्राप्य ऋण रक्षित निधि (Bad debt Reserve fund) या अन्य किसी फड या निधि (Reserve) में जमा की गई कोई रकम।

(७) आयकर या अतिकर या अन्यकर (बिक्री कर (Sales-tax) को छोडकर)।

(८) पूजी गत व्यय तथा हानि।

(९) किसी भी रक्षित निधि या फड मे जमा रकम पर ब्याज।

(१०) रिश्वत दी जाने वाली रकम।

(११) गत वर्ष का नुकसान।

(१२) कानून द्वारा निश्चित दरो से अधिक घिसाई।

(१३) ऋण-पत्रोको प्रचलित करने पर तथा ऋण प्राप्त करने पर किया गया खर्च।

(१४) नई कम्पनी द्वारा अपने हिस्सो (Shares) को बेचने के लिए दिया गया अभिगोपन कमीशन (underwriting Commission)।

(१५) हिस्सो तथा ऋण-पत्रो को बेचने के लिए दी गई दलाली।

(१६) कम्पनी का सस्थापन करने के समय के किए गए प्रारम्भिक खर्चे (Preliminary Expenses)।

(१७) व्यापारी की ऐसी निजी जायदाद का वार्षिक मूल्य जो व्यापार के कार्य मे आ रही हो।

(१८) किसी भी व्यावसायिक जायदाद को बढोतरी करने, बदलने या परिवर्तन करने या सुधार करने मे किया गया खच।

(१९) वे अन्य समस्त खर्चे जो पूजीगत है और पूर्णरूप से और पृथक रूपसे व्यापार के लिए व्यय नही किए गए हो।

४ **भूतकाल में दी गई अतिरिक्त कटौतियाँ** (Excess Deductions allowed) जिन्हे वापिस जोडा जाता है — **धारा १० (२ए)**

इस धारा के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए लाभ निकालते समय यदि कोई हानि, खर्च या अन्य व्यय व्यापारी को छूट दे दिया गया हो तथा भविष्य मे अन्य किसी भी गतवर्ष मे वह रकम पूर्णतया अथवा आशिक रूपमे वापस मिल गई हो तो जिस वर्ष मे वह रकम प्राप्त की गई है, उसी वर्ष की आय मानी जायगी तथा कर-योग्य होगी। उदाहरणार्थ, गत वष १९५५ –५६ मे एक व्यापारी को १,०००) डूबत ऋण (Bad debts) के बारे मे छूट मिली परन्तु सन् १९५८–५९ मे ,उनमेसे उसे ६००) वापस प्राप्त हो गए तो गत वर्ष १९५८–५९ के लिए ६००) की यह रकम उसकी कर-योग्य आय मानी जायगी।

५ **कुछ प्रकार के हर्जाने की रकमें अथवा अन्य भुगतानो का कर-दायित्व** (Taxability of certain types of compensation moneys or other payments)–**धारा १० (५ए)**

निम्न लिखित व्यक्तियो द्वारा प्राप्त अथवा उन्हे देय कोई **हर्जाने की रकम अथवा कोई अन्य भुगतान** जो उन्हे किसी गतवर्ष मे प्राप्त हो या देय हो, उनके व्यापार के लाभ के रूप मे कर-योग्य है —

(अ) भारतीय प्रमडल (Indian Company) के किसी प्रबधाभिकर्त्ता (managing agent) द्वारा उसके समझौते की समाप्ति अथवा परिवर्तन के समय या बारे मे ।

(ब) भारतीय प्रमडल के किसी प्रबधक (manager) द्वारा उसके पद (office) की समाप्ति अथवा उसकी शर्तो के परिवर्तन के समय या बारे मे।

(स) किसी भी **व्यक्ति** द्वारा जो भारत मे (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) किसी भी दूसरी कपनी का पूर्णतया प्रबन्ध कर रहा हो, उसके पद को समाप्ति अथवा उसकी शर्तो के परिवर्तन के समय या बारे मे।

(द) किसी भी **व्यक्ति** द्वारा (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) जिसके पास किसी भी दूसरे व्यक्ति के व्यापारिक कार्यो के सम्बन्ध मे भारत के लिए अभिकरण (Agency) है, उसके अभिकरण की समाप्ति अथवा उसके शर्तो के परिवर्तन के समय या बारे मे।

उपरोक्त हर्जाने अथवा भुगतान की रकमो पर, यदि कर-दाता चाहे, तो हर्जाने इत्यादि मिलने वाले वष के पिछले तीन वर्षो की आय पर लगने वाली आयकर तथा अतिकर की **औसत दरो** पर उस गत वष मे कर लगाया जा सकता है जिस वर्ष मे कि उसे हर्जाने इत्यादि की रकम मिली हो।

नोट — साधित प्रश्नो के लिए देखिए अध्याय ११

६ **घिसाई** (Depreciation) — —

धारा १०(२) (vi) (viए) (viबी) और (vii)

व्यापार व्यवसाय या वृत्ति के निरन्तर काम आने से स्थायी सम्पत्ति जैसे **भवन, फर्नीचर, सयत्र,** (Plant) **मशीनरी** इत्यादि के मूल्यकी कमी को घिसाई कहते है। घिसाई की छूट केवल मालिक को ही निश्चित दरो के अनुसार ही जाती है। विभिन्न प्रकार की घिसाई की छूटो तथा पदो का वर्णन नीचे दिया जाता है।

(१) **साधारण घिसाई छूट** (Normal Depreciation) साधारण घिसाई छूट स्थाई सम्पत्ति के लिखित मूल्य पर निश्चित दरो के अनुसार दी जाती है।

(२) **अतिरिक्त चलने का भत्ता** (Extra Shift Allowance) जितने दिन दुगुनी अथवा उससे अधिक पर्याय (Shift) तक **सयत्र या मशीन** को काम मे लाया जाता है उतने दिनो के लिए साधारण घिसाई का ५०% अतिरिक्त पर्याय भत्ता मिलता हे। इस भत्ते को मालूम करने के लिए साल मे ३०० दिन माने जाते है।

(३) **अतिरिक्त घिसाई** (Additional Depreciation) ३१–३–१९४८ के बाद जो **नई इमारत या नई मशीनरी या नया सयत्र** व्यापार आदिके काम मे लिया जावे तो उसके लिखित मूल्य पर लगाये जाने वाले वर्ष के बाद ५ कर-निर्धारण वर्षों तक **साधारण घिसाई के बराबर** अतिरिक्त घिसाई भत्ता’ दिया जाता है। यह कटौती कर-निर्धारण वर्ष १९५८–५९ तक ही मिल सकती है।

(४) **प्रारम्भिक घिसाई** (Initial Depreciation)

नई इमारत मशीनरी तथा सयत्र (जिन्हे विकास छूट नही मिली है) पर प्रथम वर्ष के लिए प्रारम्भिक घिसाई दी जाती है जो कि पूरीसाल के लिए तथा पूरी दरो के अनुसार होती है। इसे लिखित मूल्य मालूम करने के लिए नही घटाया जाता। परन्तु यदि सम्पत्ति बेची जाय या रद्द हो जाय या नष्ट हो जाय तो वास्तविक नुकसान या लाभ को मालूम करने के लिए यह प्रारम्भिक घिसाई अवश्य ध्यान मे रक्खी जाती है तथा उसको घटाकर ही सतुलन छूट (Balancing Allowance) मालूम की जातीहै। **१–४–१९५६ से यह घिसाई बिलकुल बन्द कर दी गई है।** इसके पहले १–४–१९४६ से यह साधारणत नये मकान पर १५% तथा नई मशीनरी या सयत्र पर २०% दी जाती थी।

(५) **विकास छूट** (Development Rebate) **धारा १०(२)(vib)**

यदि ३१–३–१९५४ के पश्चात् कोई कर-दाता **पूर्ण रूप से केवल अपने व्यापारिक कार्यों के लिए ही** कोई नई मशीनरी या सयत्र लगावे अथवा किसी नए जहाजका जलावतारण करे (launch) तो ऐसी मशीनरी, सयत्र अथवा जहाज पर प्रथमवर्ष मे उसकी लागत मूल्य के २५% के बराबर विकास छूट दी जाती है। यदि नए जहाज का जलावतरण ३१–१२–१९५७ के बाद किया गया हो तो उस पर ४०% विकास छूट दी जायगी। यह प्रबन्ध भारत मे औद्योगिक विकास को आगे बढाने के लिये है।

इस सम्बन्ध मे निम्न बाते याद रखना आवश्यक है —

(i) जिन मशीनरी या सयत्र अथवा जहाज पर विकास छूट मिलती है उस पर प्रारम्भिक घिसाई नही मिलती।

(ii) विकास छूट घिसाई नही है, इसलिए न तो यह लिखित मूल्य मालूम करने के लिए घटाई जाती है और न ही यह छूट मशीनरी इत्यादि को बेचने या रद्द करने से हुए लाभ या हानि का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है।

(iii) यह केवल व्यापार के लिए ही दी जाती है, व्यवसाय अथवा वृत्ति के लिए नही।

(६) **लिखित मूल्य** (Written down Value)

घिसाई सम्पत्ति के लिखित मूल्य पर निकाली जाती है। किसी सम्पत्ति के लिखित मूल्य का अर्थ है —

(अ) यदि सपत्ति को गतवर्ष मे खरीदा गया हो तो उसकी दी गई वास्तविक कीमत से, तथा

(ब) यदि सपत्ति गतवर्ष से पहले खरीदी गई हो तो उसकी वास्तविक लागत मे से कर-दाता को मिली हुई घिसाई की रकम को घटाने के बाद मे जो रकम बचती हो, उससे।

(७) **सतुलनीय छट** (Balancing Allowance)

यदि व्यापार के काम मे आने वाली मशीनरी सयत्र या इमारत (फर्नीचर नही) को बेच दिया जाए या रद्द कर दिया जाए या गिरा दिया जाए या नष्ट हो जाए तो इसके लिखित मूल्य मे से बिक्री मूल्य या शेष मूल्य (Scrap Value) को कम करने के उपरान्त जो नुकसान होता है वह सतुलनीय छूट के रूप मे बाद दे दिया जाता है। परन्तु यदि बिक्री मूल्य लिखित मूल्य से अधिक हो तो ऐसी **सतुलनीय वृद्धि** (Balancing Chrage) सपत्ति के वास्तविक लागत की सीमा तक तो कर-योग्य लाभ समझा जाता है। परन्तु लागत के ऊपर का लाभ पूजीगत लाभ (Capital Gains) समझा जावेगा।

(८) **अशोधित घिसाई** (Unabsorbed Depreciation)

यदि किसी व्यापार मे लाभ न होने के कारण घिसाई की छूट न मिल सके या थोडा लाभ होने के कारण घिसाई का कुछ भाग बाकी रह जाए तो ऐसी घिसाई की शेष रकम को अशोधित घिसाई कहते है। अशोधित घिसाई आगामी वर्षो के लाभ मे से बिना किसी प्रतिबध के शोधित की जा सकती हे। अशोधित घिसाई को सपत्ति का लिखित मूल्य मालूम करने के लिए बाद दिया जाता है क्योकि यह घिसाई वास्तव मे स्वीकृत की हुई घिसाई ही है।

(९) **घिसाई के सम्बन्ध में ज्ञातव्य बाते**

(अ) साधारण घिसाई छूट केवल **इमारत, मशीनरी सयत्र तथा फर्नीचर** पर ही दी जाती है। आयकर नियम १९२२ के नियम ८ के अनुसार कुछ साधारण घिसाई की दरे नीचे दी जाती है —

(१) **इमारत**	प्रथम श्रेणी की इमारत	२ ५%
	द्वितीय श्रेणी की इमारत	५%
	तृतीय श्रेणी की इमारत	७ ५%

यदि इमारत फेक्टरी के काम मे आती है तो ऊपर लिखी दरो की **दुगुनी** दरे काम मे ली जाती है।

(२) **फर्नीचर तथा फिटींज** . साधारण दर ६%

होटलो के लिए ९%

(३) मशीनरी तथा सयत्र—

साधारण दर	७%
कॉफी, जूट, जूते, शक्कर, चावल की फेक्ट्रीयो तथा आटे की चक्कियो के लिए	९%
सीमेंट, पेपर, लोहा व स्पात फेक्ट्रियो के लिए	१०%
कार व साइकल	२०%
मोटर लॉरी, टैक्सी तथा ट्रक्स	२५%

(ब) अतिरिक्त घिसाई केवल **नई मशीनो, सयत्र तथा** इमारतो (फर्नीचर नही) पर ही दी जाती है।

(स) अतिरिक्त पर्याय छूट केवल **मशीनरी तथा सयत्र** पर ही दी जाती है।

(ड) प्रारम्भिक घिसाई केवल **नए सयत्र, मशीनरी, तथा इमारतो** पर ३१–३–५६ तक ही दी जाती है।

(ई) विकास छूट **पूर्णतया केवल व्यापार केही लिए काम में आने वाले नये सयत्र, मशीनरी तथा जहाज** पर दी जाती है।

प्रश्न सख्या ७ — गतवर्ष १९५७–५८ के लिए एक व्यापारी का घिसाई सम्बन्धी विवरण निम्न लिखित है —

फेक्ट्रीकी इमारत – प्रथम श्रेणी (घिसाई दर ५%)

	रु०	रु०
१–४–५७ को लिखित मूल्य	२५०००	
१–४–५७ को नई खरीद	१०,०००	
		३५,०००
मशीनरी (घिसाई दर १०%)		
१–४–५७ को लिखित मून्ल्य	५०,०००	
१–१०–५७ को नई खरीद	१२,०००	
		६२,०००

पुरानी मशीनरी सालमे १५० दिन दो पर्याय (Shifts) चली।

फर्नीचर घिसाई दर ६%		
१–४–५७ को लिखित मूल्य	३,०००	
१–१–५८ को नई खरीद	१,०००	
		४,०००

उसको कर-निर्धारण वर्ष १९५८–५९ के लिए घिसाई तथा विकास छूट की क्या रकम मिलेगी तथा १–४–५८ को विभिन्न सम्पत्तियोका लिखित मूल्य क्या होगा ?

उत्तर

कर-निर्धारण वर्ष १९५८–५९ के लिए घिसाई तथा विकास छूट —

फेक्ट्री की इमारत —

३५,०००) पर ५% से साधारण घिसाई	१,७५०	
१०,०००) पर ५% से अतिरिक्त घिसाई	५००	२,२५०

मशीनरी —

विकास छूट १२०००) पर २५% की दर से		३,०००
५०,०००) पर १०% से सालभरकी साधारण घिसाई	५,०००	
१२,००० पर १०% से ६ महिने की साधारण घिसाई	६००	
१२,०००) पर अतिरिक्त घिसाई	६००	
अतिरिक्त पर्याय छूट $\frac{1}{2} \times \frac{150}{300} \times$ ५००० =	१,२५०	
		७,४५०

फर्नीचर

३,०००) पर ६% की दर से सालभरकी साधारण घिसाई	१८०	
१,०००) पर ६% की दर से ३ महिने की घिसाई	१५	
		१९५

कुल घिसाई तथा विकास छूट	रू०	१२,८९५

१–४–१९५८ को लिखित मूल्य —

फेक्ट्री की इमारत	१–४–१९५७ की लिखित मूल्य अथवा लागत	घिसाई	१–४–१९५८ को लिखित मूल्य
फेक्ट्री की इमारत	३५,०००)	२,२५०)	३२,७५०)
मशीनरी	६२,०००)	७,४५०)	५४,५५०)
फर्नीचर	४,०००)	१९५)	३,८०५)

प्रश्न सख्या ८ —

गत वर्ष १९५८–५९ के लिए एक व्यक्ति के घिसाई सम्बन्धित आकडे निम्न प्रकार है —

	फेक्ट्री के मकानात (घिसाई दर–५%)	मशीनरी (घिसाई दर १०%)
१–४–५८ के दिन लिखित मूल्य	१०,०००)	२०,०००)
नई खरीद – १–४–५८ के दिन	५,०००)	१०,०००)
	१५,०००)	३०,०००)

कर निर्धारण वष १९५९–६० के लिए उसे घिसाई तथा विकास छूट की क्या रकम मिलेगी तथा १–४–५९ के दिन लिखित मूल्य (Written–down value) क्या रहेगी ?

उत्तर

फेक्ट्रीके मकानात —

१५०००) पर ५% दर से साधारण घिसाई	७५०
१–४–५९ को लिखित मूल्य – (१५०००–७५०) = १४,२५०	

मशीनरी —

३०,०००) पर १०% दरसे साधारण घिसाई	३,०००
१०,०००) पर २५% दर से विकास छूट	२,५००
१–४–५९ को लिखित मूल्य (३०,०००–३,०००)=२७,०००	
सन् १९५९–६० के लिए कुल घिसाई एव विकास छूट रू०	६,२५०

प्रश्न

प्र० १ "घिसाई" से आप क्या समझते है ? यह किसे, कब तथा किस प्रकार दी जाती है।

उ० देखो कडिका ६ से ७

प्र० २ सक्षिप्त टिप्पणिया लिखो —

(अ) विकास छूट, (ब) सतुलनीय छूट, (स) अतिरिक्त पर्याय भत्ता, (द) लिखित मूल्य, (ई) अशोधित घिसाई

उ० देखो कडिका (अ) ६ (५), (ब) ६ (७), (स) ६ (३), (द) ६ (६), (ई) ६ (९)

प्र० ३ एक व्यापारी को उसके कर देय लाभ निकालने के लिए कौन से खर्चे मजूर किये जाते है तथा कौनसे नामजूर।

उ० देखो कडिका २ से ३

प्र० ४ श्री शरदचन्द्र के निम्न लाभ हानि खाते से कर-निर्धारण वर्ष १९५९-६० के लिए उनकी व्यापार से कर योग्य आय निकालिए —

	रु०		रु०
दफ्तर खर्च	५,७२०	सकल लाभ	२७,६३५
मिश्रित खर्च	२,६४०	सरकारी प्रतिभूतियोका ब्याज	१,६६०
पूजी पर ब्याज	१,५८०	कमीशन	३६५
अप्राप्य ऋण रक्षित निधि	८३५	डूबे खातेकी वसूली	६४०
ऑडिट–फीस	३००	प्रतिभूतियोके बेचने पर लाभ	७५०
किराया	१,२५५	मिश्र आय	३५०
इनकम–टैक्स	१,७६०		
धर्मादा	४८५		
कानूनी खर्च	३७०		
कर्मचारी को दिया हुआ हर्जना	१,५००		
इमारत खर्च	१,५००		
लाभ	१२,०००		
	३१,२००		३१,२००

कर-योग्य आयके सम्बन्ध मे कुछ और विवरण निम्न प्रकार का है —

(अ) किराये की रकम मे ६००) की ऐसी रकम है जो उस मकान के बारेमे है जिसमे वह स्वय रहता है।

(ब) वेतन-खर्च में स्वीकृत प्रोविडेंट फड मे मालिक द्वारा चदे की ३२०) की रकम भी शामिल है।

(स) मिश्रित खर्च मे ३५०) की रकम फर्नीचर के बारे में है।

(द) कानून द्वारा प्राप्य घिसाई की रकम १,४७५) है।

उ० रु० १५,४२५

अध्याय ८

अन्य साधनो से आय

INCOME FROM OTHER SOURCES धारा १२

१ इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-दाता को उन सब प्रकारकी आय व लाभ पर कर देना पडता है जो उसे अन्य पाच आय के शीर्षको के अलावा होती है। जैसे, विदेशी सरकारसे प्राप्त वेतन या पेंशन, कपनी के डाइरेक्टरोकी फीस, किसी विशेषाधिकार शुल्क (Royalty) के रूप मे प्राप्त आय, भूमि से प्राप्त किराया लाभाश इत्यादि।

२ **कटौतियाँ** (Deductions) —अन्य साधनो से कर-योग्य आय मालूम करने के लिए उन समस्त खर्चो को बाद दिया जाता है जो उस विशेष आय अथवा लाभ को उत्पन्न करने के लिए व्यय किये गए है तथा जो पूजीगत व्यय नही है। लाभाश को वसूल करने के लिए बैंक या अन्य किसी व्यक्ति को दिया गया कमीशन (उचित रकम तक) बाद दिया जाता है। यदि कर-दाता ने अन्य साधनो मे शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम करके आय प्राप्त की है तो उस पर अतिरिक्त वृद्धि कर (Additional Surcharge) नही लगता।

३ **लाभाश** (Dividends) – अन्य साधनो की आय मे लाभाश भी सम्मिलित है—धारा १२ (१ए) । कपनी द्वारा अपने नफो मे से साधारण रूपमे दिए गए लाभाशो के अलावा भी कुछ अन्य रकमे लाभाश मे गिन ली जाती हैं — धारा २ (६ ए)। कपनी को लाभाश देने से पहले अपनी समस्त आय पर एक ही दर से आयकर देना पडता है। परन्तु आयकर अधि नियमके अनुसार जो भी आयकर उन लाभाशो के बाबत एक कपनी देती है वह अशधारियो (Shareholders) के लिये दिया हुआ समझा जाता है — धारा ४९ बी।

४ **लाभाशोका सकल करना** (Grossing up of Dividends) **धारा १६ (२)**

अशधारी के लाभाश की वास्तविक आय मालूम करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किए हुए लाभाश मे आयकर की वह रकम ओर जोडी जाती है जो कि कम्पनी ने आयकर विभाग को दी है। परन्तु किस वर्ष की दर से ? लाभाश की रकम को सकल (Gross) उस समय की दर से किया जाता है जिस समय लाभाश की रकम दी गई है या जमाकी की गई है या बाटी गई है या ऐसा होना माना गया है। **लाभाश की रकम को उस आय कर की अनुपात से बढ़ाया जाता है जो कि कम्पनी को कुल आय पर उस आर्थिक वर्ष की**

दर से लागू होती है जिस वर्ष में कि अश धारी को लाभाश दिया गया है इत्यादि। एक विदेशी कम्पनी से प्राप्त हुए लाभाशो को सकल नही किया जाता है। यदि कपनी की आय कर-मुक्त साधनो से प्राप्त है तथा कपनी को किन्ही कारणो से इस आय पर कुछ भी कर नही देना पडा है तो लाभाशो को सकल नही जायगा परन्तु अशधारी के हाथो मे ऐसी आय से प्राप्त लाभाश की रकम पूर्णतया कर योग्य अवश्य रहेगी।

५ **सकल लाभाश निकालने का सूत्र** (Formula for grossing-up of Dividends) —

$$\text{सकल लाभाश} = \text{नेट लाभाश} \times \frac{१}{(१ - (\text{दर} \times \%)}$$

जब कि **दर** से अर्थ है कपनी पर लागू उस वर्ष की दर से अर्थात् १९५९–६० के लिए ३० % + १५% सर चाज अर्थात् **३१ ५%**

% से अर्थ कपनी के लाभ के उस प्रतिशत से है जिस पर कर लगा है।

जहा कपनी की १००% आय पर लगा है, वहा साधारणसूत्र हुआ

$$\text{सकल लाभाश} = \text{नेट लाभाश} \times \frac{१}{\frac{(१ - ३१ ५)}{१००}}$$

$$\text{सकल लाभाश} = \text{नेट लाभाश} \times \frac{१}{\frac{६८५}{१०००}}$$

$$\text{सकल लाभाश} = \text{नेट लाभाश} \times \frac{२००}{१३७}$$

उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति ने एक कपनी से १०० नेट लाभाश प्राप्त किया, तो उसका सकल लाभाश जो कि उस व्यक्ति की आयमे जोडा जायगा वह निम्न होगा —

$$१०० \times \frac{२००}{१३७} = १४६ \text{ रु०}$$

६ लेखको की पुस्तकोके अधिकार-शुल्क की आय (Income of Authors from royalty on books) —

—धारा १२ ए ए

यदि किसी पुस्तक को सपूर्ण करनेमे किसी लेखक को १२ महिने से अधिक लेकिन २४ महिने से कम समय लगे तो लेखक द्वारा माग करने पर उसके अधिकार शुल्क की आय (Royalty) के ५० % हिस्से को एक वर्ष मे तथा दुसरे ५० % हिस्से को दूसरे वर्ष मे उसकी आयमे सम्मिलित करके कर लगाया जायगा। यदि पुस्तक को सपूर्ण होने मे २४ महिने से अधिक लगे तो अुसकी आमदनी को तीन वर्षो मे बराबर विभाजित करके उसपर कर लगाया जाता है।

७ **हिसाब पद्धति** (System of Accounting) —धारा १३

व्यापार, वृत्ति व व्यवसाय के लाभ तथा अन्य श्रोतो की आय पर कर की गणना कर दाता की बहियो के अनुसार की जाती है। बही खातो की हिसाब पद्धति नियमित रूपसे प्रयोग मे लानी चाहिए। कर दाता द्वारा बही-खाते नही रखने पर या हिसाब की एक ही पद्धति को लगातार वा नियमित रूप से प्रयोग मे नही लाने पर या हिसाबी पद्धति ऐसी हो जिसके द्वारा इनकम-टैक्स अफसर की सम्मतिमे लाभ या आमदनी ठीक प्रकार से मालूम न हो सके तो वह अपने निर्धारित रीति या आधार के अनुसार लाभ या आय की गणना करेगा।

बही खाते कौन सी पद्धति से रखने चाहिए, इसका स्पष्टी करण या उल्लेख आयकर कानून की किसी भी धारा मे नही किया गया है। हमारे देश मे साधारणत तीन प्रकार की हिसाब पद्धतिया प्रयोग मे लाई जाती है —

(१) **रोकड पद्धति** (Cash System) — इसमे केवल नकदी खर्च व आमदनी का हिसाब रखा जाता है। डाक्टरो, मुनीमो, वकीलो क्लबो तथा विद्यालयो के लिए यह पद्धति सुगमता से प्रयोग मे लाई जा सकती है।

(२) **महाजनी पद्धति** (Mercantile System) — इस पद्धति के अनुसार वर्ष भरके तमाम रोकड तथा उधार दोनो प्रकार के लेनदेनोका हिसाब रखा जाता हे। इस पद्धतिके अनुसार व्यापार का असली हानि लाभ मालूम किया जा सकता है।

(३) **मिश्रित पद्धति** (Mixed System) — कुछ लेन देन रोकड रीति से और कुछ लेन देन महाजनी रीति के अनुसार खातो मे लिखे जाते है उसे मिश्रित पद्धति कहते है।

प्रश्न

प्र० १ सक्षिप्त टिप्पणिया लिखिए —

(१) लाभाशो को सकल करना।

(२) रोकड तथा महाजनी पद्धति।

उ० (१) देखो कडिका ४ से ५

(२) देखो कडिका ७

प्र० २ कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६० के लिए निम्न लाभाशो को सकल कीि

(अ) ७॥% *१०० प्रिफ्ररेस शेयर — प्रति शेयर की रकम १००

(ब) १०% लाभाश एक सूती-वस्त्र मील के १,०००) के शेयरो प

(स) एक इजीनियरिंग कपनी (जिसके ८०% लाभ कर-योग्य है के १००० शेयरो पर ५) प्रति शेयर।

(द) (अ) रू० ७५० (ब) रु० १४६ (स) फुरु० ६,६८३,

अध्याय ९

पूँजीगत लाभ : धारा १२ बी

CAPITAL GRAINS

१ वित्त अधिनियम (नवम्बर) १९५६ द्वारा कुछ परिवर्तनो के साथ पूजीगत लाभ पर कर लगाने की योजना को पुन प्रारम्भ किया है। पहले यह कर १–४–४६ से ३१–३–१९४८ की अवधि मे होने वाले पूजीगत लाभ पर लगता था। अब इस धारा के अन्तर्गत ३१–३–१९५६ के पश्चात् किसी स्थायी परिसम्पत (Capital Asset) के विक्रय (sale), विनिमय (exchange), अवत्याग (relinquishment) अथवा हस्तान्तरण (transfer) से होने वाले लाभो पर कर लगाया जाता है। ऐसे लाभ उसीगत वष की आय गिने जाएँगे जिस वर्ष मे विक्रय इत्यादि हुए है।

२ **"स्थायी परिसम्पत" का अर्थ** (Meaning of "Capital Asset") —धारा २ (४ए)

'स्थायी परिसम्पत' के अन्तर्गत हर प्रकार की सम्पत्ति आती है, चाहे वह कर-दाता के व्यापार के कार्य के लिए काम मे लाई जाती हो, या नही। परन्तु इसमे निम्न प्रकार की सम्पत्ति शामिल नही है —

(अ) व्यापार के काम के लिए किया हुआ स्कन्ध (stock) इत्यादि।

(ब) निजी वस्तुएँ (जैसे, गहने, फर्नीचर इत्यादि) तथा

(स) वह जमीन जिसकी आय कृषि-आय है।

३ छूट (Exemptions) – निम्न प्रकार के पूँजीगत लाभ पूर्ण तया कर-मुक्त है —

इच्छापत्र (will) भेट अथवा दान द्वारा स्थायी परि सम्पत को हस्तातरण करने से उत्पन्न होनेवाले लाभ।

(२) पूर्ण रूप से अथवा आशिक रूप से किसी अविभक्त हिन्दू परिवार के बटवारे के समय स्थायी परिसम्पत के वितरण (distribution of capital assets) से होने वाले लाभ।

(३) एक कम्पनी द्वारा अपनी पूर्णतया अधीन (wholly owned) सहाय कपनी (subsidiary company) को स्थायी परिसम्पत के हस्तान्तरण करने से होनेवाले लाभ।

(४) अपने उस रहने के मकान, जिसमे कि कर-दाता या उसके माता-पिता दो वर्ष रहे हो के विक्रय से होने वाले लाभ यदि ऐसे पूजीगत लाभो की रकम को एक वर्ष के पहले या बादमे किसी दूसरे रहनेके मकान मे लगा दिया गया हो । परन्तु यदि पूजीगत लाभ की रकम नए मकान की कीमत से अधिक हुई तो वह अधिक रकम कर-योग्य है ।

(५) यदि कर-दाता अपनी किसी इमारत को २५००० रु० से कम रकम मे बेचे तथा उसकी तमाम इमारतो का उचित विपणि मूल्य (fair market value) ५०,०००) से अधिक नही है तो ऐसे विक्रय से होने वाले पूजीगत लाभ कर-योग्य नही है ।

४ **कटौतियाँ** (Deductions) –

कर-योग्य पूजीगत लाभ निकालने के लिए निम्न लिखित कटौतियाँ विक्रय के प्रतिफल की रकम मे से की जाती है —

(१) विक्रय इत्यादि करने के सम्बन्धमे हुआ खर्चा, तथा

(२) कर-दाता की लगी हुई उस स्थायी परिसम्प्त की वास्तविक कीमत (actual cost) । इस सम्बन्धमे निम्न बाते ध्यान रखने योग्य है –

(अ) यदि कर-दाता तथा स्थायी परिसम्पत के लेनेवाले व्यक्तिमे घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा इनकमटैक्स अफसर को यह विश्वास है कि विक्रय इत्यादि कर-परिहार (tax-avoidance) के उद्देश्यसे किया गया है तो उस स्थायी परिसपत की कीमत विक्रय के समय की उचित विपणि कीमत के बराबर मान ली जायगी ।

(ब) जहाँ किसी स्थायी परिसम्पत पर कर-दाता को घिसाई मिल चुकी है वहाँ उस सम्पत्ति की वास्तविक कीमत उसकी लिखित कीमत मे धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत समायोजन (Adjustment) होने से वृद्धि या कमी की रकम को घटाने या बढाने से मालूम की जायगी ।

(स) स्थायी परिसम्पत की वास्तविक कीमत के स्थान पर कर-दाता चाहे तो **१–१–१९५४ को होने वाली उसकी उचित विणधि कीमत** (fair market value)को पूजीगत लाभ मे से घटाने के लिए माँग कर सकता है ।

द) जहाँ कर-दाता को फर्म या कपनी की समाप्ति पर, अथवा अविभक्त हिन्दू परिवार के विभाजन पर अथवा दान

इत्यादि द्वारा कोई स्थायी परिसम्पत प्राप्त हुई हो तो १-१-५४ को होने वाले उचित विपणी मूल्य के अनुसरण करने के अलावा भी अन्य कई रियायत है जिनका सम्बन्ध ता १-४-१९५६ से है।

५ **पूँजीगत लाभ पर कर की सगणना** (Computation of Tax on Capital Gains) **धारा १७ (६) तथा (७)** —

(अ) **कपनियाँ** – पूजीगत लाभ पर एक कपनी को अपनी दरसे (जैसे १९५९-६० के लिए ३१ ५%) आय कर देना पडता है। सन् १९५९-६० तक पूजीगत लाभ पर **अतिरिक्त कर** (Super-tax) नही लगता। **१-४-'६० से कपनियो पर भी १०% अतिरिक्त कर लागू हो जायगा।**

(ब) **अन्य कर-दाता** — कपनियो के भाँति अन्य कर दाताओ के पूजीगत लाभपर कोई अतिकर (Super-tax) नही लगता। पूजीगत लाभ तथा अन्य आय पर निम्न प्रकार से आयकर लगाया जाता है –

(1) कर-दाताकी अन्य कुल आय मे **पूँजीगत लाभ का $\frac{1}{3}$ भाग जोड कर आयकर की दर निकाली जाती है। उसी दर से सारे पूँजीगत लाभ पर आयकर लगाया जाता है।** किसी भी दशा मे पूजीगत लाभ पर आयकर पूजीगत लाभ तथा ५,००० रु० के अन्तर के $\frac{1}{2}$ से ज्यादा नही हो सकता।

एक विशेष बात यह है कि **यदि पूँजीगत लाभ ५,०००) से ज्यादा नहीं है अथवा कुल आय (पूँजीगत लाभ मिलाकर) १०,०००) से अधिक नहीं है, तो पूँजीगत लाभ पर कुछ भी कर नहीं लगता।**

(ii) अन्य आय पर आयकर तथा अतिरिक्त कर कुल आय मे से पूजीगत लाभ घटाकर ही लगाया जाता है।

६ **पूँजीगत हानियो का प्रतिसादन तथा अग्रेनयन अथवा आगे ले जाना** Set-off and carry forward of Capital losses) – **धारा २४ (२ए) तथा (२बी)**

वे पूँजीगत हानियाँ जो किसी वर्ष मे किसी पूँजीगत लाभ मे से पूणतया समाप्त नही हो सकती है वे आगे ले जाकर भविष्य मे अगले ८ वर्षो तक होने वाले पूँजीगत लाभ से प्रति सादन (Set-off) की जा सकती है। परन्तु यदि किसी गत वष में **पूँजीगत हानि ५,०००) से अधिक नहीं है तो वह आगे नहीं ले जाई जाती।**

प्रश्न सख्या ९

श्री सतीशचन्द्र, जो एक व्यापारी है, ने १–११–१९५८ को ६१,०००) मे एक मशीन बेची जिसे उसने ४०,०००) मे खरीदी थी तथा जिसके बारे मे १५,०००) घिसाई उसे मिल गई थी। इसके अलावा उसकी कुल आय ५०,०००) है। कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६० के लिए बताइए उसका कर-दायित्व क्या होगा ?

उत्तर

	रु०
श्री सतीषचन्द्र का मशीन बेचने पर कुल लाभ	६१,०००–२५,००० (लिखित मूल्य)
	= ३६,०००

इस मे से १५,००० रु० धारा १० (२) (vii) मे कर योग्य सतुलित लाभ है तथा २१,०००) धारा १२ बी मे पूँजीगत लाभ है। उसकी कुल आय निम्न हुई —

अन्य कुल आय	५०,०००
धारा १० (२) (vii) के अन्तर्गत लाभ	१५,०००
	६५,०००
धारा १२ बी के अन्तर्गत लाभ	२१,०००
कुल आय	८६,०००

वह **६५,०००) पर आयकर तथा अतिरिक्त कर ६५,०००) की ही दर से** देगा। तथा **२१,०००) पर ७२,०००)** (६५,००० + $\frac{1}{3}$ × २१,००० (पूँजीगत लाभ) पर लगने वाली आय कर की दर से कर देगा।

प्रश्न

प्र० १ "पूँजीगत लाभ" पर एक छोटा सा लेख लिखो।

उ० देखो कडिका १ से ६ तक।

प्र० २ सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो —

(i) स्थायी परिसम्मत, और

(ii) कर-मुक्त पूंजीगत लाभ।

उ० (i) देखो कडिका २, तथा

(ii) देखो कडिका ३।

भाग तीसरा

कर-निर्धारण एव कर-संगणना

ASSESSMENT & COMPUTATION OF TAX

अध्याय १०

कुल आय तथा कुल विश्व आय की सगणना

COMPUTATION OF TOTAL INCOME AND TOTAL WORLD INCOME

१ पिछले अध्यायोमे विभिन्न शीर्षको के अन्तगत कर योग्य आय को मालूम करने की रीति को हम समझ चुके है। इसके पश्चात् हमे कर-दाता की कुल आय तथा कुल विश्व आय के निकालने की विधि का भी अध्ययन करना जरूरी है। इस बारे मे निम्नलिखित बातो को ध्यानमे रखना आवश्यक है —

२ **कुल आय तथा कुल विश्व आय की परिभाषा** — यह अध्याय १ मे विस्तृत रूप से उल्लेखित हो चुकी है।

३ **कर-मुक्त आय** — तीसरे अध्याय मे हम ऐसी कुछ आयके बारे मे पढ चुके है जो वैसे तो कर मुक्त है पर कर-निकालने के लिए कुल आय मे जोडी जाती है। इसलिए ऐसी आशिक कर-मुक्त आय को कुल आय तथा कुल विश्वआय निकालनेके लिए जोडा जाता है।

४ **पत्निकी आय** (Income of wife) **धारा १६ (३)** — कर-दाता के स्त्री की निम्न लिखित आय उसकी कुल आय मे जोडी जाती है —

(क) उस फर्मकी साझे दारी से होने वाली आय जिसमे कि कर-दाता (पति) साझेदार है।

(ख) उस सपत्ति से आय जो कर-दाताने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके हक में बिना पर्याप्त प्रतिफल के या प्रथक रहने के विचार से हस्तातरित की है।

५ **नाबालिग बच्चेकी आय** (Income of Minor Child) **धारा १६ (३)** —

कर-दाता की कुल आय में उसके नाबालिग (Minor) बच्चे की निम्न लिखित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनो से प्राप्त आय भी जोडी जाती है —

(क) उस फर्मकी साझेदारी से होने वाली आय जिसमे कर-दाता (पिता) साझेदार है।

(ख) उस सम्पत्ति से आय जिसे कर-दाता ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके पक्ष मे बिना उचित प्रतिफल (without adequate Consideration) के हस्तातरित करदी है। परन्तु विवाहिता लडकी को दी गई सम्पत्ति की आमदनी उसके पिता की कुल आय मे नही जोडी जाती।

६ अन्य व्यक्तियो के पक्ष में हस्तातरण —

यदि कोई कर-दाता अपनी पत्नी या नाबालिग बच्चे के हितार्थ बिना उचित प्रतिफल के कोई सम्पत्ति किसी तीसरे व्यक्ति या सस्था के नाम हस्तातरण कर देवे, तो उस सम्पत्ति की आय हस्तातरण करनेवाले की ही आय मानी जाती है।

७ प्रतिभूतियोके बनावटी क्रय-विक्रयके सौदे [Bond-washing transactions] — धारा ४४ ई

कभी कभी कुछ कर-दाता करसे बचनेके लिए ब्याज सहित प्रतिभतियो या लाभाशो सहित हिस्सो को इस गुप्त समझौते पर बेच देते है कि ब्याज अथवा लाभाश मिल जानेके बाद वे कुल ब्याज रहित प्रतिभूतियो या हिस्सो को वापस खरीद लेंगे। इसका फल यह होता है कर बच जाता है। ऐसे अनुचित उपायोको रोकने के लिए इन प्रतिभूतियो का ब्याज इत्यादि उनके वास्तविक मालिक की कुल आयमे जोड दिया जाता है और उनके खरीद कर बेचने वाले व्यक्ति पर इस सम्बन्ध मे मागी हुई यथार्थ सूचना न देने पर ५००) तक प्रतिदिन जुर्माना इनकमटैक्स अफसर कर सकता है।

८ हानियो का प्रतिसादन (Set-off of Losses) –धारा २४ (१)

यदि कर-दाता को किसी वर्ष आय के किसी शीर्षक मे हानि हो जाए तो उस हानि का प्रतिपादन उसी कर-निर्धारण वर्षकी किसी अन्य शीर्षक से प्राप्त आय से कर सकता है। जहाँ करदाता अनरजिस्टर्ड फर्म के रूपमे है तो केवल उसी को घाटे की पूर्ति या प्रतिसादन करनेका अधिकार है, उसके किसी भी साझेदार को व्यक्तिगत रूप से फर्म के अपने हिस्से के घाटे की पूर्ति उसी वर्ष की अपनी आय मे से करने का अधिकार नही है।

जहाँ कर दाता रजिस्टर्ड फर्म है, तो जो हानि उसे आय के किसी शीर्षक में हुई हो उसका प्रतिसादन उसी वर्ष के अन्य किसी शीर्षक से होनेवाली आयसे हो सकता है। वह हानि जिसका इस प्रकार प्रतिसादन नही हो सका हो वह साझीदारो मे विभाजित की जाती है। और प्रत्येक साझेदार फर्मके हानि के अपने हिस्से का प्रतिसादन अपनी अन्य शीर्षक से हुई आय से कर सकता है।

व्यापार, व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ मालूम करने के लिए **सट्टे की हानि का प्रतिसादन केवल सट्टे के लाभो से ही किया जा सकता है।**

९ **व्यापारिक हानियोको आगे ले जाना** (Carry-forward of Business Losses) धारा २४ (२) —

यदि व्यापार मे किसी वर्ष नुकसान हो जाए और वह उस वर्ष की किसी अन्य आय से पूरी न हो सके तो नुकसान की ऐसी रकम आगे ले जाई जा सकती है और उसी या अन्य किसी व्यापार के लाभो से आगामी ८ वर्षो तक पूरी की जा सकती है।

जहाँ अशोधित घिसाई भी अस्तित्व मे हो, तो व्यापारिक हानि की पूर्ति उसकी पूर्तिके पहले कर लेनी चाहिए। रजिस्टर्ड तथा अन रजिस्टर्ड फर्मो की व्यापारिक हानियो को आगे लाने के सम्बन्ध मे वे ही नियम लागू होते है जो हानियो के प्रतिसादन के सम्बन्ध मे लागू होते है। हानियो को आगे लाकर उनकी पूर्ति करनेका अधिकार केवल उसी व्यक्ति को हे, जिसे नुकसान हुआ है। यदि किसी फर्म के सगठन मे कोई परिवर्तन हुआ है अथवा व्यापार मे कोई नया साझेदार आया है तो केवल उसी व्यक्ति को जिसे वास्तवमे हानि हुई है अपनी आयमे से उस हानि की पूर्ति करनेका अधिकार है। **सट्टोकी पिछले वर्षो से लाई गई हानियो की रकम की पूर्ति केवल सट्टो के लाभ से ही अगले ८ वर्षो तक हो सकती है।**

प्रश्न सख्या १०

एक कर-दाता ने अपने गतवर्ष १–४–५८ से ३१–३–५९ के लिए निम्न लिखित विवरण दिया है —

(१) एक भारतीय औद्योगिक कम्पनी से ८ महिने की तनख्वाह २४,००० रु०।

(२) उसी कपनी से चीन मे की गई सेवाओ के उपलक्ष्य मे ४ मास का वेतन – १६,००० रु० – (जिसे उसने चीन मे ही प्राप्त किया) जिसमे से २,००० रु० प्रति मास उसने अपनी स्त्री को भेजे।

(३) विदेशी कम्पनी से विदेशमे ही प्राप्त लाभाश ४,००० रू० (यह रकम कम्पनी ने २,००० रु० वहाँ के इनकमटैक्स के बाबत काटकर दी है)।

(४) रजिस्टर्ड फर्म से अपने हिस्से की आय – १०,००० रु०।

(५) अजमेर म किए गये तेल के धधे से ६,००० रु० की गतवर्षकी हानि इस वर्ष लाई गई है तथा इस वर्ष उस व्यापार से २,००० रु० का लाभ है।

उसकी कुल आय तथा कुल विश्व आय निकालिए यदि वह (1) पक्का निवासी है तथा (11) अनिवासी है।

उत्तर –

कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६०		(1) रु०	(11) रु०
(१) वेतन		२४,०००	२४,०००
(२) व्यापार के लाभ (१०,०००+२,०००) बाद, अजमेर के तेल के व्यापार से हानि ६,०००		६,०००	६,०००
(३) विदेशी आय जिसे भारत मे भेजा गया है		८,०००	--
(४) विदेशी आय जिसे भारत मे नही भेजा गया है चीन मे नोकरी करने का वेतन	८,०००		
विदेशी कम्पनी के लाभाश	४,०००		
	१२,०००	७,५००	
बाद, कानूनी छूट	४,५००		
कुल आय रु०		४५,५००	३०,०००
विदेशी आय			२०,०००
कुल विश्व आय रु०			५०,०००

प्रश्न

प्र० १ हानियोके प्रतिसादन (Set-off of Losses) तथा व्यापारिक हानियो को आगे ले जाना (carry-forward of business losses) से क्या समझते हो, विस्तार से समझाइए।

उ० देखो कडिका ८ से ९।

प्र० २ सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो —

(अ) प्रतिभूतियो के बनावटी क्रय-विक्रयके सौदे।

(ब) पत्नि तथा नाबालिग बच्चो की आय।

उ० (अ) देखो कडिका ७।

(ब) देखो कडिका ४ से ५।

अध्याय ११

विभिन्न कर-दाताओ का कर निर्धारण

(1) व्यक्तियोका कर-निर्धारण

व्यक्ति के कर निर्धारण सम्बन्धी मुख्य बाते नीचे दी जाती है —

(१) सर्व प्रथम यह देखना चाहिए कि व्यक्ति किस प्रकार का निवासी है, क्योकि निवास-स्थान के विचार से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियो के कर निर्धारण भिन्न भिन्न होते है।

(२) तत्पश्चात् यह मालूम करना चाहिए कि व्यक्ति अविभक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है या एक रजिस्डड या अनरजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है या किसी अन्य जन मडल या कपनी का सदस्य है अथवा इनमे से सभी का या कुछ का मिश्रण है।

(३) गत अध्याय मे बताए गए नियमो के अनुसार यदि उसकी पत्नि की या उसके किसी नाबालिग बच्चे की कोई आय है जो उसकी आयमे शामिल होनी चाहिए तो यह देखना जरूरी है कि वह आय उसकी कुल आय मे जोड ली गई है।

(४) अन्त मे अध्याय ४ से १० तक बताए गए तरीको के अनुसार उसकी कुल आय तथा कुल विश्व आय (यदि व्यक्ति अनिवासी हो तो) मालूम करनी चाहिए।

प्रश्न सख्या ११

निम्न लिखित विवरण से सन् १९५९–६० कर-निर्धारण वर्ष के लिए श्री सुरेश, श्रीमती सुरेश तथा उनके नाबालिग बच्चो के ट्रस्टियो का कर-दायित्व निर्धारित कीजिए —

(१) श्री सुरेश की अपने निजी व्यापार से गतवष मे ४,५०,००० रु० की आय है।

(२) एक साझेदारी मे श्री सुरेश तथा श्रीमती सुरेश दोनो बराबर के हिस्सेदार है। सारी पूजी श्री सुरेश द्वारा ही लगाई गई है। गतवर्ष मे उस साझेदारी द्वारा कुल आय १,०००,०० रु० है।

(३) श्री सुरेश ने एक प्रतिसहाय व्यवस्था-विलेख (revocable deed of settlement) लिखा है जिससे ४०,००० रु० लाभाशो द्वारा आय हुई है। इस व्यवस्था द्वारा सारी आमदनी श्रीमती सुरेश को जीवन भर मिलने के लिए है।

(४) श्री सुरेश ने एक और प्रतिसहार्य व्यवस्था-विलेख लिखा है जिससे ३०,००० रु० लाभाशो द्वारा आय हुई है। इस व्यवस्था द्वारा सारी आमदनी श्री सुरेश के तीनो नाबालिग बच्चो के जीवन भरके लिए है।

उत्तर —

श्री सुरेश का सन् १९५९-६० के लिए कर-निर्धारण —

(१) व्यापार के लाभ स्वय का व्यापार	४,५०,०००
रजिस्टर्ड फर्म से ½ हिस्सा	५०,०००
	५,००,०००
(२) अन्य साधनो से आय	
स्त्री के हिस्से की रजिस्टर्ड फर्म से आय	५०,०००
दोनो व्यवस्थाओ (settlement) से आय	७०,०००
कुल आय	रू० ६,२०,०००

श्रीमती सुरेश तथा तीनो नाबालिक बच्चो को कोई कर नही देना पडेगा।

प्रश्न सख्या १२

३१ मार्च १९५९ को समाप्ति होने वाले वर्ष के लिए श्री शरतचन्द्र की आय का विवरण निम्न लिखित है —

(१) उसका वेतन १,००० रु० प्रति मास था। उसके यात्राभत्ते के बिल की कुल रकम २,००० रु० थी परन्तु उसका वास्तविक खर्चा केवल १,५०० रु० था।

(२) उसने एक वैधानिक प्रोविडेन्ट फँड मे १०% चदा दिया तथा उसके मालिक ने १०% चदा दिया। फड की सचित राशि पर साल भर मे १,००० रु० ब्याज प्राप्त हुआ।

(३) वह जयपुर मे स्थित दो मकानो का मालिक है। एक मकान २०। रु० प्रति मास की दर से किराए पर दिया हुआ है, दूसरा रहनेका मकान (जिसका वार्षिक मूल्य १,००० रु० है) साल भर खाली रहा क्योकि उसकी नागपुर मे बदली हो गई। इस मकान से उसे अन्य कोई लाभ प्राप्त नही हुआ। दोनो मकानो पर ३०० रु० तथा १२० क्रमश स्थानीय कर लगता है।

(४) उसे कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो से ५०० रु० का ब्याज तथा लाभाशो से ७०० रू० (सकल) की आयकी प्राप्ति ई।

(५) वह अपने ६०,००० रु० के जीवन बीमा पर ४,००० प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम देता है।

कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६० के लिए उसकी कुल आय तथा कर-मुक्त आय निकालिये।

उत्तर —

श्री शरत चन्द्र का सन् १९५९-६० के लिए कर-निर्धारण

(१)	वेतन – १,००० रु० प्रति मास की दर से —धारा ७		रु० १२,०००
(२)	कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो का ब्याज धारा ८		५००
(३)	जायदादकी आय—धारा ९		
	किराये पर दिये हुए मकान का वार्षिक किराया	२,४००	
	बाद – स्थानीय कर	१५०	
	वार्षिक मूल्य	२,२५०	
	बाद – मरम्मत खर्च $\frac{1}{6}$	३७५	१,८७५
	दूसरा मकान धारा ९ (२) के दूसरे प्रबध (proviso) के अन्तर्गत मुक्त है।		
(४)	अन्य साधनो से आय —धारा १२		
	लाभाश	७००	
	अधिक यात्रा भत्ता	५००	१२००
	कुल आय रु०		१५,०७५

कर-मुक्त आय :

(१)	स्वय का प्रोविडेन्ट फड मे दिया हुआ चदा	१,२००
(२)	जीवन-बीमा का प्रीमियम (प्रोविडेन्ट फड का चदा तथा बीमा प्रीमियम कुल मिलाकर आय के $\frac{1}{5}$ हिस्से से अधिक नही होना चाहिए)	२,७६९
(३)	कर-मुक्त ब्याज	५००
	कुल रु०	४,४६९

(ii) **अविभक्त हिन्दू परिवारोका कर-निर्धारण** (Assessment of Hindu Undivided Families) —

१ अविभक्त हिन्दू परिवार का कर-निर्धारण एक प्रथक कर-दाता की हैसियत से होता है। हिन्दू न्याय-शास्त्र (Hindu-Law) के अनुसार सयुक्त हिन्दू परिवार तथा आयकर कानून के अनुसार अविभक्त हिन्दू परिवार मे अतर है। हिन्दू न्याय शास्त्र के अनुसार एकाकी पुरुष या केवल स्त्रियो का भी सयुक्त परिवार हो सकता है। आयकर कानूनमे बिना सहभागियो (co-parceners) के अविभाजित हिन्दू परिवार नही हो सकता। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अविभक्त हिन्दू परिवार की शामिलाती जायदाद पर कर लगता है न कि उसके सदस्यो की निजी आय पर।

२ सन् १९५८ तथा १९५९ के वित्त अधिनियमो के अनुसार एक अविभक्त हिन्दूपरिवार को कोई कर नही देना पडता यदि उसकी कुल आय ६,००० रुपये की न्यूनतम सीमा से अधिक नही है। यह सीमा तभी लागू होती है जब कि बटवारे के अधिकारी सदस्य कम से कम दो हो तथा उनमे से कोई भी —

(क) १८ वर्ष से कम आयु का नही हो, या

(ख) किसी दूसरे सदस्य की सतान नही हो, या किसी दूसरे सदस्य के साथ किसी ऐसे जीवित सदस्य (जिसे बँटवारे का अधिकार नही हो) की सतान नही हो।

३ **विभाजन के पश्चात् कर-निर्धारण** **धारा २५ ए**

कोई भी अविभक्त हिन्दू परिवार का सदस्य आयकर अफसर के पास बॅटवारे की प्रार्थना कर सकता है और उक्त अफसर नोटिस देकर बँटवारे की जॉच करवा सकता है। यदि जॉच के बाद आयकर अफसर इस बात से पूर्ण तया सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसे हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति का निश्चित तथा भौतिक (By Metes & Bounds) हिस्सो मे विभाजन हो चुका है तो आयकर अफसर विभाजन की स्वीकृति की आज्ञा दे देगा। जब तक ऐसी आज्ञा नही दी जाय तब तक विभाजन होने पर भी वह अविभक्त हिन्दू परिवार ही समझा जाएगा। विभाजन होने के बाद भी सम्पूर्ण कर की रकम के लिए सब सदस्य मिलकर तथा अलग अलग जिम्मेदार है।

(iii) **साझेदारी तथा अन्य जन मडल का कर-निर्धारण** (Assessment of Partnership firms and other Association of persons) —

१ आयकर अधिनियम के अन्तर्गत साझेदारीफर्म दो प्रकार के होते है — पजीयित सार्थ तथा अपजीयित सार्थ। दोनो का आयकर दायित्व एक दूसरे से

बिलकुल भिन्न है। पजीयित सार्थ उस सार्थ को कहते है जो आयकर कानून की धारा २६ ए के अन्तर्गत इनकमटैक्स अफसर द्वारा पजीयित किया गया हो। भारतीय भागिता अधिनियम १९३२ के अन्तर्गत पजियन करवाई गई सार्थ को आयकर अधिनियम मे पजीयित सार्थ नही माना जाता है। अपजीयित सार्थ वह सार्थ है जिसका २६ ए के अन्तर्गत पजियन (Registration) नही हुआ है।

२ **पजियन** (Registration) **की विधि** — **धारा २६ ए**

इस सम्बन्ध मे निम्न बातो को ध्यान मे रखना बहुत जरूरी है —

(१) सार्थ के पजियन कराने के नियय आयकर अधिनियम की धारा २६ ए तथा सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा बनाए गए आयकर नियम १९२२ के २ से ६ बी तक नियमो मे पाये जाते हैं।

(२) पजियन के पूर्व एक सार्थ को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पडता है —

(अ) पजियन के लिए प्रार्थना पत्र एक निश्चित फॉर्म भरकर इनकमटैक्स अफसर को दिया जाता है। इसमे सभी भागीदारो के व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने चाहिये। यदि सार्थ का पजियन सर्व प्रथम करवाया जा रहा तो प्रार्थना पत्र सार्थ के हिसाबी वर्ष के अन्त के पहले या फर्म के बनने के ६ महिने की अवधि के पहले (जो भी समय पहले आए) भेजना चाहिए। पजियन प्रतिवष पुन (Renew) कराया जाता है तथा उसके लिए प्रार्थना-पत्र प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष की **३० जून तक** आयकर अफसर के पास पहुँच जाना चाहिए।

(ब) साझेदारी या भागिता की रचना **भागिता सलेख** (Instrument of Partnership) के अन्तर्गत होनी चाहिए।

(स) भागिता-सलेख के अन्दर **प्रत्येक भागी का हिस्सा कितना और किस प्रकार है,** स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए।

(द) भागिता सच्ची (Genuine) होनी चाहिए न कि आयकर से बचने के लिए एक मिथ्या सस्था।

(३) यदि प्राथना-पत्र की प्राप्ति पर इनकमटैक्स अफसर पूर्णरूप से सतुष्ट हो जाय तो वह सलेख के नीचे इसके पजियन होने के तथ्य को नोट कर देता है। पजियन केवल एक वर्ष के ही लिए होता है। यदि इनकमटैक्स अफसर सतुष्ट नही है तो वह भागिता-सार्थ (Partnership firm) को पजी करने से इन्कार कर सकता है।

(४) धारा २३ (४) के अन्तर्गत एक-तरफा कर-निर्धारण होने पर भी इनकम-टैक्स अफसर सार्थ (firm) को पजी करने से इन्कार कर सकता है तथा यदि सार्थ को पजीयन दे चुका हो तो उसे रद्द कर सकता है। यही नही यदि सार्थ के जालसाजी का असलीरूप इनकम टैक्स अफसर को ज्ञात हो जाय तो वह पजीयन को रद्द कर सकता है।

३ भागीदारो में आय का आवन्टन (Allocation of Income amongst partners) — **धारा १६ (१) (बी)**

सार्थ की कर योग्य आय उसके भागीदारो मे बॉटी जाती है। सार्थ की कर-योग्य आय मे प्रत्येक भागीदार का हिस्सा सार्थ से प्राप्त की गई आय ही नही होता बल्कि वह निम्न रूप से निकाला जाता है —

(अ) सर्व प्रथम धारा १० की व्यवस्थानुसार सार्थ का हानि लाभ-निकाला जाता है,

(ब) सार्थ की आय इस प्रकार निकालने के पश्चात् भागीदारो को वेतन ब्याज, कमीशन अथवा अन्य प्रारिश्रमिक के रूप मे दी गई रकमे घटा दी जाती है, तथा

(स) अन्त मे सार्थ की शेष कर-योग्य आय को भागीदारो मे उनके लाभ के हिस्सो के अनुपात मे बॉट दिया जाता है।

४. पजीयित सार्थ (Registered firms) —

(अ) आय-कर —

१–४–१९५६ के पहले एक पजीयित सार्थ पर उसकी कुल आय के लिए कर-निर्धारण तो होता था परन्तु सार्थ की आय पर सार्थ द्वारा कोई कर नही दिया जाता था। प्रत्येक भागीदार की कुल आय में सार्थ के लाभ का हिस्सा सम्मिलित होकर उसपर कर लगाया जाता था। परन्तु १–४–१९५६ से पजीयित सार्थ भी अपनी कुल आय पर कर देते है यदि उनकी कुल आय ४०,००० रु० से अधिक है।

भागीदारो को तो अपने अपने हिस्सो पर पूर्ववत् कर देना ही पडता है परन्तु उनको अपने व्यक्तिगत आयकर की दर से उस रकम पर छूट मिलती है जो कि सार्थ द्वारा दिए गए आयकर के बारे मे उनके हिस्से में आती है।

उदाहरण —

एक पजीयित सार्थ मे ('अ', 'ब', 'स' तथा 'द' चार बराबर के हिस्से वाले भागी है तथा सन् १९५८–५९ मे जिसकी कुल आय १,००,००० रु० है। भागीदारो की कोई अन्य आय नही है। पहले ऐसी सार्थ कोई भी नही कर नही देती थी हालाकि प्रत्यक भागी को २५,००० रु० पर कर-देना पडता था। अब उसे ३,२५० रु० आय कर देना पडेगा। परन्तु प्रत्यक भागी को ३,२५० रु० के $\frac{1}{4}$ भाग पर (अर्थात् ८१२ ५० रु०) पर अपनी कुल आय २५,००० रु० पर लगने वाले आयकर की औसत दर से छूट मिल जायगी।

(ब) **अतिरिक्त कर** – पजीयित सार्थ की आय पर अतिरिक्त कर नही लगता। साथ के प्रत्येक भागी की अन्य आय मे सार्थ के लाभ के उसके हिस्से की रकम भी जोडी जाती है तथा इस प्रकार भागी द्वारा अपनी कुल आयपर अतिरिक्त कर देना पडता है।

(स) **हानिका प्रतिसादन तथा उसका आगे ले जाना धारा २४**
यदि पजीयित सार्थ के किसी व्यापार मे घाटा होता है तो पहले सार्थ की अन्य आय में से उसकी पूर्ति की जाती है और तब घाटे की शेशाष रकम भागीदारो मे उनके हिस्सो के अनुसार बॉट दी जाती है जिसे प्रत्येक भागी उसी वर्ष की अपनी अन्य आय से पूर्ण कर सकता है या उसे व्यापारिक घाटे के रूप मे प्रतिसादन के लिए आगामी ८ वर्षों तक आगे ले जा सकता है।

५ अपजीयित सार्थ (Unregistered Firms) —

(अ) **आयकर** —एसे सार्थ पर एक अविवाहित व्यक्ति की भॉति ही उसकी कुल आय की रकम पर कर लगाया जाता है। यदि इसकी कुल आय कर- योग्य न्यूनतम सीमा से कम है तो इस पर कोई आयकर नही लगता। यदि सार्थ पर कर लग गया हो तो भागीदारो की अन्य आय मे सार्थ से उनका हिस्सा केवल कर की दर निश्चित करने के लिए ही जोडा जाता है। यदि सार्थ की कुल आय कर-योग्य सीमा से कम है तो भागीदारो को अपनी अन्य आय के साथ सार्थ के लाभ के अपने हिस्से पर भी कर देना पडेगा।

(ब) **अतिरिक्त कर** – ऐसे सार्थ पर व्यक्ति की ही भाँति अतिरिक्त-कर लगता है और यदि फर्म पर अतिरिक्त कर लग गया हो तो फर्म के लाभ से अपने हिस्सो पर भागीदारो को अतिरिक्त-कर नही देना पडता।

(स) **घाटेका प्रतिसादन तथा उसका आगे ले जाना — धारा २४** अपजीयित सार्थ प्रथम तो अपने व्यापारिक घाटे का प्रतिसादन उसी वष मे अपनी अन्य आय मे से कर सकता है और शेष रहे घाटे की आगामी ८ वर्षो तक व्यापारिक हानि के रूप मे आगे ले जा सकता है। किन्तु कोई भी भागी साथ मे अपने हिस्से की हानि का प्रतिसादन अपनी अन्य आय से नही कर सकता।

(द) **अपजीयित सार्थ को पजीयित सार्थ माना जाना** (Unregistered firm assessed as registered firm) **–धारा २३ (५) (बी)**–इनकम-टैक्स अफसर को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह यह समझे कि एक अपजीयित सार्थ को पजीयित मानने से अधिक आयकर और अति-रिक्त कर मिलेगा तो वह इसके वस्तुत पजीयित न होने पर भी इसे पजीयित सार्थ मान लेगा। ऐसी परिस्थिति मे कर-निर्धारण के समय 'पजीयित सार्थ' के लिए लागू होने वाले सभी नियम तथा सिद्धान्त ऐसी पजीयित मानी गए साथ के कर-निर्धारण मे भी लागू होगे।

६ **सार्थके सगठन में परिवर्तन** (Change in the Constitution of firm) **धारा २६**

यदि किसी सार्थ के सगठन मे कोई परिवर्तन हुआ है अथवा कोई सार्थ पुन गठित हुआ है तो कर-निर्धारण के समय सार्थ जिस रूप मे सगठित है उसी रूप मे उस पर कर-निर्धारण किया जायगा किन्तु सार्थ का लाभ गतवर्ष में सार्थ के जो भागीदार रहे थे, उन्ही मे बाँटा जायगा। इस प्रकार प्रत्येक भागी के ऊपर कर केवल उसी रकम पर लगता है, जिसको प्राप्त करने का वह गतवर्ष मे वास्तविक रूप से हकदार था। यदि किसी भागी के ऊपर लगाए हुए कर की वसूली उससे न हो सके तो वह कर-निर्धारण के समय सगठित सार्थ से वसूल किया जायगा।

यदि सार्थ के किसी अवसर-प्राप्त (Retired) अथवा स्वर्गवासी भागी के हिस्से मे सार्थ के नुकसान के हिस्से की रकम आती हे तो सार्थ इस घाटे की पूर्ति बाद के किसी वर्ष के अपने लाभ से नहीं कर सकती, केवल वह भागी ही उसी गत वष की अपनी अन्य आय मे से इसकी पूर्ति कर सकता है।

७ **सार्थ का बद होना** (Discontinuance of firm) **धारा ४४**

यदि किसी सार्थ का कारोबार बद हो जाता है तो सार्थ के बन्द होने के समय वे सब व्यक्ति जो फर्म के भागीदार थे, सामूहिक रूप से तथा व्यक्ति-

गत रूप से भी कर-निर्धारण के दायित्व को वहन करते है। यदि सार्थ का कर-निर्धारण हो चुका हो और केवल उससे कर-वसूली न हो सकी है तो कर-भुगतान का दायित्व भी इन पर है।

८ अन्य जन मडल का कर-निर्धारण (Assessment of other association of persons)

अन्य जन-मडल पर आयकर तथा अतिरिक्त कर ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे कि एक अविवाहित व्यक्ति पर। अन्य जन-मडल की आय मे प्रत्येक सदस्य के हिस्से को इसी प्रकार माना जाता है जैसे कि वह अपजीयित सार्थ से हिस्सा हो। इसके भग हो जाने पर वे ही नियम लागू होते है जो कि सार्थ के बद होने पर।

प्रश्नसख्या १३

अ, ब तथा स एक सार्थ मे क्रमश २ २ १ हिस्सो मे भागी है। ३१–१२–१९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ प्राप्ति का विवरण-पत्र निम्नलिखित है —

		रु०		रु०
मिश्रित व्यापारिक खर्च		५०,०००	सकल लाभ	१,४५,०००
पूँजी पर ब्याज			लाभाश (सकल)	५,०००
श्री अ	३,०००			
श्री ब	२,०००			
श्री स	१,०००			
ब का वेतन		६,०००		
स को कमीशन		३,०००		
पक्का लाभ		८५,०००		
		१,५०,०००		१,५०,०००

सार्थ की कुल आय की गणना कीजिए तथा उसके भागीदारो मे उसका आवन्टन (Allocation) कीजिए।

उत्तर

कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६०

सार्थ के कुल आय की सगणना

		रु०
१ व्यापारिक लाभ		
लाभ-हानि खाते के अनुसार पक्का लाभ		८५,०००
जोडो – पूँजी पर ब्याज	६,०००	
भागी का वेतन	६,०००	
भागी का कमीशन	३,०००	
		१५,०००
		१,००,०००
बाद लाभाश, जो व्यापारिक लाभ नही है		५,०००
व्यापारिक लाभ		९५,०००
२ लाभाश (सकल)		५,०००
सार्थ की कुल आय रु०		१,००,०००

भागीदारो में सार्थ की आय का आवन्टन

भागी	हिस्सा	पूँजी पर ब्याज रु०	वेतन रु०	कमीशन रु०	शेष आय मे हिस्सा रु०	कुल आय रु०
अ	२/५	३,०००			३४,०००	३७,०००
ब	२/५	२,०००	६,०००		३४,०००	४२,०००
स	१/५	१,०००		३,०००	१७,०००	२१,०००
कुल		६,०००	६,०००	३,०००	८५,०००	१,००,०००

धारा १४ (२) (एए) के अन्तर्गत निम्न आय आय-कर से मुक्त है —

सार्थ की कुल आय १,००,००० रु० पर कर = ३,२५० रु०

आयकर घटा कर सार्थ की कुल आय = १,००,००० रु० − ३,२५० रु०

= ९६,७५० रु०

प्रत्येक भागी के हाथ मे निम्न भाग कर-मुक्त है —

	सार्थ की कुल आय मे हिस्सा रु०	सार्थ की कुल आय में से आयकर निकालने के बाद बची हुई रकम रु०	सार्थ के लाभ का वह भाग जो भागीदारोके हाथ मे कर-मुक्त है रु०
अ	३७,०००	३५,७००	१,३००
ब	४२,०००	४०,७००	१,३००
स	२१,०००	२०,३५०	६५०
कुल	१,००,०००	९६,७५०	३,२५०

प्रश्न सख्या १४

एक सार्थ के तीन भागीदार क, ख तथा ग है, जिनका हिस्सा क्रमश ४ ३ १ है। १९५८ कैलेंडर वर्ष के लिए सार्थ को निम्नलिखित रकमे घटाने के पश्चात १६,००० रु० का पक्का नुकसान हुआ है —

		रु०
पूँजी पर ब्याज	क	३,०००
	ख	२,०००
	ग	१,०००
वेतन	ग	२,०००

क की आय साधनो से आय ५,००० रु० है जबकि ख तथा ग की और कोई आय नही है।

कर-निर्धारण कीजिए (1) जब सार्थ पजीयित है तथा (11) जब वह अपजीयित है।

उत्तर

भागीदारो की पूँजी पर दिए गए ब्याज तथा भागी के वेतन को १६,००० रु० मे से घटाने के पश्चात् सार्थ का वास्तविक नुकसान ८,००० रु० है तथा तीनो भागीदारो का क्रमश हिस्सा निम्न प्रकार होगा —

भागी	हिस्सा	पूँजी पर ब्याज रु०	वेतन रु०	सार्थ के घाटे मे हिस्सा रु०		कुल रु०
क	$\frac{4}{8}$	३,०००	—	८,०००	हानि	५,०००
ख	$\frac{3}{8}$	२,०००	—	६,०००	हानि	४,०००
ग	$\frac{1}{8}$	१,०००	२,०००	२,०००	लाभ	१,०००
कुल		६,०००	२,०००	१६,०००		८,०००

(1) जब सार्थ पजीयित है

'क' सार्थ से अपने हिस्से के नुकसान (५,००० रु०) का प्रतिसादन अपनी अन्य आय ५,००० रु० से कर सकता है। इस प्रकार उसे कोई कर नही देना पडेगा।

'ख' सार्थ से अपने हिस्से के नुकसान (४,००० रु०) को आगे ८ वर्षो तक व्यापारिक लाभो से प्रतिसादन करने के लिए ले जा सकता है।

'ग' की आय केवल १,००० रु० है, इसलिए उसे कोई कर नही देना पडेगा।

(11) जब सार्थ अपजीयित है

सार्थ अपने नुकसान (८,००० रु०) को अपनी भविष्य की आमदनी से प्रतिसादन करने के लिए अगले ८ वर्षो तक आगे ले जा सकता है।

'क' सार्थ के अपने हिस्से के नुकसान का प्रतिसादन अपनी अन्य आय से नही कर सकता। उसे अपनी अन्य आय ५,००० रु० पर कर देना पडेगा।

'ख' सार्थ के नुकसान को आगे नही ले जा सकता।

'ग' को कोई कर नही देना पडेगा।

प्रश्न संख्या १५

अ तथा ब एक पजीयित साथ मे बराबर हिस्से वाले भागी है। गत वर्ष १९५८–५९ मे साथ का नफा-नुकसान खाता निम्न प्रकार है —

		रु०		रु०
वेतन तथा बोनस		७,०००	सकल लाभ	६५,०००
अन्य व्यापारी खर्चे		१०,०००	अन्य आय	५,०००
सेल-टैक्स		५,०००		
किराया		३,०००		
घिसाई निधि		२,०००		
डूबत ऋण की रकम		१,०००		
डूबत ऋण-निधि		२,०००		
विज्ञापन खर्च		३,०००		
चदा तथा धर्मादा		१,०००		
मोटरकार की बिक्री पर हानि		३,०००		
पूजी पर ब्याज	अ	३,०००		
	ब	३,०००		
भागीदारो का वेतन	अ	२,०००		
	ब	२,०००		
कमीशन		१,०००		
पक्का लाभ		२२,०००		
		७०,०००		७०,०००

(१) मिश्रित व्यापारिक खर्च मे सरकारी जुर्माने, के दड की २००) की रकम शामिल है।

(२) विज्ञापन खर्च मे १,००० रु० पूजीगत खर्च की रकम है।

(३) चदे तथा धर्मादे मे निम्न रकम शामिल है —

(अ) २०० रु० एक व्यापारिक सघ का चदा,

(ब) ६०० रु० शर्णार्थीयोके लिए टीन का छप्पर, तथा

(स) २०० रु० एक स्कूल को दान।

(४) मोटर कार पूर्णतया उसके निजी कार्य मे आती है।

(५) घिसाई की मिलने वाली रकम १,००० रु० है।

अ — प्रतिभूतियो का ब्याज (सकल) — ५,००० रु०, जायदाद की आय — १,००० रु०, लाभाश (सकल) — ३,००० रु०, विदेशी आय जो भारत मे नही लाई गई है — ३,००० रु०

ब — प्रतिभूतियो का ब्याज (सकल) — ७,००० रु०, लाभाश (सकल) — १,००० रु०, जायदाद की आय — ३,००० रु०, भारत मे लाई गई विदेशी आय — १,००० रु०

यह मान कर कि अ तथा ब भारत के पक्के निवासी हैं, उनकी कुल आय की सगणना कीजिए।

उत्तर

कर-निर्धारण वर्ष १९५९–६०

		रु०	रु०
	लाभ-हानि खाते के अनुसार पक्का लाभ		२२,०००
जोडो–१	घिसाई निधि	२,०००	
२	डूबत-ऋण निधि	२,०००	
३	पूँजी पर ब्याज	६,०००	
४	भागी का वेतन	४,०००	
५	भागी को कमीशन	१,०००	
६	कानूनी दड	२००	
७	पूँजीगत विज्ञापन खर्चा	१,०००	
८	चदा तथा धर्मादा	८००	
९	मोटरकार के बेचने का नुकसान	३,०००	
			२०,०००
			४२,०००
बाद–घिसाई			१,०००
	सार्थ की कुल आय		४१,०००

सार्थ का आय-कर दायित्व

पहले ४०,००० रु० पर कुछ नही
आगे १,००० रु० पर ५ प्रतिशत से ५० रु०
प्रत्येक भागी को २५ रु० पर आयकर से छूट मिलेगी।

सार्थ की कुल आय का भागीदारो में आवन्टन —

	अ	ब
	रु०	रु०
पूँजी पर ब्याज	३,०००	३,०००
वेतन	२,०००	२,०००
कमीशन	—	१,०००
शेष आय	१५,०००	१५,०००
	२०,०००	२१,०००

अ तथा ब का सन् १९५९-६० के लिए कर-निर्धारण —

	अ	ब
	रु०	रु०
१ प्रतिभतियो पर ब्याज (सकल)	५,०००	७,०००
२ जायदाद की आय	१,०००	३,०००
३ व्यापारिक लाभ	२०,०००	२१,०००
४ लाभाश	३,०००	१,०००
भारत मे लाई गई विदेशी आय	—	१,०००
भारत मे नही लाई गई विदेशी आय (४,५०० से कम)	—	—
कुल आय	२९,०००	३३,०००

प्रश्न सख्या १६

एक व्यापारिक सार्थ मे अ, ब तथा स तीन भागीदार थे जिनके हिस्से क्रमश २ २ १ थे। आठ महिने के पश्चात् स ने भागिता सार्थ को छोड दिया तथा उसकी जगह प को सार्थ मे ले लिया गया तथा फिर से उनके हिस्सोको क्रमश ६ ५ ५ रखा गया।

गत वष १–७–५७ से ३०–६–५८ के लिए उनका लाभ ४८,००० रु० था।

लाभ निकालने मे निम्न खर्चे भी बाद किए गए है —

(१) ४,००० रु० श्री अ को ब्याज

(२) ६,००० रु० श्री ब को वेतन

(३) ३,००० रु० श्री स को दुकान किराया

(४) १,५०० श्री प को कमीशन

(५) २,००० रु० धर्मादा (धारा १५ बी के अन्तगत)

सार्थ ३०,००० रु० घिसाई भत्ता लेने की हकदार है।

सार्थ की कुल आय निकालिए तथा उसका भागीदारोमे आवन्टन कीजिए।

उत्तर

			रु०
	लाभ-हानि खाते के अनुसार लाभ		४८,०००
जोडो	१ अ को दिया हुआ ब्याज	४,०००	
	२ ब को दिया हुआ वेतन	६,०००	
	३ प को दिया हुआ कमीशन	१,५००	
	४ धर्मादा	२,०००	
			१३,५००
			६१,५००
बाद	घिसाई		३०,०००
		कुल आय रु०	३१,५००

धारा (१६) (१) (बी) के अन्तर्गत सार्थ की आय का भागीदारो मे आवन्टन

	अ रु०	ब रु०	स रु०	प रु०
ब्याज	४,०००	—	—	—
वेतन	—	६,०००	—	—
कमीशन	—	—	—	१,५००
शेष आय (८ महिने तक)	६,६६७	३,३३४	३,३३३	—
शष आय (४ महिने तक)	२,५००	२,०८३	—	२,०८३
कुल	१३,१६७	११,४१७	३,३३३	३,५८३

धारा १५ बी के अन्तर्गत धार्मिक सस्थाओको दिया हुआ कर-मुक्त चदा

	अ	ब	स	प
	रु०	रु०	रु०	रु०
८ महिने तक (१,३३३)	६६७	३३३	३३३	—
४ महिने तक (६६७)	२५०	२०८	—	२०९
कुल	९१७	५४१	३३३	२०९

(IV) **कपनी, समवाय अथवा प्रमडलो का कर-निर्धारण** (Assessment of Companies)

१ कपनी की परिभाषा धारा २ (५ ए)

एक कम्पनी से अर्थ है उस कम्पनी से —

(i) जो एक भारतीय कम्पनी है, अथवा

(ii) जो एक ऐसी सस्था है (चाहे वह निगमित (Incorporated) हो या नही तथा (चाहे वह भारतीय हो या नही) जो कि सन् १९४७–४८ निर्धारण-वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी या करने योग्य थी अथवा जिसे सेन्ट्रल बोर्ड ऑव रेवन्यू ने आयकर सबधी मामलो के लिए कपनी घोषित किया हो।

२ कम्पनी करारोपण (Company taxation) **की विशेषताएँ** कम्पनी के कर-निर्धारण सम्बन्धी मुख्य बाते निम्नलिखित है —

(१) एक कम्पनी को उसकी आय चाहे जितनी कम क्यो न हो एक निश्चित दर से तमाम आय पर आयकर तथा अधिकर (Super-tax) देना पडता है। आयकर की दर ३० प्रतिशत है उस पर ५ प्रतिशत अधिभार (Surcharge) है। अधिकर की दर ५० प्रतिशत है परन्तु उसमे से भिन्न दशाओ मे भिन्न भिन्न प्रकार की कपनियो को छूट (Rebate) मिलती है। अधिकाश कपनियो को २० प्रतिशत अधिकर देना पडता है। अधिकर पर कोई अधिभार नही लगता। कपनियो द्वारा दिया जाने वाला अधिकर कपनियोके सीमित दायित्व की सुविधा तथा निगम-अस्तित्व के लिए लगाया जाता है इसलिए इसे 'निगम-कर' (Corporation tax) भी कहते है।

(२) यदि कपनियो के डाइरेक्टरो अथवा उसके कुछ विशेषाधिकारियो पर कपनी द्वारा अनुचित खर्चा किया गया हो तथा कपनी के लाभो को देखते हुए ऐसा व्यय यथोचित प्रतीत नही होता है तो आयकर अफसर अनुचित व्यय की राशि को खर्चे के रूप में मजूर करने से इन्कार कर सकता है। धारा १० (४ए)

(३) कपनियो द्वारा जारी किए गए बोनस हिस्सो पर तथा प्राप्त पूंजी पर ६ प्रतिशत से अधिक लाभाशो के विभाजन पर कपनी को विशेष अधिकर देना पडता है।

(४) कपनी द्वारा दिए गए आयकर का श्रेय उसके हिस्सेदारो को उनके व्यक्तिगत कर-निर्धारण मे दिया जाता है। यदि लाभाशो को घोषित करने के समय से तीन वर्षों में कपनी अपने आयकर की अदायगी नही करे तो हिस्सेदारो को लाभाशो के सकल करने की दी गई सुविधा को वापिस ले लिया जाता है।

३ **धारा २३ ए कपनियाँ** (Sec 23 A Companies) —एक व्यक्ति को एक कपनी के बजाय ज्यादा आयकर तथा अधिकर देना पडता है यदि उसकी आमदनी एक विशेष सीमा से अधिक हो। जैसे एक व्यक्ति की उच्चतम कर की दरे १,००,००० रु० आय के ऊपर अर्जित आय के लिए ७७%तथा अनर्जित आय के लिए ८४% है। जबकि एक कपनी को साधारणतया आय कर तथा अधिकर मिलाकर ५१.५% देना पडता है। हिस्सेदारोको कम्पनी द्वारा दिए गए आयकर का श्रेय (Credit) तो मिल जाता है परन्तु अधिकर का कोई श्रेय नही मिलता। इसलिए यदि एक कपनी मे कुछ ही हिस्सेदारोका पूरा नियत्रण हो तो कपनी के लाभाशो को वितरित नही करके वे अपने अधि-कर के दायित्व को बिलकुल कम देते है। इसलिए यह धारा बनाई गई जिसके द्वारा आयके एक विशेष उल्लेखित प्रतिशत तक लाभाशो को घोषित न करने पर एक **दाडिक-अधिकर** (Penal Super-tax) देना पडता है। वित्त अधिनियम (न २) सन् १९५७ द्वारा सशोधित इस धारा की मुख्य बाते निम्न लिखित है —

(१) यह धारा उस कपनी को लागू नही होती है जिसमे कि जनता सारत बद्धहित (Substantially interested) हो अथवा जो कपनीकी १००% सहायक कम्पनी (Subsidiary Company) हो।

(२) जहाँ आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाता है कि इस कम्पनी द्वारा जिस पर कि वह धारा लागू होती है गतवर्ष के अन्त से १२ महिने तक वितरित लाभाशो की राशि वैधानिक प्रतिशत (Statutory percentage) से कम है तो वह एक लिखित हुक्म जारी करेगा कि वह आय कर तथा अधिकर के अतिरिक्त अवितरित आय के शेष भाग पर (कुल आय–आयकर तथा अतिकर और वितरित लाभाश) एक दाडिक अधिकर (Penal Super-tax) देगी जो कि नियोजन कम्पनी (Investment Companies) के लिए ५०% तथा अन्य कम्पनियो के लिए ३७% होगा।

(३) वैधानिक प्रतिशत की राशि वह राशि है जिसके बराबर रकम को इस धारा के अन्तर्गत आने वाली सभी कम्पनियो को गतवर्ष से १२ महिनो तक लाभाशो के रूपमे वितरित करना ही पडता है। ऐसा न करने पर वह कपनी दाडिक अधिकर देने के लिए उत्तर दायी है। वैधानिक प्रतिशत की राशि विभिन्न कम्पनियो के लिए विभिन्न है, जैसे नियोजन कम्पनियो के लिए १००% भारतीय औद्योगिक कम्पनियो के लिए ४५% (सन् १९६०–६१ से ५०%) कुछ अन्य व्यापारिक कम्पनियो के लिए ६०% (सन् १९६०–६१ से ६५%) इत्यादि।

(४) यदि आयकर अफसर को यह विश्वास है कि पिछले वर्षो मे बहुत हानि होने के कारण अथवा वर्तमान वर्ष मे लाभ की मात्रा कम होने के कारण वितरित लाभाशो से ज्यादा लाभाशो का वितरण अनुचित है अथवा ज्यादा लाभाशो के वितरण से सरकारी आय मे कोई लाभ नही है तो वह इस धारा के अन्तर्गत दाडिक अधिकर लगाने वाला हुक्म नही जारी करेगा।

(५) आयकर अफसर अपने इसपेक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर की पूर्व अनुमति बिना ऐसा हुक्म जारी नही कर सकता तथा इसपेक्टिग असिस्टेट कमिश्नर भी कम्पनी को सुने बिना अनुमति नही दे सकता।

(V) अनिवासी का कर-निर्धारण (Assessment of non-resident) **धारा १७ (१)**

अनिवासी का कर निर्धारण उसके स्वय के नाम मे अथवा उसके किसी एजट के नाम मे हो सकता है। एक अनिवासी अपनी भारतीय आय पर निम्न प्रकार से कर देता है।

(१) (अ) **आयकर** – अपनी कुल आय पर **उच्चतम दरो** से, तथा
(ब) **अधिकर** – अपनी कुल आय पर **१९%** की दर से या एक निवासी पर लगने वाली दरसे यदि **उससे ज्यादा अधिकर** प्राप्त हो।

(२) एक अनिवासी को एक और **चुनाव** (option) दिया जाता है कि वह ऊपर लिखे तरीके से आयकर तथा अधिकर देवे **अथवा अपनी कुल विश्व आय पर लागू होने वाली दरो से अपनी आय पर आयकर तथा अधिकर देवे**।प्रथम कर-निर्धारण के समय उसे ऐसा चुनाव करना पडता है जो कि अतिम (Final) होता है।

(VI) बद हुए व्यापार का कर-निर्धारण (Assessment of Discontinued businesses) —धारा २५

एक व्यापार इत्यादि के बन्द होने से तात्पर्य है उस व्यापार के बिलकुल बन्द हो जाने तथा उसके समस्त कार्यो के समाप्त हो जाने से। धारा २५(२) के अन्तर्गत उन कर-दाताओ को (जिन्हे निम्न छट नही मिलती है) जो अपने व्यापार बन्दकरते है चाहिए कि व्यापार के बन्द करने के १५ दिन के अन्दर आयकर अफसर को इस बात से सूचित कर देवे अन्यथा कर के बराबर उन्हे दड देना पडता है।

बन्द किए गए व्यापार का कर-निर्धारण निम्न दो परिस्थितियो मे विभिन्न होता है —

(ए) **यदि वह सन् १९१८ के अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नहीं हो** (If not assessed under the 1918 Act) – धारा २५ (१)

ऐसी दशा मे पिछले गत वर्ष के अन्त से लेकर व्यापार के बन्द होने की अवधितक की आय पर व्यापार बन्द होनेवाले कर-निर्धारण वर्ष मे ही कर लगाया जाता है। यह निर्धारण गतवर्ष की आय के अतिरिक्त होता है। इसलिए इसे **सचयी कर-निर्धारण** (Cumulative Assessment) भी कहते है –

(बी) **यदि वह सन् १९१८ के अधिनियम के अन्तर्गत कभी भी निर्धारित हो** (If ever assessed under the 1918 Act) धारा २५ (३) व (४)

ऐसी दशा मे कर-दाता को निम्न सहायताएँ (Reliefs) मिलती है —

(१) **गत वर्ष के अन्त से व्यापार के बन्द होने की अवधि तक की आय सर्वथा कर-मुक्त है।**

(२) इसके अतिरिक्त कर-दाता चाहे तो यह मॉग कर सकता है कि **इस समय की आय को गत वर्ष की आय के बदले मानी जाय तथा** गत वर्ष का कर-निर्धारण इसी तरीके से किया जाय।

यदि ऐसे व्यापार का उत्तराधिकार (Succession) १–४–१९३९ के पश्चात् हुआ हो तो उत्तराधिकार के लिए भी उपरोक्त सहायताएँ उपलब्ध रहेगी।

उपरोक्त सहायताएँ आयकर के लिए है। अधिकर के लिए सहायता लेनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उस व्यापार पर सन् १९२०–२१ या १९२१–२२ निर्धारण वर्ष मे अधिकर लगाया गया हो।

नोट —उपरोक्त सहायताएँ कपनियो को नहीं मिलतीं।

प्रश्न सख्या १९

श्री सुभाष पर सन् १९१८ के अधिनियम के अन्तर्गत कर लग चुका है। मार्च सन् १९५८ को उसने अपना व्यापार बन्द कर दिया। १–९–५७ से १–३–५८ तक २०,००० रु० का लाभ रहा। गतवर्ष १–७–१९५६ से ३०–६–५७ तक का लाभ ५०,००० रु० रहा। बतलाइए उसे आयकर की कौनसी रियायते मिलेगी ?

उत्तर

श्री सुभाष को धारा २५ (३) के अन्तर्गत निम्न लिखित **आयकर की रियायतें मिलेंगी।** —

(१) १–७–५७ से १–३–५८ तक की आय (२५,००० रु०) पूर्ण तया कर मुक्त रहेगी।

(२) यदि वह चाहे (जैसा कि वह जरूर चाहेगा) तो वह माँग कर सकना है कि उसके गतवर्ष की ५०,००० रु० की आय को १–७–५७ से १–३–५८ तक होने वाली २५,००० रु० की आय से स्थानापन्न (Substitution) कराले। ऐसी मॉग १ मार्च १९५९ के पहले की जानी चाहिए।

प्रश्न

प्र० १ भारतीय आयकर विधान मे सार्थ का पजीयन (Registration) कैसे होता है? पजीयित सार्थ (Registered firm) और अपजीयित सार्थ (Unregistered firm) के कर निर्धारण पद्धति में क्या अन्तर है?

उ० देखो (iii) कडिका १ से ५ तथा प्रश्न सख्या १४ से १६।

प्र० २ सक्षिप्त टिप्पणी लिखो —

(१) धारा २३ ए कम्पनियाँ।

(२) बन्द हुए व्यापार का कर निर्धारण।

(३) अनिवासी का कर-निर्धारण।

(४) हिन्दु अविभक्त परिवार के बँटवारे के पश्चात् कर-निर्धारण।

उ० (१) देखो कडिका ३, विभाग (iv)।

(२) देखो विभाग (vi)।

(३) देखो विभाग (v)।

(४) देखो कडिका ३, विभाग (ii)

अध्याय १२

कर की सगणना

COMPUTATION OF TAX

१ भूमिका – आयकर अधिनियम मे आयकर तथा अधिकर दोनो का उल्लेख है। इस अधिनियम में करनिर्धारण के आधार, तरीको तथा प्रणाली का विवरण है। किस दर से आय पर कर लगना चाहिए इसका उल्लेख इसमें नही। आयकर तथा अधिकर की दरे प्रत्येक वर्ष मे भारतीय ससद द्वारा पास होने वाले वार्षिक वित्त अधिनियम के द्वारा निश्चित की जाती है।

२ आयकर की दरें —

सन् १९५८–५९ तथा १९५९–६० कर-निर्धारण वर्षों के लिए सन १९५८ तथा १९५९ के वित्त अधिनियमो द्वारा आयकर की निम्न दरे निश्चित की गईं हैं।

(अ) (१) प्रत्येक विवाहित व्यक्ति तथा अविभक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से ज्यादा नही है, के लिये —

	आयके विभाग रु०			दर प्रतिशत
(१)	कुल आय के प्रथम	३,०००	पर	कुछ नही
(२)	कुल आय के अगले	२,०००	पर	३
(३)	,, ,, ,, ,,	२,५००	,,	६
(४)	,, ,, ,, ,,	२,५००	,,	९
(५)	,, ,, ,, ,,	२,५००	,,	११
(६)	,, ,, ,, ,,	२,५००	,,	१४
(७)	,, ,, ,, ,,	५,०००	,,	१८

(२) प्रत्येक अविवाहित व्यक्ति, अपजीयित सार्थ अथवा अन्य जन-मडल अथवा प्रत्येक विवाहित व्यक्ति तथा अविभक्त हिन्दू परिवार जिसकी आय २०,००० रु० से अधिक हो, के लिए —

				(प्रतिशत)
(१)	कुल आय के प्रथम	१,००० रु० पर		कुछ नही
(२)	,, ,, अगले	४,००० रु० पर		३
(३)	, ,, ,,	२,५०० रु० पर		६
(४)	,, ,, ,,	२,५०० रु० पर		९
(५)	,, ,, ,,	२,५०० रु० पर		११
(६)	,, ,, ,,	२,५०० रु० पर		१४
(७)	,, ,, ,,	५,००० रु० पर		१८
(८)	,, ,, शेष भाग पर			२५

उपरोक्त दरो से कर की गणना करते समय निम्नलिखित बातो का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है —

(१) **कर-मुक्त सीमा** (Exemption Limit) —

वह आय जो निम्न लिखित सीमाओ से अधिक नही है कर देने से मुक्त है। किसी भी दशा मे करकी रकम कुल आय तथा निम्न सीमाओ के अन्तर के आधे से अधिक नही हो सकती। सीमाएँ निम्न लिखित है —

(१) ६००० रु० प्रत्येक **अविभक्त हिन्दू परिवार** के लिए जो गतवर्ष के अन्त मे निम्न लिखित शर्तो मेसे कोई एक पूरी करता हो —

(अ) कि उसके कम से कम दो सदस्य ऐसे है जो बँटवारे के हकदार है तथा जिनमे से कोई भी १८ वष की उम्र से कम नही है। **अथवा**

(ब) कि उसके कम सेकम दो ऐसे सदस्य ऐसे है जो बँटवारे के हकदार है तथा जिनमे से कोई एक दूसरे की सतान नही है तथा वे सब परिवार के किसी अन्य जीवित सदस्य की सतान नही है।

(२) ३ ००० रु० अन्य प्रत्येक दशामे।

२ **बच्चो का भत्ता**

एक विवाहित व्यक्ति तथा हिन्दू अविभक्त परिवार जिसकी कुल आय २०,००० रु० से अधिक नही है, को प्रत्येक बच्चे पर जो उस पर पूर्णतया निर्भर है, ३०० रु० (केवल दो बच्चो तक) छूट मिलती है। इस प्रकार एक विवाहित पुरुष को जिसके दो बच्चे उसपर पूर्ण तया निर्भर है कोई कर नही देना पडता यदि उसकी कुल आय ३६०० रु० से अधिक नही है।

३. अर्जित आय पर छूट तथा अधिभार (Earned Income Relief and Surcharges)

३१ मार्च सन् १९५७ तक अर्जित आय पर एक विशेष प्रकार की छूट मिलती थी। वित्त अधिनियम १९५७ के अनुसार यह छूट बिलकुल बन्द कर दी गई है। अब आयकर तथा अधिकर दोनो की दरे अर्जित आय तथा अनर्जित आय के लिए समान है किन्तु अनर्जित आय पर अर्जित आय की अपेक्षा एक अतिरिक्त अधिभार लगाया जाता है। इससे यह तात्पर्य निकला कि अनर्जित आय पर आयकर तथा अधिकर दोनो से एक विशेष रियायत मिलती है परन्तु पहले की अपेक्षा बिलकुल दूसरी शक्ल मे।

उपरोक्त दरो से लगाये गये आयकर पर निम्न अधिभार लगता है —

(अ) **सघ के कार्यों के लिए निम्न अधिभार —**

(१) आय कर का ५%, तथा

(२) १ लाख से ऊपर अर्जित आय के आयकर का ५%

(ब) **अनर्जित आय पर एक विशेष प्रकार का अधिभार** अनर्जित आय के आयकर का १५%।

सीमान्त आमदनी वाली दशाओ मे सहायता देने के लिए अधिभार लगाने के लिए निम्न सीमाएँ है —

(i) १५,००० रु० उस अविभक्त हिन्दू परिवार के लिए जो कि ६,००० रु० की कर-मुक्त सीमा के लिए अधिकारी है।

(ii) ७,५०० रु० किसी अन्य दशामे। यदि कुल आय मे साधारण हिस्सो (ordinary shares) का लाभाश शामिल है तो इस सीमा को लाभाशो की रकम अथवा १५०० रु० (जो भी कम हो) से बढा दिया जायगा।

(४) सन् १९५९–६० के कर-निर्धारण मे यदि किसी कर-दाता की (कम्पनी को छोडकर) कुल आय मे निम्न शीर्षको की आय शामिल हो कुल आय के इतने हिस्से की आय पर गतवर्ष (सन् १९५८–५९) की दरो से कर लगेगा —

(१) वेतन,

(२) प्रति भूतियो का ब्याज, तथा

(३) लाभाश-जिनके बारेमे धारा ४९ बी के अनुसार कम्पनी द्वारा हिस्सेदार के लिए कर देना माना गया है।

सन् १९५८–५९ तथा १९५९–६० के लिए आयकर की दरे समान होने से उपरोक्त नियम कोई महत्व नही रखता है।

(ब) प्रत्येक कम्पनी तथा स्थानीय अधिकारी की कुल आय पर ३०% आयकर तथा उसपर ५% अधिभार लगता है।

(स) उस प्रत्येक दशा में जबकि उच्चतम दरो से कर लगाया जाता है आयकर की दर २५% तथा उसपर २०% अधिभार है।

उस प्रत्येक दशा मे जब कि करकी कटौती उच्चतम दरो से की जाती है आय कर की दरें निम्न है —

	आयकर	अधिभार
प्रत्येक कम्पनी के लिए	३०%	१५%
अन्य दूसरी दशामे	२५%	५ %

(द) प्रत्येक **पजीयित सार्थ पर** निम्न दरो से आय कर लगता है —

		दर
(१) कुल आय के प्रथम	४०,००० रु० पर	कुछ नही
(२) ,, ,, ,, अगले	३५,००० रु० पर	५%
(३) ,, ,, ,, ,,	७५,००० रु० पर	६%
(४) ,, ,, ,, शेष भाग	पर	९%

३ **अधिकर** (Super-tax)

धारा ५५ के अनसार अधि कर एक प्रकारका अतिरिक्त आयकर आरोपण (additional levy of Income-tax) है। आयकर तथा अधिकर के लिए कुछ दशाओ में कुल आय भिन्न भिन्न होती है, जिसका विस्तृत उल्लेख अध्याय ३ मे किया जा चुका है।

४ **अधिकर की दरें**

कर-निर्धारण वर्ष १९५८–५९ तथा १९५९–६० के लिए अधिकर की निम्न दरे है —

(अ) प्रत्येक व्यक्ति, अविभक्त हिन्दू परिवार, अपजियित सार्थ तथा अन्य जन-मडल के लिए —

(१)	कुल आय के प्रथम		२०,००० रु० पर	कुछ नही
(२)	,, ,, ,,	अगले	५,००० रु० पर	५%
(३)	,, ,, ,,	,,	५,००० रु० पर	१५ ,,
(४)	,, ,, ,,	,,	१०,००० रु० पर	२० ,,
(५)	,, ,, ,,	,,	१०,००० रु० पर	३० ,,
(६)	,, ,, ,,	,,	१०,००० रु० पर	३५ ,,
(७)	,, ,, ,,	,,	१०,००० रु० पर	४० ,,
(८)	,, ,, ,,	शेष भाग	पर	४५ ,,

अधिकर पर अधिभार (Surchargeon Super tax)

उपरोक्त दरो से निश्चित अधिकर की रकम पर निम्न अधिभार लगाया जाता है —

(अ) **सघ के कार्यों** के लिए निम्न रकमो के बराबर अधिभार —

(1) अधिकर की रकम का ५%, तथा

(11) १००,००० रु० से अधिक अर्जित आय की रकम पर लगे अधिकर का ५%

(ब) **अनर्जित आय पर एक विशेष अधिभार** — जो कि अनर्जित आय पर लगे हुए अधिकर की रकम के १५% के बराबर है।

(ब) प्रत्येक स्थानीय अधिकारी पर उसकी कुल आय के १६% के बराबर अधिकर लगता है तया उस अधिकर पर १२॥% अधिभार लगता है।

(स) प्रत्येक सहकारिता समिति के लिए अधिकर की दरें निम्न है —

(1) कुल आय के प्रथम २५,००० पर कुछ नही

(11) कुल आय के शेष भाग पर १६%। ऐसे अधिकर पर १२॥% अधिभार लगता है।

(द) प्रत्येक कम्पनी के लिए अधिकर की दर ५०% है जिसमे से भिन्न भिन्न छूटे दी जाती है। **कपनी के अधिकर पर कोई अधिभार नहीं लगता।**

जहाँ किसी कर-दाता (कम्पनियो को छोडकर) की कुल आय मे "**वेतन**" शीर्षक की ऐसी आय शामिल है जिस पर अविकर काटा गया है

अथवा जिसपर अधिकर काटा जाना चाहिए था, तब सन् १९५९–६० वर्ष के लिए कर-निर्धारण करते समय वेतन की ऐसी आय पर सन् १९५८–५९ की दरो से अधिकर लगाया जायगा। परन्तु चूकि सन् १९५८ तथा सन् १९५९ की दरो मे कोई अन्तर नही है इसलिए इसका कोई विशेष महत्व नही है।

५ **कर-निर्धारण की सगणना** (Computation of Assessment) एक कर दाता के कर-निर्धारण मे मुख्य क्रम निम्न लिखित है —

(१) अध्याय १० मे बताए गए तरीको के अनुसार उसकी कुल आय तथा कुल विश्व आय मालूम करनी चाहिए। उद्गम स्थान पर काटे हुए करको तथा अन्य प्रकार से दिए गए कर की रकमो को जोडदेना चाहिए।

(२) कुल आय पर आयकर तथा अधिकर एव उनपर अधिभार निकालना चाहिए।

(३) इसके पश्चात् आयकर तथा अधिकरकी औसत दरें मालूम करनी चाहिए। यह कार्य कुल आय को आयकर से तथा अधिकर से विभाजित करके किया जाता है।

(४) इसके पश्चात् आशिक कर-मुक्त आय की रकम मालूम करके उस पर आयकर तथा/अथवा अधिकर की औसत दरो से छूट की रकम निकालनी चाहिए।

(५) आय कर तथा अधिकर की कुल रकमो मे से निम्न रकमे घटानी चाहिए —

(अ) आशिक कर-मुक्त आयकर छूट की रकम।

(ब) दुबारा-करारोपण छूट— यदि होतो।

(स) धारा १८ ए के अन्तर्गत दिया गया अग्रिम कर तथा उस पर ब्याज।

(६) शेष आय वह होगी जो कि कर दाता द्वारा देनी होगी या लेनी होगी। यदि कोई दड लगाया गया हो तो उसकी रकम भी इस कुल रकम मे जोड देना चाहिए।

प्रश्न सख्या १८

गत वर्ष १९५८–५९ के लिए एक वकील (जिसके चार बच्चे उसपर निर्भर है) की व्यावसायिक आमदनी १०,००० रु० तथा जायदाद की आय ५००० रु० थी। कर-निर्धारणवर्ष १९५९–६० के लिए उसे कितना आयकर देना पडेगा।

उत्तर

श्री वकीलका सन् १९५९–६० के लिए कर-निर्धारण —

	रु०
अर्जित आय १०,००० रु० पर आयकर	४१७
उसपर ५% अधिभार	२१
शेष अनर्जित आय ५,००० रु० पर आयकर	६२५
उसपर २०% (५%+१५%) अधि भार	१२५
कुल आय-कर रु०	१,१८८

नोट —

	रु०			
अर्जित आय —				
कुल आय के प्रथम	३,६००	पर	कुछ नही	
कुल आय के अगले	१,४००	पर	३% – ४२	
कुल आय के अगले	२,५००	पर	६% – १५०	
कुल आय के अगले	२,५००	पर	९% – २२५	४१७
अनर्जित आय —				
कुल आय के अगले	२,५००	पर	११% – २७५	
कुल आय के अगले	२,५००	पर	१४% – ३५०	६२५
			रु०	१०४२

प्रश्न संख्या १९

कैलेन्डर वर्ष सन् १९५८ के लिए अ, (अविवाहित व्यक्ति) की आय निम्न लिखित है —

(१) ३,००० रु० – व्यापार से कर-योग्यलाभ।

(२) ४,५०० रु० – जायदाद की आय।

सन् १९५९–६० के लिए उसे कितना कर देना पडेगा ?

सन् १९५९–६० के लिए श्री अ का कर-निर्धारण —

			रु०
कुल आय के प्रथम	१,००० पर		कुछ नही
कुल आय के अगले	४,००० पर	३%–	१२०
कुल आय के अगले	२,५०० पर	६%–	१५०
		कुल आयकर	रू० २७०

नोट – चूकि आय ७५०० से अधिक नही है इसलिए इस पर कोई अधिभार नही लगेगा।

प्रश्न सख्या २०

३१ मार्च १९५९ को समाप्ति होने वाले गतवष के लिए श्री कान मल (जो एक विवाहित व्यक्ति है तथा जिनके ३ बच्चे उनपर निर्भर है) की आय का विवरण निम्न प्रकारसे है —

(१)	प्रतिभूतियोका ब्याज (सकल) १००० रु० (उद्गम-स्थान पर कर-कटौती की रकम ३०० रु०	
(२)	कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो का ब्याज	५०० रु०
(३)	जायदाद की आय	३,००० रु०
(४)	चिल्लर किराने की दूकान से लाभ	४,००० रु०
(५)	लाभका ½ हिस्सा एक अपजीयित सार्थ से (जिसमे वह सक्रिय भागी नही है।)	२५,००० रु०
(६)	सहकारिता समिति के लाभाशो से आय	२,००० रु०
(७)	उस कम्पनी के लाभाशो से आय जिसपर कोई कर नही लगा है	८५४ रु०
(८)	उस कम्पनी के लाभाशो से आय जिसकी पूर्ण आय पर कर लग चुका है।	१०० रु०

उसने २५००० रु० के जीवन बीमा पर ३,००० का वार्षिक प्रीमियम तथा १,००० रु० का दान एक यूनिवर्सिटी को दिया।

उत्तर

श्री कानमल का सन् १९५९–६० के लिए कर-निर्धारण —

	आय का विवरण	रकम रु०	उद्गम स्थान पर काटा गया अथवा अन्य प्रकार से दिया हुआ कर रु०
(१)	प्रति भूतियोका ब्याज–करारोपित (taxed)	१,०००	३००
	प्रतिभतियो का ब्याज कर-मुक्त (tax-free)	५००	
(२)	जायदाद की आय	३,०००	
(३)	व्यापार के लाभ स्वयके किराने का -व्यापार	४,०००	
	हिस्सा अपजीयित सार्थ से	२५,०००	
(४)	अन्य साधनो से आय		
	सहकारी समिति के लाभाश	२,०००	
	कम्पनियो की कर मुक्त आय से लाभाश	८५४	
	,, , करारोपित ,, ,, ,, (१०० नेट)	१४६	४६
	सकल = $\left(\frac{१००\times२००}{१३७}\right)$ रु० =		
	कुल आय	३६,५००	३४६

कर-सगणना :

		दर प्रतिशत		कर रु०
अर्जित आय	कुल आय के प्रथम	१,००० पर कुछ नही		
	,, ,, अगले	३,००० पर ३%	९०	९०
अनर्जित आय	,, ,, ,,	१,००० पर ३%	३०	
	,, ,, ,,	२,५०० पर ६%	१५०	
	,, ,, ,,	२,५०० पर ९%	२२५	
	,, ,, ,,	२,५०० पर ११%	२७५	
	,, ,, ,,	२,५०० पर १४%	३५०	
	,, ,, ,,	५,००० पर १८%	९००	
	,, ,, ,,	१६,५०० पर २५%	४,१२५	६,०५५
		आयकर		६,१४५

अधिभार	अर्जित आय के आयकर रु० ९० पर ५%	५
	अनर्जित आय की आयकर रु० ६,०५५ पर २०%	१२११
	कुल आयकर तथा अधिभार	७,३६१

औसत दर ७३६१–३६५००×१००=२० १७%

आशिक कर मुक्त आय —

(१)	कर मुक्त सरकारी प्रतिभ्तियो का ब्याज	५००
(२)	सहकारी समिति के लाभाश	२,०००
(३)	अपजियित सार्थ से ½ हिस्सा	२५,०००
(४)	जीवन बीमा प्रीमियम (जीवन बीमे की रकम के १०% तक ही)	२,५००
(५)	धर्मादा चदा जो कि कुल आय मे से कर-मुक्त आय घटाकर बची हुई रकम का ५% है। [३६,५००–(५००+२००० +२५,०००+२,५००)] अर्थात् ५%×६,५००	३२५
		३०,३२५

	रु०
कुल आय पर कुल आय कर	७,३६१
बाद, ३०,३२५ पर २० १७% की औसत दर से छूट	६,११७
सन् १९५९–६० के लिए आयकर	१,२४४
बाद, उदगम स्थान पर काटा गया अथवा दिया गया कर	३४६
कुल आयकर जो देना पडगा	रु० ८९८

नोट : श्री कानमल को कोई अधिकर (Super-tax) नही देना पडेगा क्योकि अपजीयित सार्थ का ½ हिस्सा अर्थात् २५,००० रु० अधिकर से मुक्त है (ऐसा तब होता है जबकि अपजीयित सार्थ ने अपनी आय पर अधिकर दिया हो।) शेष आय ११,५०० रु० रहती है जो अधिकर की न्यनतम सीमा से बहुत कम है।

प्रश्न सख्या २१ ·

निम्न विवरण से एक सीमित लोक कम्पनी का सन् १९५९–६० के लिए कर-निर्धारण कीजिए —

(१) कम्पनी की कुल आय ३०,००,००० रु० है।

(२) उद्गम स्थान पर काटा हुआ कर १४,५०० रु० है।
(३) धारा १८ ए के अन्तर्गत अग्रिम कर की दी गई रकम ८,००,००० रु० है।
(४) एक यूनिवर्सिटी को दिया गया दान १,२०,००० रु० है।
(५) कम्पनी के अधिकर की वास्तविक दर २०% है।

उत्तर :

सन् १९५९–६० के लिए कपनी का कर निर्धारण

		रु०
कुल आय		३०,००,०००
३०,००,००० रु० पर, आय कर ३०% दर से		९,००,०००
उसपर ५% अधिभार		४५,०००
३०,००,००० रु० पर अधिकर २०% दर से		६,००,०००
		१५,४५,०००
बाद, धर्मादा चन्दे पर अवहार (Rebate) जिसकी उच्चतम कर मुक्त रकम १,००,००० रु० है ३१ ५% की दर से		३१,५००
		१५,१४,५००
बाद, उदगम स्थान पर काटा हुआ कर	१४,५००	
धारा १८ ए के अन्तर्गत दिया हुआ अग्रिम कर	८,००,०००	८,१४,५००
कुल कर जो कम्पनी को देना है रु०		७,००,०००

प्रश्न

प्र० १ "करकी सगणना" पर एक छोटा सा लेख लिखो।

उ० देखो कडिका १ से ५

चतुर्थ भाग

कर-निर्धारण एवं अपील पद्धति

ASSESSMENT AND APPELLATE PROCEDURE

अध्याय १३

कर-निर्धारण पद्धति

ASSESSMENT PROCEDURE

१ पिछले अध्यायो मे बताए गए नियमो के अनुसार विभिन्न कर-दाताओ की कुल आय को मालूम करने पर ही आयकर-सम्बन्धित कार्य समाप्त नही हो जाता। इसके अतिरिक्त मुख्य बात कर-दाता की कर-निर्धारण पद्धति है जिसके अनुसार उसकी कुल आय पर उसे कर देना पडता है। कर-निर्धारण मे दो बाते शामिल होती है —(क) कर-दाता की कुल आय का मालूम करना, तथा (ख) ,कर-दाता को कितना और किस प्रकार से कर देना है या आयकर विभाग से वापिस लेना है, मालूम करना। निम्न पक्तियो मे इस पद्धति का विस्तत विवरण किया जाता है —

२. आय का नक्शा (Return of Income) धारा २२

आय का नक्शा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करना आयकर-निर्धारण की पहली कार्यवाही है। नोटिस दो प्रकार के होते है — (क) सामान्य नोटिस, तथा (ख) व्यक्तिगत नोटिस। **सामान्य नोटिस** वह होता है जो आयकर अफसर द्वारा प्रतिवर्ष १ मई के पहले जारी किया जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी आय न्यूनतम कर-योग्य सीमा से अधिक होती है, आज्ञा दी जाती है कि नोटिस की तारीख से ६५ दिन के अन्दर वह अपनी आय का नक्शा दाखिल करे। **व्यक्तिगत नोटिस** के अनुसार आयकर अफसर किसी भी कर-दाता को यह आज्ञा दे सकता है कि वह नोटिस मिल जाने के ३५ दिन के अन्दर स्वीकृत फार्म मे आय का नक्शा दाखिल करे। सामान्य तथा व्यक्तिगत दोनो प्रकार के नोटिसो मे नक्शा दाखिल करने की तारीख बढाने का अधिकार आयकर अफसर को प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति ने अपना नक्शा दाखिल कर दिया हो और बाद मे उसे ज्ञात हो कि उसके अन्दर कोई चूक अथवा त्रुटि रह गई है तो ऐसी स्थिति मे कर-निर्धारण से पूर्व किसी भी समय वह ठीक किया हुआ नक्शा दाखिल कर सकता है।

३ अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional Assessment) धारा २३बी

इनकम-टैक्स अफसर को यह अधिकार है कि वह कर-दाता के बनाए नक्शे इत्यादि के आधार पर नियमित कर-निर्धारण से पूर्व ही अस्थायी कर-निर्धारण कर ले। ऐसा कर-निर्धारण वस्तुत एक सक्षिप्त कर-निर्धारण है। इसके विरुद्ध अपील नही की जा सकती और इस कर-निर्धारण मे कर की जो रकम निश्चित कर दी गई है उसे माग की सूचना मे आवेदित अवधि के अन्दर ही अवश्य जमा कर देना चाहिए नही तो कर-दाता को कर की रकम के बराबर दड भुगतना पडता है।

४ नियमानुसार कर-निर्धारण (Regular Assessment) धारा २३

(क) नक्शे के आधार पर धारा २३ (१)

यदि आयकर अफसर को यह विश्वास हो जाता है कि आय के नक्शे मे सम्पूर्ण सामग्री सही और पूर्ण है तो वह बिना किसी अन्य साक्षी के ही कर-निर्धारण कर देता है।

(ख) प्रस्तुत किए गए सबूत के आधार पर धारा २३ (३)

यदि आयकर अफसर कर-दाता के नक्शे को पूर्ण तया सही नही समझता तो वह आवश्यक जाच पडताल और पूछताछ के पश्चात् कर-निर्धारण कर देता है। आयकर अफसर कर-दाता के नाम नोटिस जारी कर उसे स्वय या उसके प्रतिनिधि को नक्शे के समर्थन मे सबूत देने के लिए बुला सकता है। वह धारा ३७ के अनुसार आज्ञा जारी करके कर-दाता को स्वय उपस्थित होने के लिए भी बाध्य कर सकता है। हिसाबो, हिसाब-पत्रको तथा कर-दाता द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य साक्ष्य का निरीक्षण करके आयकर अफसर कर-निर्धारण सम्बन्धी आज्ञा देता है।

(ग) अति उत्तम निर्णय के आधार पर (Best Judgment Assess ment) धारा २३ (४)

यदि (।) कर-दाता व्यक्तिगत नोटिस के उत्तर मे आय का नक्शा दाखिल नही करता, या (।।) आवश्यक सबूत प्रस्तुत नही करता अथवा (।।।) मॉग गए बही खाते तथा हिसाब-पत्रकोको पेश नही करता या वह स्वय उपस्थित नही होता तो आयकर अफसर अपने उत्तम निणय के अनुसार इकतरफा (Ex-parte) कर-निर्धारण करता है। उत्तम निर्णय करते समय आयकर अफसर को इमानदारी से कार्य करना चाहिए। ऐसे कर-निर्धारण के विरुद्ध कर-दाता को निम्न अधिकार प्राप्त है —

(१) ऐसे कर-निर्धारण को रद्द करने के लिए वह आयकर अफसर को प्रार्थना कर सकता है। कर-निर्धारण की तिथि से एक महिने के अन्दर ऐसी प्रार्थना की जानी चाहिए। —धारा २७

(२) वह अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर से आयकर अफसर की आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है। —धारा ३०

५ माँग का नोटिस (Notice of Demand) **धारा २९**

कर की रकम निश्चित करने के पश्चात आयकर अफसर कर-दाता को एक नोटिस भेजता है जिसके अन्तर्गत लिखी हुई एक निश्चित तारीख तक कर-दाता को कर की कुल रकम जमा करानी पडती है। इस नोटिस के साथ कर निश्चित करने के निर्णय की एक नकल भी भेजी जाती है। यदि नकद पैसा एक बार मे ही देने मे कोई वास्तविक आपत्ति हो तो आयकर अफसर कर-दाता को यह अधिकार दे सकता है कि वह उस रकम को कुछ किस्तो मे जमा करा देवे।

६ भूल सुधार (Rectification of Mistake) **धारा ३५**

कमिश्नर, अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर या आयकर अफसर द्वारा किसी निर्णय (Order) मे कोई भूल हो गई हो जो कि बिलकुल स्पष्ट हो तो वे अपनी ओर से या कर-दाता के प्रार्थना करने पर उसका भूल सुधार कर सकते हैं। निर्णय की तारीख से ४ वर्ष की अवधि तक ऐसी भूल सुधार हो सकती है।

७ अतिरिक्त कर-निर्धारण (Additional Assessment or Reopening Assessment) **धारा ३४**

यदि आयकर अफसर को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई आय कर लगने से रह गई है तो वह उस पर उस आय के कर-निर्धारण वर्ष के बाद भी कार्यवाही प्रारभ कर सकता है। यदि उसने घाटे की या घिसाई की छूटे अधिक दे दी है तो उसे पुन विचार का अधिकार है। ऐसा नोटिस जारी करने के पहले कुछ दशाओ मे आयकर कमिश्नर की स्वीकृति भी प्राप्त करनी पडती है। परन्तु आयकर अफसर ३१–३–१९४१ के पहले वाले किसी भी समय के लिए कोई भी नोटिस जारी नही कर सकता। पहले जो ८ वर्ष की सीमा थी वह अब हटा दी गई है। यदि कर-दाता कसूरवार नही है तो ऐसा नोटिस ४ वर्ष के भीतर ही जारी किया जाना चाहिए।

८ तत्कालीन कर-निर्धारण (Emergency Assessment) **धारा २४ ए**

यदि आयकर अफसर को यह मालूम हो जाए कि कोई व्यक्ति चालू वर्ष मे या उसके समाप्त होने के बाद ही भारत छोड कर सदैव के लिए

बाहर जाने वाला है तो वह केवल सात दिन का नोटिस दे कर उसे पिछले गत वर्ष के बाद की आय का नक्शा भेजने के लिए बाध्य कर सकता है। चालू वर्ष मे उसके जाने की तारीख तक की आय का अनुमान लगा कर उस पर चालू वर्ष की दरो से कर वसूल कर लिया जाता है। यह धारा इस सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप है कि कर-निर्धारण गत वर्ष की आय पर ही किया जाता है।

९ प्रतिनिधि कर-निर्धारण (Representative Assessment) **धाराएँ २४ बी, ४० तथा ४१ —**

कई बार उन कर-दाताओ पर जो कि आमदनी के मालिक है कर न लगाया जाकर उनके प्रतिनिधियो पर कर लगाया जाता है ऐसे प्रतिनिधि प्रबधक, एक्जीक्यटर, वैधानिक प्रतिनिधि, सरक्षक, ट्रस्टी, महा प्रबन्धक इत्यादि है जो कि अपने किसी मृत व्यक्ति, नाबालिग, पागल, हिताधिकारी की आय पर कर देने के लिए उत्तराधिकारी है।

१० कर-भुक्तान प्रमाण पत्र (Tax-Clearance Certificates) **धारा ४६ ए**

यदि कोई व्यक्ति भारत छोड कर बाहर जाता है तो उसको जाने के पहले कर-भुगतान प्रमाण-पत्र या कर-मुक्त आय प्रमाण पत्र लेना पडता है। ऐसी व्यवस्था १९५३ के आयकर सशोधन अधिनियम से सरकार ने आय को सुरक्षित करने के हेतु की हे। भारत से बाहर जाने से पहले उस व्यक्ति द्वारा अपने क्षेत्रो के आयकर अफसर को प्रार्थना की जाती है। आयकर अफसर के पूर्णतया सतुष्ट हो जाने पर इस आशय का एक अधिकृत फॉर्म (Authorisation form) कर-दाता को मिल जायगा। यह फॉर्म विदेशी विभाग के आयकर अफसर से कर-भुगतान प्रमाण पत्र या कर-मुक्त आय प्रमाण पत्र के बदले मे बदल दिया जायगा। भारत से जाने वाले व्यक्तियो के पास ऐसा प्रमाण पत्र है या नही इस बात को पूर्णतया जाँच करने की जिम्मेदारी उन जहाजी कपनियो पर है जो कि यात्रियो को भारत से बाहर ले जाती है। यदि अपने आप को पूर्णतया सतुष्ट किए बिना ही किसी व्यक्ति को अपने पूर्ण कर भुगतान किए बिना जाने दिया हो तो जिम्मेदारी जहाजी कपनी की होगी। कुछ व्यक्ति ऐसे है जिन्हे इस प्रकार के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने से मुक्त कर दिया गया है।

११ दड (Penalties) —

भारतीय आयकर अधिनियम की धाराएँ २५ (२), २८, ४४ ई, ४४ एफ, ४६ (१), ५१ तथा ५२ के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के दड का विधान है।

विभिन्न प्रकार की त्रुटियो तथा गलतियो के विभिन्न प्रकार के दड है। सबसे मुख्य धाराएँ २८ तथा ४६ (१) है। ठीक समय मे आयकर-पत्रक (Return of Income) नही भरने तथा धारा २२ (४) व २३ (२) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिसो की पूरी शर्तो का पालन नही करने एव आमदनी को छुपाने (Concealment of Income) के अपराध मे कर की रकम से १½ गुना दड तक लगाया जा सकता है। यह दड इस्पेक्टिग असिस्टेट कमिश्नर ऑव इनकम-टैक्स की पूर्वानुमति से आयकर-अफसर लगा सकता है—धारा २८। ठीक समय पर कर नही भरने पर आयकर-अफसर बाकी कर की रकम के बराबर दड लगा सकता है।—धारा ४६ (१)

प्रश्न

प्र० १ सक्षिप्त टिप्पणी लिखो —

(क) आय का नक्शा
(ख) अस्थायी कर-निर्धारण
(ग) अति-उत्तम निर्णय के आधार पर कर-निर्धारण
(घ) भूल सुधार
(ड) अतिरिक्त कर-निर्धारण
(च) तत्कालीन कर-निर्धारण
(छ) कर-भुगतान प्रमाण-पत्र
(ज) प्रतिनिधि कर-निर्धारण।

उ० देखो (क) कडिका २, (ख) कडिका ३, (ग) कडिका ५
(घ) कडिका ६, (ड) कडिका ७, (च) कडिका ८,
(छ) कडिका १०, (ज) कडिका ९।

अध्याय १४

कर-भुगतान तथा वसूली

PAYMENT AND RECOVERY OF TAX

१ (I) **उद्गम स्थान पर कर कटौती** (Deduction of Tax at Source) — **धारा १८**

आयकर विभाग को कर देने के कई तरीके है। एक तरीका कर-भुगतान का वह है जिसके अनुसार निम्न प्रकार की आय पर निश्चित दरो से उद्गम स्थान पर कर काटना अनिवार्य है —

(अ) वेतन

(ब) प्रतिभूतियो का ब्याज,

(स) अनिवासी को भुगतान।

२ उद्गम स्थान पर निम्न दरो से कर काटा जाता है —

(क) **वेतन** —यदि कर्मचारी की वेतन से आय कर-योग्य है तो मालिक के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने कर्मचारी के वेतन की रकम मे से कुल वेतन पर लागू होने वाली कर-दरो से आयकर व अतिरिक्त कर काट ले और काटी हुई रकम खजाने मे जमा करा दे।

(ब) **प्रतिभूतियो पर ब्याज** —ऐसा ब्याज देने वाले का उत्तरदायित्व है कि वह ब्याज की रकम पर उच्चतम दरो से आय कर काट लेवे।

(स) **अनिवासी को भुगतान** —अनिवासी को भुगतान की गई कुछ रकमो पर उच्चतम दर से आयकर तथा १९ प्रतिशत अथवा उसकी आय पर लगने वाली दर से (जो भी अधिक हो) अधिकर काटा जाता है। पर यदि अनिवासी एक कपनी है तो कपनी पर लागू होने वाली दरो से कर काटा जायगा।

(३) यदि आय कम है तो आयकर अफसर के प्रमाणपत्र देने पर कर कम दरो पर भी काटा जाता है।

(४) काटी हुई कर की रकम को सरकारी खजाने मे एक हफ्ते के अन्दर पहुँचाना चाहिए। कर-निर्धारण करते समय काटी गई रकम का श्रेय कर-दाता को मिलता है। यदि काटी हुई रकम वास्तविक कर से ज्यादा हो तो अधिक रकम वापस कर दी जाती है।

३ (II) **कमाते जाओ और कर देते जाओ** (Pay-as-you earn scheme) — **धारा १८ ए**

(१) इस योजना के अन्तर्गत जिस वर्ष मे आय उत्पन्न होती है उसी वर्ष आयकर और अधिकर चालू दरो से ही वसूल कर लिया जाता है। अर्थात् नियमित कर-निर्धारण से पूर्व ही कर की रकम अग्रिम वसूल की जाती है। इसलिए इस का नाम कर **कर का अग्रिम भुगतान** (Advance Payment of Tax) भी है।

(२) यह योजना उस आय पर लागू होती है जिन पर उद्गम स्थान पर कर नही कटता, जैसे, जायदाद की आय, व्यापारिक-लाभ तथा अन्य साधनो की आय (लाभाश को छोड कर)।

(३) यह योजना केवल उन्ही कर-दाताओ पर लागू होती है जिन की आय गतवर्ष मे उनके लिए न्यूनतम करयोग्य सीमा से २,५००) से अधिक हो। अर्थात यह योजना एक व्यक्ति, अपजीयित सार्थ या अन्य जन-मडल पर तब लागू होती है जबकि गत वर्ष के **अतिम पूरित करनिर्धारण** (Latest Completed Assessment) के अनुसार उनकी आय ५,५०० रु० (३,००० + २,५०० रु०) से अधिक रही हो या अनुमानित हो। यह योजना अविभक्त हिन्दू परिवार पर तब लागू होती है जबकि उसकी आय गत वर्ष के पूरित कर-निर्धारण के अनुसार ८,५०० रु० (६,००० + २,५००) से अधिक हो।

(४) पेशगी कर की किस्तो का भुगतान १५ जून, १५ सितम्बर, १५ दिसम्बर और १५ मार्च को किया जाता है।

(५) यदि अतिम पूरित कर-निर्धारण मे कर-दाता की आय उपरोक्त रकमो से ज्यादा रही हो तो आयकर अफसर उसी रकम को इस वर्ष की आय मान कर पेशगी कर की रकम निश्चित करेगा। परन्तु यदि कर-दाता को उम्मीद है कि चालू वर्ष मे गत वर्ष की

अपेक्षा कम आय होगी तो वह अपने हिसाब से पेशगी कर का भुगतान कर सकता है।

(६) यदि कर-दाता इसी अतिम पूरित कर-निर्धारण के आधार पर ही कर देता है तो चालू वर्ष की आय गत वर्ष की आय से कितनी ही अधिक क्यो न हो तो भी वह किसी दड का भागी नही हो सकता। परन्तु जब कर-दाता अपने अनुमान के आधार पर कर की किस्ते देता है तब यदि उसके द्वारा अनुमानित कर की रकम नियम पूर्वक कर निश्चित करने पर की गई वास्तविक रकम के ८० प्रतिशत से कम निकले तो उसको १ जनवरी से नियमपूर्वक कर निश्चित करने के समय तक इसी कमी पर ४ प्रतिशत ब्याज देना पडता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि कर-दाता ने जान बूझ कर गलत अनुमान लगाया है तो वह और भी अधिक दडनीय होगा।

(७) यदि कर-दाता कभी भी कर से निर्धारित (assessed) नही हुआ है और उसकी चालू वर्ष की आय के ऊपर दी गई सीमाओ से अधिक होने की सभावना है तो उसे १५ मार्च से पहले चालू वर्ष मे बिना नोटिस मिले ही आय का अनुमान भेज देना चाहिए।

(८) यदि इस प्रकार किस्तो द्वारा जमा की रकम वास्तविक रकम से अधिक है तो ऐसे आधिक्य पर सरकार ४ प्रतिशत सूद देती है।

४ कर-निर्धारण के उपरात माँग के नोटिस पर भुगतान धारा २९

कर-निर्धारण के उपरान्त आयकर अफसर द्वारा माँग का नोटिस मिलने पर कर-दाता द्वारा भुगतान ही वास्तविक तथा अतिम भुगतान का तरीका होता है। ऐसा भुगतान करने के पहले कर-दाता को उद्गम स्थान पर काटी गई रकम तथा अग्रिम कर की रकम पर पूरा श्रेय मिलता है। फिर शेष रकम का ही भुगतान उसे करना पडता है।

५. कर-अवशिष्ट तथा उनकी वसूली (Arrears of tax and Recovery thereof) धारा ४६

जब कर-दाता नियमित समय मे कर का भुगतान नही कर सके तो आयकर अफसर कर की बाकी रकम के बराबर दड लगा सकता है। कर की

बाकी रकम (Arrears of tax) स्थानीय कर या लगान की बाकी रकम के जैसे वसूल की जा सकती है। कर-वसूली करने के लिए आयकर अफसर को बहुत हक हासिल है।

प्रश्न

प्र० सक्षिप्त टिप्पणी लिखो —

(क) कर-अवशिष्ट तथा कर-वसूली।

(ख) कर का अग्रिम भुगतान

(ग) उद्गम स्थान पर करकटौती।

उ० देखो (क) कडिका ५

(ख) कडिका ३

(ग) कडिका १ से २।

अध्याय १५

अपील पद्धति

APPELLATE PROCEDURE

१ अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को अपील   धारा ३० तथा ३१

धारा ३० के अन्तर्गत कर-दाता को आयकर अफसर की कुछ आज्ञाओ के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया गया है। ऐसी अपील आयकर अफसर की आज्ञा के मिलने के ३० दिन के अन्दर की जानी चाहिए। अपीलेट असिस्टेट कमिश्नर को निर्णय के मजूर करने, रद्द करने, बदलने या वापस करने का पूरा पूरा अधिकार है।

२ कमिश्नर द्वारा पुन निरीक्षण (Revision by Commissioner) धाराएँ ३३ ए तथा बी

कमिश्नर स्वय इनकम-टैक्स अफसर के किसी निर्णय का निरीक्षण कर सकता है तथा जैसी जॉच वह चाहे करवा कर कर-दाता के पक्ष मे जैसी वह ठीक समझे आज्ञा दे सकता है। यदि कोई कर-दाता २५ रु० की फीस के साथ अर्जी भेजे तो कमिश्नर उस कर-दाता के कागज जॉच करके वह कर-दाता के पक्ष मे जो उचित आज्ञा हो दे सकता है या उस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार भी कर सकता है। जब तक अपील करने का समय समाप्त नही हो जाता है, कमिश्नर पुन निरीक्षण नही कर सकता। **कमिश्नर का फैसला अतिम है जिस पर कोई अपील नहीं हो सकती।**

धारा ३३ बी के अनुसार कमिश्नर को सरकारी आय के हित मे रकम बढाने, परिवर्तन करने या कर की आज्ञा को रद्द करके नई आज्ञा देने का भी अधिकार दे दिया गया है। यदि कोई कर-दाता कमिश्नर की ऐसी आज्ञा से सतुष्ट नही हो तो उस आज्ञा के मिलने के ६० दिन के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल मे १००) की फीस देकर अपील कर सकता है।

३ अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील धारा ३३

अपीलेट असिस्टेट कमिश्नर के धारा ३१ के फैसले के विरुद्ध ट्रिब्यूनल मे कर-दाता १००) फीस के देकर ६० दिन की अवधि मे अपील कर सकता है। ट्रिब्यूनल का निर्णय तथ्य सम्बन्धी प्रश्नो पर (questions of fact) अन्तिम (final) तथा अकाटच होता है, परन्तु कानूनी प्रश्नो पर नही।

४ हाईकोर्ट को निर्देश धारा ६६

धारा ३३ की आज्ञा के मिलने के ६० दिन के अन्दर कर-दाता या कमिश्नर नियमित फॉर्म मे, अपीलेट ट्रिब्यूनल को कानूनी प्रश्न को हाई कोर्ट के सामने रखने की प्रार्थना कर सकते है। इस प्रार्थना के साथ कर-दाता द्वारा १०० रु० की फीस भेजी जानी चाहिए। इस प्रार्थना के ९० दिन के अन्दर अपीलेट ट्रीब्यूनल मुकदमे के प्रश्न को हाई कोर्ट के निर्णय के लिए भेज देगी। हाई कोर्ट दोनो पक्षो को सुन कर कानून-सबधी प्रश्नो को निर्णय करता है।

५ सुप्रीमकोर्ट को अपील धारा ६६ (ए)

यदि हाई कोट उस मामले को सुप्रीम कोर्ट मे ले जाने के योग्य प्रमाणित कर दे तो उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट मे भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकती है या रद्द कर सकती है या स्वीकार कर सकती है। इसका निर्णय अन्तिम है।

निम्न चार्ट द्वारा अपील की पद्धति का पूर्ण ज्ञान स्पष्ट हो जाता है —

प्रश्न

प्र० अपील पद्धति पर एक लेख लिखो।

उ० देखो कडिका १ से ५।

अध्याय १६

करकी वापसी

REFUND OF TAX

धारा ४८ इत्यादि

१ कर की वापसी का अर्थ तथा उसके प्रकार

नियमानुसार निश्चित की हुई कर की रकम से कर-दाता द्वारा यदि किसी रूप में अधिक रकम का भुगतान हो गया हो तो उसे उस अधिक राशि को वापस लेने का अधिकार है। निम्न लिखित अवस्थाओमें कर की वापसी का प्रश्न उठता है —

(१) जब **उद्गम स्थान पर काटी गई** कर की रकम उस वर्ष के लगने वाले उचित कर से अधिक हो।

(२) यदि कर-दाता की **आय लाभाशो से** हो और उसकी कुल आय पर लगने वाली आयकर की दर लाभाशो के उच्चतम कर की दरो से कम हो।

(३) जब कर-दाता धारा **४९ ए तथा ४९ डी के अन्तर्गत दोहरे कर की छूट** कर हकदार हो। यह छूट तब दी जाती है जबकि कर-दाता को एक बार अपने देश मे तथा दूसरी बार भारत मे कर देना पडता है।

(४) यदि **अनिवासी को किए गए भुगतानो** पर काटी गई कर की दर उस दर से ज्यादा हो जिससे कि उसकी समस्त आय पर कर लगा हो।

(५) यदि **धारा ३५ के** अन्तर्गत किसी भूल सुधार के कारण कर की रकम कम हो जाए।

(६) यदि किसी **अपील** के कारण जो कर की रकम पहले दी जा चुकी है, कम हो जाए।

(७) यदि **अग्रिम भुगतान** की रकम वास्तविक कर से अधिक हो।

(८) जब कोई व्यापार जो १९१८ के आयकर अधिनियम के अनुसार कर दे चुका हो, बन्द हो जाए और उसे धारा २५ (३) व (४) के अन्तर्गत कुछ छूट मिले।

(९) धारा ६० (२) के अन्तर्गत छूट मिलने पर, इत्यादि इत्यादि।

२ कर-वापसी पद्धति (Refund Procedure)

उपरोक्त कर-वापसी के प्रकारो मे से अधिकाश के लिए आयकर अफसर स्वय ही कर-वापसी मजूर करता है। (१), (२) तथा (३) के अन्तर्गत कर-वापसी के लिए एक व्यवस्थित रीति से प्रमाणित (Verified in a prescribed manner) एक व्यवस्थित पत्र (Prescribed form) भर कर अर्जी करना चाहिए तथा तमाम सर्टीफिकेट और जरूरी कागज साथ मे भेजने चाहिए।

३ कर-वापसी के हकदार

जिस व्यक्ति के हाथ मे आय का कर-निर्धारण होता है वह व्यक्ति ही कर-वापसी का हकदार है। इसके अलावा एक नाबालिग, पागल, मृत पुरुष अथवा दिवालिये व्यक्ति के स्थान पर उसके कानूनी प्रतिनिधि या पालन कर्ता या हकदार कर-वापसी के लिए कानूनी रूप से मॉग कर सकते है।

४ कर-वापसी के लिए अवधि

गत वर्ष के अगले आर्थिक वर्ष से ४ वर्ष की अवधि तक कर-वापसी के लिए अर्जी दी जा सकती है।

५ कर-वापसी की अर्जी कहाॅ की जाय

(१) यदि अर्जी कर्त्ता भारत का निवासी है तो उसे अपने क्षेत्र के आयकर अफसर के पास अर्जी करनी चाहिए।

(२) यदि अर्जी करने वाला कर-दाता अनिवासी है तो उसे अनिवासी कर-वापसी दफ्तर (Non-residents Refund Circle) मे कर वापसी के लिए अर्जी करनी चाहिये।

प्रश्न

प्र० कर-वापसी (Refunds) पर एक सक्षिप्त लेख लिखो।

उ० देखो कडिका १ से ५।

अनुक्रमणिका

(INDEX)

APPENDIX

AGRA UNIVERSITY

B Com (Part II) Examination, 1955

N B—Questions have been answered as per the Income-tax Law up-to-date, and as modified by the Finance Act, 1959 i e as for the A Y 1959-60

N B—Attempt any five questions selecting at least two from each section All questions carry equal marks

Q 1 Explain any four of the following terms —
(a) Previous year, (b) Agricultural Income, (c) Capital gains, (d) Dividends, (e) Extra shift allowance, (f) Bond-washing, (g) Initial depreciation, (h) Balancing charge

Ans See (a) Chapter I, para 8,
(b) Chapter I, para 12,
(c) Chapter IX, paras 1 to 6,
(d) Chapter VIII, para 4,
(e) Chapter VII, para 6,
(f) Chapter X, para 7,
(g) Chapter VIII, para 6,
(h) Chapter VIII, para 6,

Q 2 State with reasons whether the following items are admissible or inadmissible in the Profit and Loss Account of a business which is shortly to be assessed for income-tax purposes —

(a) Interest paid on loans taken to pay of income-tax
(b) Gifts made to employees in return for services rendered, though such gifts were not legally claimable by employees
(c) Transfer to Reserve Fund for payment of premium on redemption of debentures
(d) Payment of compensation to an employee for compelling him to retire before the contracted date

(e) Bad debts in respect of loans and advances given to customers

(f) Interest on Government securities

Ans (a) It is not admissible as the loan is taken for personal purposes and not for business—Sec 10(2) (iii)

(b) They are admissible because they are incurred for business purposes—Sec 10 (2) (xv)

(c) It is not admissible as it is in the nature of reserve

(d) It is admissible because it will help the business earn more profits after dispensing with the services of such an unwanted employee

(e) They are allowed if the business is of money-lending - Sec 10(2) (xi)

(f) It is allowed

Q 3 The following are particulars of the income of Shri M V Mathur who is ordinarily resident in the taxable territory, for the year ended 31st March, 1952 You are required to prepare his assessment in proper form for the year 1953-54

(a) Salary Rs 300 p m
House rent allowance, Rs 50 p m
Contribution to unrecognized provident fund, 5 percent
Employer's contribution to above, 5 percent
Interest on provident fund (at 5 percent p a)
Rs 350

(b) His investments during the year were —

(i) Rs 5,000 in 6 percent preference shares of a Company

(ii) Rs 2,000 in 3 percent fixed deposit in a bank

(iii) Rs 4,000 in 4 percent tax-free Government Loan

(c) He owns a house, half of which is occupied by his son for his residence and the other half is let at Rs 40 p m

(d) He paid a premium of Rs 240 on his life policy and Rs 120 on the policy of his wife

Ans **Shri M V Mathur's Assessment for the year 1959-60**

Particulars		Rs	Rs
Salaries u/s 7			
Salary for 12 months @ Rs 300 p m		3,600	
H R A @ Rs 50 p m		600	
			4,200
Interest on securities u/s 8			
4% Rs 4,000 tax free Govt loan		160	
			160
Income from Property u/s 9			
Let @ Rs 40% p m Annual Value		480	
Occupied Annual Value	480		
Less ½ statutory allowance	240		
		240	
Gross Annual Value.		720	
Less ⅙th for repairs		120	
			600
Income from other sources			
Dividends (on the assumption that they are less-tax) 6% on Rs 5,000 Preference shares of a Co		300	
3% Interest on Rs 2,000 fixed deposit in a bank		60	
			360
Total Income		Rs	5,320

L I P—Rs 360

Q 4 A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 2 1 The firm's Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 1954, showed a net loss of Rs 25,000 after charging the following items

	A	B	C.
	Rs	Rs	Rs
Interest on capital	3,000	3,000	1,500
Salary	Nil	Nil	2,000
Commission	2,500	Nil	Nil

A's taxable income from other sources was Rs 6,500 while B and C had no other source of income State how the assessment of partners would be made when—

(a) the firm is registered and

(b) the firm is unregistered

Ans (a) **If the firm is registered .—**

	Rs	Rs
Statement of firm's income		
Net loss as per books		25,000
Less (1) Interest on capital A	3,000	
B	3,000	
C	1,500	
	7,500	
(2) Salary to C	2,000	
(3) Commission to A	2,500	
		12,000
Total loss of the firm		13,000

Allocation of Income (or loss) (In Rs)

Name of Partner	Share	Interest	Salary	Commission	Share of Loss	Total income or loss
A	2	3,000	—	2,500	–10,000	- 4,500
B	2	3,000	—	—	–10,000	- 7,000
C	1	1,500	2,000	—	- 5,000	- 1,500
TOTAL		7,500	2,000	2,500	–25,000	–13,000

Assessment of Partners

A A will be allowed to set off his share of loss from the R F Rs 4,500 against his income from other Sources Rs 6,500 Thus his net income will be Rs 2,000 which is below the taxable limit Hence he will not be required to pay any tax

B As he has no other income he will be allowed to carry forward his share of loss from registered firm (Rs 7,000) to be set off against future profits for a period of eight years

C As he has no other source of income, he will be allowed to carry forward his share of loss (Rs 1,500) to be set off against future profits for a period of eight years

(b) **If the firm is unregistered** —

The firm's loss of Rs 13,000 will be carried forward and set - off against its other business income for a period of eight years No partner can claim a set - off of his share of loss against his other income

Assessment of Partners ·—

A A will pay tax on Rs 6,500

B & C They are not liable to pay any tax this year They are also not allowed to carry forward their share of losses from the firm

Q 5 Mr. R P Seth owns house property of the annual rental value of Rs 8,000, which he has let to Mr Kamthan at Rs 7,000 p a Mr Kamthan agreeing to bear the cost of repairs himself The expenses of Mr Seth in connection with this property amount to Rs 2,500 excluding the cost of repairs

You are required to calculate his taxable income from property Would it make any difference if the house had been let out at Rs 6,000 p a instead of Rs 7,000 p a ?

Ans **Mr. R P Seth's Taxable Income from Property**

	Annual Rental Value		Rs 8,000
Less	(1) Repairs (Rs 8,000–7,000)	1,000	
	(2) Other Expenses in connection with this property	2,500	Rs 2,500
	Income from Property		Rs 5,500

If the house had been let out at Rs 6,000 p a instead of Rs 7,000 p a, then Mr Seth would be allowed only $\frac{1}{6}$th of Rs 8,000 (Annual rental value) as repairs, and Rs 2,500 as other expenses Thus his net taxable income from property would come to Rs 4,167 (Rs 8,000–Rs 2,500–Rs 1,333)

1956

Q. 5 Explain the following terms —

(a) Set off and carry forward, (b) Earned income, (c) Previous year, (d) Unabsorbed depreciation

Ans. See (a) Chapter X, para 8 and 9,
(b) Chapter I, para 11,
(c) Chapter I, para 8,
(d) Chapter VII, para 6,

Q 6 What are the different categories into which the assessees are divided with regard to residence? Give a brief a/c. of each of them

Ans. See para 1 to 4 of Chapter II

Q 7 The income of an individual (a resident ordinarily resident) for the year ended 31st March, 1954, is as follows —

(a) Business Profits (after setting off Rs 5,000 donation paid to a University in July, 1953, and Rs 2 000 Life Insurance Premium), Rs 31,000
(b) Interest on tax-free Government Securities, Rs 8,000
(c) Dividend from a limited company which has paid tax on its entire income, Rs 3,000

Prepare his assessment for the year 1954-55

Ans **Assessment of an individual for 1959-60**

Interest on tax free Govt Securities		Rs 8,000
Business Profits	Rs 31,000	
Add (1) Donation to a University	Rs 5,000	
(2) L I P	Rs 2,000	
Income from business		Rs 38,000
Dividends net Rs 3,000 Gross		Rs 4,379
Total Income		Rs 50,379

Exempted Income
[For rebate purposes]

1 Interest on Tax-free Govt Securities	Rs 8,000
2 Donation to a University	Rs 5,000
3 L I P	Rs 2,000
	Rs 15,000

Q. 8. The following items are found debited to the Profit and Loss Account of a company for the year ended 31st December, 1953. Are these items deductible in computing the income of the company for income-tax

purposes for the assessment year 1954–55 ? Give reasons for your answer

(a) Rs 1,00,000 spent on reconditioning imperfect machinery purchased

(b) Rs 10,000 commission paid by the company for securing a contract in the course of its business

(c) Rs 20,000 bad debts written off These bad debts were sustained by the company in respect of loans advanced to customers and written off

(d) Rs 80,000 loss on shares written off The company had formed another company to take over its buying agency at Delhi and had taken up 80 shares of Rs 1,000 each therein The new company being unsuccessful, the amount of Rs 80,000 paid on shares was lost and hence written off

Ans (a) The sum of Rs 1,00,000 spent on reconditioning imperfect machinery purchased is in the nature of capital expenditure and hence it is not deductible

(b) Rs 10,000 commission paid by the company for securing a contract in the course of its business is revenue expenditure and is deductible u/s 10 (2) (xv)

(c) Rs 20,000 bad debts written of in respect of loans advanced to customers is not deductible unless the business of the company is of banking or money lending – sec. 10 (2) (xi)

(d) Rs 80,000 loss on shares being a capital loss is not deductible

Q 9. X is employed in a business office at Rs 300 per month He owns Rs 20,000 4½ per cent Government tax-free Securities He also owns a big house, the municipal valuation of which is Rs 800 He has let out one half of the house at Rs 50 per month while the remainder of the house is occupied by him

The house is mortgaged for a loan which he took for meeting the expenses of his sister's marriage The interest on the mortgage was Rs 250 for the year and municipal taxes paid in respect of the house amounted to Rs 150

Ascertain his taxable income from property and also his total income for the previous year ended 31st march, 1955

Ans **Sri X's Assessment for 1959-60**

	Rs	Rs
1 Salaries u/s 7 @ Rs 300/- p m		3,600
2 Interest on Securities u/s 8 Tax free Govt Securities		900
3 Income from property u/s 9		453
Let Annual Rental Value @ Rs 50/- p m	600	
Less ½ for the taxes (Rs 75)	38	
Annual Value	562	
Occupied Annual Value on the basis of the house let	562	
Less ½ statutory allowance	281	
	281	
Annual Value of both houses (Rs 562+281)	843	
Less (1) ⅙th for repairs 140		
(2) Interest on mortgage 250	390	
	453	
Total Income Rs		4,953

Exempted Income.

Interest on Tax-free Govt Securities Rs 900/-

1958 (S.)

Q 1 The following are the particulars of the income of a University Professor —

(a) Salary Rs 1,200 p m, from which 8 percent is deducted for P F to which the university contributes 12 percent

(b) Proctorship allowance Rs 1,200 per annum

(c) Rent-free bungalow of which the annual letting value is Rs 720

(d) 5 percent (tax-free) dividend on 50 shares of Rs 100 each in a limited company

(e) 3 per cent tax-free interest on Government Loan of Rs 5,000

(f) Income from Property let Rs 1,200

(g) Interest on Postal Savings Bank Deposit Rs 120

(h) Profit on sale of property, Rs 10,000

During the year he paid Rs 900 as life insurance premium on his own policy

Find his total income, taxable income, exempted income and the amount of tax payable by him for the assessment year 1957-58

Ans **Statement showing the total income taxable income, exempted income and the amount of tax payable by a University professor for the assessment year 1959-60**

		Rs	Rs
1	Salaries u/s 7		
	Salary @ Rs 1,200 p m	14,400	
	Proctorship Allowance @ Rs 1,200 p a	1,200	
	Rent free - bungalow	720	
			16,320
2	Interest on Securities u/s 8		
	Tax-free interest on Govt securities		150
3	Income from property u/s 9		1,200
4	Dividends net Rs 250 - Gross u/s 12		365
5	Capital Gains u/s 12 B		
	Profit on sale of property		10,000
	Total Income. ...		28,035

Exempted Income

1	Interest on Tax-free Govt securities	Rs	150
2	Life insurance premium	Rs	900
		Rs	1,050

Rs 28,035

A. Y 1959-60.

Calculation of Tax

Total Income	Rs	28,035
Less Capital Gains	Rs	10,000
	Rs	18,035

Income-tax on Rs 18,035

(Presuming the assessee is Married with 2 dependants)

					Rs
on first	Rs	3,600	nil		
on next	Rs	1,400	@ 3%	=	42=00
,,	Rs	2,500	@ 6%	=	150=00
,,	Rs	2,500	@ 9%	=	225=00
,,	Rs	2,500	@11%	=	275=00
,,	Rs	2,500	@14%	=	350=00
,,	Rs	3,035	@18%	=	546=30
	Rs	18,035		=Rs	1,588=30

• (Average rate of tax $= \frac{\text{Rs } 1,588\text{-}30}{\text{Rs } 18,035} = 8{\cdot}8067$) Rs 1588=30

Super-tax	nil.
Add Surcharge @ 5%	79=42
Total of I T & I T /S C Rs	1667=72

Spl S C on Tax on Unearned Income (Rs 1715) i e Rs 308=70 @ 15% = Rs. 46=30

Total of Income-tax & S T S C etc on Total Income, as reduced by C Gains Rs 1714=02

Calculation of Capital Gains-Tax

Rs 10,000/-

Tax at average rate applicabale to
Rs (28,035 - 6667) = 21,368/-

		nP
A R C G		
i e @ (11 0538 × 10,000)	= Rs	1,105 = 38
I T & S C	Rs	1,714 = 02
Total Tax ie Gross Demand	Rs	2,819 = 40

Less (i) Tax Paid or deducted by Co from Dividends Rs 115 = 00

(ii) Rebate on (Tax-free Govt Sec Rs 150 + L I P Rs 900) = Rs 1050 @ A R of 8 8067 nP per rupee Rs 92 = 47 — Rs 207 = 47

Net Tax payable by Assessee on total Income of Rs 26,035 (which includes Rs 10,000/- as C G) Rs 2,611 = 93

Q 2. An unregistered firm, having A, B and C as equal partners, made a loss of Rs 12,000 in the accounting year ended 31st March, 1956 On 1st April, 1956, C died and, under the terms of the original partnership deed A and B took his son D as a partner A, B and D then continued the business as equal partners

If the income of the new firm for the accounting year 1956-57 were Rs 15,000, on what income would you assess the new firm of A, B and D for the assessment year 1957-58, and how would you compute the share income of each of the partners A, B and D for the said assessment year ?

Ans As there is a change in the constitution of the unregistered firm with effect from 1-4-56 on account of the death of C and the admission of D as a partner in place of his father C, the loss of Rs 4,000 ($\frac{1}{3}$rd of Rs 12,000) proportionate to the share of C will not be carried forward Hence for 1957-58 assessment year the firm's income would be computed as under -

		Rs
	Profit of this year	15,000
Less	Loss proportionate to the share of A and B carried forward and set off	8,000
	Total Income	7,000

D's share of profit for this year for the purpose of inclusion in his assessment for rate purposes only is $\frac{1}{3}$rd of Rs 15,000 i e Rs 5,000, while B's and C's share of income comes to Rs 1,000 each which will be included in their individual assessments for rate purposes only

Q 3 An assessee established a new industry on 1st January, 1955, for which he purchased new machinery for Rs 50,000 and new furniture for Rs 10,000 He also purchased second-hand machinery for Rs 20,000 on 1st April, 1955 His accounting year ends on 31st December each year Find the allowable depreciation for the assessment year 1956-57 and the written-down value of machinery and furniture for the assessment year 1957-58, taking the rate of normal depreciation at 10 percent on machinery and 6 per cent on furniture

Ans Calculation of the Allowable Depreciation for the assessment year 1959-60 and the written-down value of machinery and furniture for the assessment year 1960-61

Machinery

	Rs	Rs
(i) Purchased on 1st Jan 55		
Normal dep @ 10% on Rs 50,000 for full year	5,000	
Dev Rebate @ 25%	12,500	
(ii) Purchased on 1st April 55		
Normal dep @ 10% on Rs 20,000 for 9 months	1,500	
		19,000
w d. v of Machinery for 1960-61 Rs 70,000		
less depreciation allowed Rs 6,500	63,500	

Furniture

Normal depreciation @ 6% on Rs 10,000 for full year		600
w d v of furniture for 1960-61 Rs 10,000		
Less depreciation allowed Rs 600	9,400	
Total depreciation (including development rebate) allowable for 1959-60 A Y		19,600

Q. 4 What will be the tax liability of an individual under the following circumstances ?

(a) When he is a member of a Hindu Undivided family

(b) When he is a member of an unregistered firm

(c) When he is a member of a registered firm

(d) When he is a member of an association of persons

(e) When he is a shareholder in a joint-stock company

Ans. See Chapter XI

Write short notes on the following —

(a) Extra shift allowance, (b) intial depreciation, (c) vacancy allowance, (d) bond washing transactions and (e) capital gains

See (a) Chapter VIII, para 6
(b) Chapter VIII, para 6
(c) Chapter VI, para 3
(d) Chapter X, para 7
(e) Chapter IX, para 1 to 6

1959

Explain the following terms

(a) Previous year (b) Set off and carry forward, (c) Earned income relief, (d) Capital gains (e) Total world income

See (1) Chapter I, para 8,
(2) Chapter X, para 8-9,
(3) Chapter I, para 11,
(4) Chapter IX, para 1-6,
(5) Chapter I, para 18,

What are the classes of income to which the Income tax Act does not apply

See Chaptar II, para 2,

The Profit and Loss Account for 1957 of a firm consisting of three partners A, B and C (with shares 4, 3 and 1) showed a net loss of Rs 16,000 after charging the following items —

Interest on capital A - Rs 3,000, B - Rs 2,000, C's Salary Rs 3,000 A's taxable income from other sources is Rs 5,000 while B and C have no other income Explain how the assessment would be made (a) when the firm is registered, (b) when it is unregistered

See (2) Problem No 14

A professor in a college gets a salary of Rs 800 per month He contributes one anna per rupee of his salary to a recognized provident fund to which the

college also contributes an equivalent amount The interest on his provident fund account for the year ended 31 March, 1958 (at 5 per cent per annum) amounted to Rs 672

He is also the owner of two houses, one (municipal valuation Rs 800) occupied by him for his own residence and the other municipal valuation Rs 1,000 let at Rs 100 per month His expenses for the two houses were —

Municipal taxes Rs 180, Land revenue for the house let Rs 40, interest on loan taken to repair the residential house Rs 200, Fire insurance premium Rs 120, Cost of extension of electric fittings in his residence Rs 250

Ascertain his taxable income from the property, his total income and the amount exempt from income-tax for the previous year ending 31 March, 1958 Assume that the house let remained vacant for two months and that he paid Rs 850 as premium of his life policy for Rs 8,000

Ans **A College Professor's Assessment for the Assessment year 1959-60**

[Previous year ended 31-3-1959]

		Rs	Rs
1	*Salaries* u/s 7		
	Salary for 12 months @ Rs 800 p m		9,600
2	*Income from property* u/s 9		
	Occupied—		
	Annual Rental value on the basis of house let Rs $800 \times \frac{1,200}{1,000}$	960	
	Less ½ Municipal taxes (½ × 80)	40	
		920	
	Less ½ Statutory allowance	460	
	Annual Value	460	

Let out

Annual Rental Value @Rs 100 p m		1,200	
Less $\frac{1}{2}$ Municipal taxes ($\frac{1}{2} \times 100$)		50	
Annual Value		1,150	
Annual Value of both houses (460 + 1150)		1,610	
Less			
(1) $\frac{1}{6}$th for repairs	268		
(2) Land revenue	40		
(3) Interest on loan	200		
(4) F I Premium	120		
(5) Vacancy allowance for 2 months	268	876	
Income from property			734
Total Income			10,334

Exempted Income

(1) Employee's contributions to R P F	Rs	600
(2) L I P (not to exceed 10% of sum assured)	Rs	800
	Rs	1,400

RAJPUTANA UNIVERSITY

B. Com (Final) Examination, 1959

First Paper - Income - tax and Cost Accounting.

Q 1 Define and write detailed notes on –
(a) Previous Year
(b) Agricultural Income

Ans (1) See Chapter I, para 8
(2) See Chapter II, para 12

Q 2 Describe the various authorities entrusted with the work of administering the law of Income-tax in India

Ans Chapter I, para 6

Q 3 Explain the following terms –
(a) Set off and carry forward of losses
(b) Depreciation allowances

Ans (a) See Chapter X, paras 8 to 9
(b) See Chapter VII, para 6
and Problem No 7 and 8.

Q 4 X is the principal of a College in Rajasthan drawing Rs 800 per month He received income as royalty Rs 1,800 He held 4% debentures of B I C Ltd, to the value of Rs 15,000 He owned two houses, one let out for Rs 100 per month and other occupied by him of the municipal valuation of Rs 600 per annum He paid Rs 200 as fire insurance premium and Rs 200 as ground rent in respect of let-out house He paid insurance premium of Rs 150 and Rs 125 as interest on loan taken for repairs in respect of the house occupied by him for purposes of his residence

Find out his total income and assessable income for the assessment year 1957-58

Ans **Assessment for Mr. X For 1959-60**

			Rs	Rs
1	Salaries u/s 7 @ Rs 800 p m			9,600
2	Interest on Securities u/s 8 4 % Rs 15,000 debentures of B I C Ltd			600
3	Income from Property u/s 9			
	Annual Letting Value of the house let out @ Rs 100 p m		1,200	
	Municipal Valuation of the house occupied for residence	600		
	Less ½ statutory allowance	300	300	
	Annual Value of both houses		1,500	
	Less			
	(1) ⅙th for repairs	250		
	(2) F I Premium (Rs 200 + 150)	350		
	(3) Ground rent	200		
	(4) Interest on loan	125	925	
				575
4.	Income from other sources u/s 12 Royalties			1,800
	Total Income & Assessable Income			12,575

Q 5 (a) A and B are partners in a Registered Firm sharing Profits and Losses equally and following is their Profit and Loss Account —

	Rs		Rs
Salaries	10,750	Gross Profit	51,040
Rent, Rates, Taxes and Insurance	1,200	Interest on Tax Free Govt Securities	900
Travelling Expenses	954	Profit on Sale of Investment	1,200
Interest on Bank Loan	1,650		
Legal Charges	1,103		
Discounts	897		
Carriage	601		
General Expenses	2,050		
Marketing	2,300		
Depreciation on Car	500		
Interest on Capital A 1,700 B 1,550	3,250		
Reserve for Bad Debts	1,000		
Net Profit	26,885		
	53,140		53,140

After considering the following matters compute the total income of the firm for the year ended 31st March, 1958 —

(i) Salaries include a partnership salary of Rs 200 p m. to B

(ii) The legal charges consist of Rs 500 for alteration of the Partnership agreement and the balance for Debt collection

(iii) Rs 200 paid as premium on an Insurance policy on the life of a debtor is included in insurance

(iv) The general expenses include Rs 210 for additional filing cabinet and Rs 360 for a new typewriter

(v) The car was used for domestic purposes

(b) Illustrate grossing up of dividends for the assessment year 1958–59

Ans (a) **A B Firm's Assessment For A Y 1959–60**

	Rs	Rs
Net Profit as per P & L a/c		26,885
Less items treated seperately		
(1) Interest on Tax-free Govt securities	900	
(2) Profit on sale of investment (exempt)	1,200	2,100
Add		
(1) Interest on Capitals		24,250
A 1,700		
B 1,550	3,250	
(2) Reserve for bad debts	1,000	
(3) Salary to B @ Rs 200 p m	2,400	
(4) Legal charges	500	
(5) L I P	200	
(6) Filing cabinet	210	
(7) New typewriter	360	
(8) Carriage Expenses (Car)	601	
(9) Depreciation on Car	500	9,021
		33,806
Business Income u/s 10		
Interest on Tax-free Govt securities		900
Total Income		34,706

(b) See Chapter VIII, para 6 to 7

(Appendix P 1 to 20) Diamond Jubilee Ptg Press, Ahmedabad